खण्ड-202, अंक-10
बुधवार, 20 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(11 मार्च, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 202 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ११ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३७६)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री

गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आज़ाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्वेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वाराकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री

प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बेंजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन मोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री

रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री

सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ११ मार्च, १९५९

तारांकित प्रश्न

नवीन प्रोजेक्ट्स तथा जिला समाज कल्याण समितियों की जीपें

*१--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य समाज कल्याण, सलाहकार बोर्ड के तत्वावधान में कितने और किन किन जिलों में नये Projects खोले गये हैं और कितने खोले जा रहे हैं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के तत्वावधान में दस विकास खंडों में नये प्रोजेक्ट्स खोले जा रहे हैं जिनका बिवरण निम्न प्रकार है :--

	जिला	विकास खंड का नाम
(१)	नैनाताल	गरमपानी
(२)	अल्मोड़ा	गंगोलीहट
(३)	बस्ती	मेहदावल
(४)	फतेहपुर	हथगांव
(५)	आजमगढ़	जहानगंज
(६)	मैनपुरी	तिलहर
(७)	शाहजहांपुर	किशनी
(८)	रामपुर	शाहबाद
(९)	पीलीभीत	अमरिया
(१०)	जौनपुर	धर्मपुर

*२--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० में राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के तत्वावधान में कितने और किन-किन जिलों में नये प्रोजेक्ट खोले जाने की योजना है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--वित्तीय वर्ष १९५९-६० में बोर्ड के तत्वावधान में २५ नये प्रोजेक्ट्स खोले जाने का प्रस्ताव था । इनके सम्बन्ध में विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है ।

*३--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के तत्वावधान में चलने वाली जिला समाज कल्याण समितियों को दी गई जीपों की मरम्मत में १ जनवरी, १९५७ से ३० जून, १९५८ तक कितना धन खर्च हुआ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--बोर्ड के तत्वावधान में चलने वाली जिला समाज कल्याण समितियों को दी गई जीपों की मरम्मत में १ जनवरी, १९५७ से ३० जून, १९५८ तक ३१ जिलों में कुल ११, ६३० रु० व्यय हुआ । शेष दो जिलों से सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स खोलने की योजना है उसकी रूपरेखा क्या होगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--रूपरेखा तो जैसे कि दूसरे प्रोजेक्ट्स में है वही होगी । यह विस्तार योजना के अंतर्गत खोले जाते हैं और साधारणतया ५ महिला मंगल केन्द्रों की स्थापना होती है और इनमें महिलाओं को प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, बाल शिक्षा, कला और शिल्प की शिक्षा और मनोरंजन के कार्य-क्रम आदि की शिक्षा दी जाती है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नैनीताल में जो गरम पानी में केन्द्र खोला गया है तो वह गरम पानी केवल स्थान का नाम है या पानी गरम होने की वजह से वहां का गरम पानी नाम है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसका गरम पानी नाम है और वहां का पानी दूसरे स्थानों के अपेक्षाकृत गरम होता है इसलिये गरमपानी नाम है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या यह सही है कि राजकीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का प्रदेशीय सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है और उसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से तथा केन्द्र के सलाहकार बोर्ड से है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--कदाचित माननीय सदस्य जानते हैं कि इसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है और वह व्यय करने के लिये ५० प्रतिशत देती है, २५ प्रतिशत प्रदेशीय सरकार देती है और २५ प्रतिशत जनता से चंदा इकट्ठा करते हैं और केन्द्रीय सलाहकार बोड में यू० पी० के दो अधिकारी होते हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिला स्तर पर यह केन्द्र जिला नियोजन अधिकारियों के जिम्मे जाने वाले हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--ऐसी कोई सूचना मेरे पास तो नहीं है ।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि राजकीय समाज सलाहकार बोर्ड द्वारा शुरू में दस केन्द्र खोले जाते थे, लेकिन ५ खोले जा रहे हैं तो इसका क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इस समय प्रोजेक्ट्स में ५ महिला मंगल केन्द्र खोलने की ही योजना है ।

श्री शिवप्रसाद नागर(जिला खीरी)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन जीपों की मरम्मत का जिक्र किया गया है तो यह प्रदेश भर में कितनी हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने बता दिया है कि ३३ हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर---अध्यक्ष महोदय, उनकी मरम्मत में कितना खर्चा हुआ इसके फीगर्स दिये हैं इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितनी जीपें हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया था यह राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड स्वयं अपने आप में एक संस्था है और प्रदेश की सरकार से उसका उतना ही लगाव है जितना मैंने जिक्र किया । इसमें कितनी जीपें हैं, मैं मोटे तौर से यह समझता हूं कि ३३ जिलों में ३३ जीपें हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव(जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला के जहानागंज विकास क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट खुला है उसमें क्या पांचों महिला मंगल केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है और काम प्रारम्भ हो गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इस समय मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी(जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १९५९-६० में जो २५ प्रोजेक्ट्स खोले जाने वाले हैं जिनकी सूचना प्राप्त नहीं है, इसका क्या कारण है और यह सूचना कब तक मिल जायेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह २५ नये प्रोजेक्ट्स खोले जाने वाले हैं इतनी ही सूचना है । इसके डिटेल्स नहीं हैं कि ये कहां और किस अवधि में खोले जायेंगे । राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड से सूचना आ जायगी तो सदन के सामने रख दूंगा ।

***४-६-श्री नारायणदत्त तिवारी**---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

***७-८-श्री गनेशीलाल चौधरी**(जिला सीतापुर)---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

आजमगढ़ जिले में मंजगावां की चकबन्दी रुकना

***९---श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी**(जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ की सदर तहसील के ग्राम मंजगावां में चकबन्दी न होने का क्या कारण है ?

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---इस ग्राम में नदी व नालों से प्रभावित होने के कारण भूमि की किस्म में हमेशा परिवर्तन होता रहता है । अतएव इस ग्राम को चकबन्दी योजना से अलग कर दिया गया है ।

***१०-श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ की सदर तहसील में कितने ऐसे गांव हैं जहां चकबन्दी नहीं होगी?

श्री धर्मसिंह---इस तहसील में २८ ऐसे गांव हैं जिनमें चकबन्दी योजना लागू करने का विचार नहीं है ।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी---क्या कृपा करके राजस्व मंत्री जी यह बतायेंगे कि मजगावां ग्राम की पूरी भूमि पानी से प्रभावित होती है या उसका कुछ भाग ?

श्री धर्मसिंह---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस गांव का पूरा रकबा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो तो क्या उसमें चकबन्दी योजना नहीं लागू होगी ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन २५ गांवों में चकबन्दी योजना लागू नहीं की गयी है उनमें कितना प्रतिशत क्षेत्र पानी से लग जाता है और कितना प्रतिशत क्षेत्र ऐसा है जो खुशकी में रहता ह और उसमें चकबन्दी हो सकती है ?

राजस्व मंत्री (श्री चरणसिंह)---अध्यक्ष महोदय, यह जानकर मुझे खुशी है कि अब कोशिश इस बात की हो रही है कि गांव चकबन्दी में लाये जायं बजाय निकाले जाने के । लेकिन जहां तक २५ गांवों का ताल्लुक है इनकी तफसील मेरे पास नहीं है, लेकिन अफसरों ने मुआयना करके निश्चय किया कि इन गांवों को निकाल देना ही उचित होगा ।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी---क्या मंत्री जी जिस रिपोर्ट के आधार पर उनको मंजगावां गांव की चकबन्दी रोकनी पड़ी है उसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी । डायरेक्टर स्वयं ही रोक देते हैं ।

*११-१२-**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

इटावा नहर डिवीजन में कर्मचारियों की भर्ती

*१३---**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के कानपुर, भोगनीपुर, इटावा डिवीजन नहर में जनवरी, ५७ से दिसम्बर, ५८ तक कितन अमीन, पतरौल, टंडल, दफेदार, बरकन्दाज की नई भर्ती हुई ? उनमें से कितने अनुसूचित जाति के तथा पिछड़े वर्ग क थ ?

श्री धर्मसिंह---जनवरी, ५७ से दिसम्बर, ५८ तक भोगनीपुर डिवीजन इटावा में पतरौलों की नियुक्ति हुई । उनमें एक अनुसूचित जाति तथा दो पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी थे । इटावा डिवीजन में केवल १ बरकन्दाज की नई भर्ती हुई । यह नियुक्ति अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों में नहीं हुई । कानपुर डिवीजन में कोई नई नियुक्ति नहीं हुई ।

श्री भजनलाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भोगनीपुर डिवीजन इटावा में ९ पतरौलों की नयी नियुक्ति जो हुई है उसमें दो हरिजन और एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति ही निर्वाचित हुये ?

श्री धर्मसिंह---यह बात तो सही है कि ९ में केवल तीन लिये गये ।

श्री भजनलाल---क्या सरकार इसको सूचना समझकर उचित आदेश भेजने की कृपा करगी ताकि उन व्यक्तियों को सेवा करने का अवसर प्राप्त हो सक ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन डिवीजनों के सम्बन्ध में जब कभी नयी भर्ती का प्रश्न होता है तो इसके लिये कभी ऐडवर्टाइजमेंट भी होता है ?

श्री धर्मसिंह---जो उसके कायदे कानून बने हुये हैं उसी के आधार पर किया जाता है ।

*१४--स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)--[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

आगरा जिले की सिंचन योजना

*१५--स्वामी विश्वेश्वरानन्द--क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि आगरा जिले में इस समय कौन-कौन सी सिंचन योजनायें परिचालित की जा रही हैं ?

श्री धर्मसिंह--इस समय आगरा जिले में निम्नलिखित सिंचन योजनायें परिचालित की जा रही हैं :--

१--पलेवा नहरों (Channels) का निर्माण,

२--(१) उर्सरा बन्ध।

(२) कंसपुरा बन्ध,

(३) सोनी खेरा बन्ध, इन तीन बन्धों का निर्माण तथा तेहरा मोहरी बांध की मरम्मत (Repairs)।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में कुल कितनी पलेवा नहरें बनाई जा रही हैं और कहां-कहां पर और यह तीन बन्ध कहां-कहां पर बनाये जा रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह--यह आठ पलेवा जो बनाये जा रहे हैं उनके नाम ये हैं--श्याम माइनर, बगोरी, ककरौती, सलीमाबाद माइनर, बसई बोवला, जनगेरा, साधन और कचौरा । और जो तीन बन्ध बनाये गये हैं उनके नाम ये हैं--उर्सरा बन्ध, कंसपुरा बन्ध, सोनीखेरा बन्ध ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि खैरागढ़ तहसील में कौन-कौन सी सिंचन योजनायें परिचालित हो रही हैं ?

श्री चरणसिंह--माइनर्स का नाम तो अभी सुना दिया गया है। अब यह इसला नहीं ह कि इसमें से कौन कौन से माइनर्स कौन-कौन सी तहसील में हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सोनीखेरा बांध के निर्माण में अब तक कितना खर्च किया जा चुका है ?

श्री धर्मसिंह--१,८३,९६२ रु० खर्च किया जायगा ।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन सिंचाई की योजनाओं में खर्च का कुल कितना एस्टीमेट होगा ?

श्री चरणसिंह--जो माइनर्स हैं ८ जिनका नाम अभी माननीय धर्मसिंह जी ने सुनाया उन पर ८ लाख सवा ग्यारह हजार रुपया है । एक बन्ध पर १,२४,५५१ दूसरे पर १,७७,५५६ तीसरे पर १,८०,०८५ और चौथे पर १,८३,९६२ है । इन चारों बांधों का काम पूरा हो चुका है।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि आगरा जिले की तहसील फतेहाबाद में सब से कम सिंचाई के साधन हैं ? यदि हां, तो वहां कोई सिंचाई की नई योजना बनाने का विचार है ?

श्री धर्मसिंह--जिस तहसील का माननीय सदस्य नाम ले रहे हैं उसकी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)---क्या यह सही है कि आगरा कैनाल से सिंचाई किये जाने वाले आगरे जिले का जो एरिया था वहां पलेवा चैनल जो स्कीम चल रही थी वह गर्मी में पानी की कमी हो जाने की वजह से स्थगित कर दी गई है ?

श्री चरणसिंह---यह जो पलेवा माइनर्स हैं वह गरमी में पानी देने के लिये बनाई ही नहीं जातीं तो इस कारण स्थगित नहीं हो सकती । और मेरी इत्तिला यह है कि उन पर काम हो रहा है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन चारों बांधों से कुल कितनी भूमि की सिंचाई का अनुमान है ? इनके कब तक पूरे हो जाने की आशा है ।

श्री धर्मसिंह---पहले से दो हजार, दूसरे से ८४०, तीसरे से १,१६५ और चौथे से ९९५ ।

आगरा बिजली व्यावसायिक संघ का पत्र

*१६---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार के पास आगरा की बिजली सप्लाई कम्पनी के बारे में आगरा बिजली व्यावसायिक संघ का कोई प्रस्ताव या आवेदन-पत्र नवम्बर अथवा दिसम्बर, १९५८ में आया है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां । संघ का एक प्रस्ताव श्री यादवेन्द्रदत्त, एम० एल० ए० द्वारा प्राप्त हुआ था ।

*१७---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपर्युक्त संघ की मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा सरकार ने उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मसिंह---उसमें दो शिकायतें थीं । पहली यह कि बिजली से काम करने वाली ६० दूकानों के कनेक्शन कम्पनी ने काट दिये ।

दूसरी, कि आगरा बिजली कम्पनी मार्च, १९५८ से बिजली के नये कनेक्शन नहीं दे रही है । पहली शिकायत के सम्बन्ध में जांच करवाने पर मालूम हुआ है कि शिकायत निराधार थी ।

दूसरी शिकायत के सम्बन्ध में सरकार बिजली कम्पनी पर मुकदमा चला रही है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतायेगी कि जांच किस अधिकारी ने की है और जांच करते वक्त जिन लोगों ने शिकायत की है उनको इत्तला दी गई थी और उनसे कहा गया था कि वह अपनी शिकायत का सबूत दें ?

श्री धर्मसिंह---जांच असिस्टेंट एलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ने की थी । इस बात की इत्तला नहीं है कि उन लोगों को बुलाया था या नहीं ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---इस बात को देखते हुये कि जिन लोगों ने शिकायत की थी उनको असिस्टेंट इंस्पेक्टर ने नहीं बुलाया क्या सरकार फिर से उस शिकायत के बारे में किसी उच्च अधिकारी से जांच करायेगी ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, यह तो हमने नहीं माना कि उनको नहीं बुलाया । यह अभी कैसे फर्ज कर लिया जाय, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो इसकी तहकीकात करा ली जायगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---प्रश्न संख्या १७ के मुताल्लिक क्या सरकार यह बतायेगी कि मुकदमा किस कानून की किस धारा के मुताबिक चलाया गया ?

श्री धर्मसिंह---धारा का जहां तक सवाल है उसकी इत्तला तो मेरे पास नहीं है । इस वक्त जो केस है वह हाई कोर्ट में पेंडिंग है ।

रिहन्द बांध में दरारें

*१८—**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला मिर्जापुर में बन रहे रिहन्द बांध के ब्लाक नं ११ तथा ब्लाक नं० ३५ की दीवार में दरारें पड़ गई हैं ? यदि हां, तो किस कारण तथा इससे कितनी क्षति हुई ?

श्री धर्मसिंह—ब्लाक नं० ३५ में कुछ बारीक दरारें दिखाई दी थीं । ब्लाक नं० ११ में कोई दरार नहीं है । कान्क्रीट से बने हर भारी बांध में ऐसी दरारों का पड़ना प्राकृतिक है । इन दरारों से कोई क्षति नहीं हुई ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह बारीक दरारें कितनी इंच चौड़ी थीं और क्या बांध के आर पार हो गई थीं या थोड़ी ही दूर तक ?

श्री चरणसिंह—यह बाल के बराबर चौड़ी और गहरी थीं और आर पार नहीं थीं ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस एक ब्लाक में दरार पड़ गई और बाकी कितने उसमें ऐसे ब्लाक और हैं ? जब कि ब्लाक में दरार पड़ना स्वाभाविक है तो औरों में क्यों नहीं पड़ी हैं ?

श्री चरणसिंह—आपने दो सवाल किये थे । एक के लिये तो हमारा जवाब यह था कि नहीं पड़ी । दूसरे के लिये हमने कहा कि हां । तो जिसकी बाबत हमने हां कहा उसके अलावा ८ ब्लाक और हैं ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस दरार में पड़ने की सूचना सरकार को कब मिली ?

श्री चरणसिंह—इसकी जन्म तिथि तो हमने मालूम करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कोई चिन्ता की बात नहीं है । रिहन्द डैम के काम के लिये टी० सी० एम० द्वारा जो कंसल्टेंट मुकर्रर हैं उनकी राय भी हमारे पास मौजूद है । जो हाई डैम के टी० सी० एम० के एक्सपर्ट हैं उनकी राय भी हमारे पास मौजूद है । दुनिया भर में जो डैम कंस्ट्रक्ट होते हैं उनमें बाल के बराबर दरार पड़ ही जाती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सेन्ट्रल पावर कमीशन के किसी एक्सपर्ट ने इस दरार के पड़ने की जांच की ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सेन्ट्रल पावर कमीशन, जिसकी देखरेख में रिहन्द डैम का काम चल रहा है, उसके भी किसी एक्सपर्ट ने जांच करने की कृपा की ?

श्री चरणसिंह—इसकी जरूरत नहीं समझी गयी ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि डैम के बनने के कितने दिन बाद यह दरार पड़ी ?

श्री चरणसिंह—यह नहीं मालूम है ।

*१९-२०—**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)—[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२१—**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)—[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२२—**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—[१ अप्रैल, १९५९ क लिये स्थगित किया गया ।]

नारायणी नहर योजना

*२३—**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (अनुपस्थित)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नारायणी नहर योजना जो गोरखपुर, देवरिया तथा सारन जिलों की सिंचाई के लिये सरकार के विचाराधीन है वह कब से आरम्भ होगी तथा उस नहर की लम्बाई चौड़ाई तथा सींची जाने वाली भूमि का क्षेत्र क्या होगा ?

श्री चरणसिंह—गोरखपुर, देवरिया तथा सारन जिलों की सिंचाई के लिये विचाराधीन नहर योजना का सर्वे किया जा रहा है । अतएव इस नहर की लम्बाई चौड़ाई और सींची जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल अभी बताना संभव नहीं है । और न अभी यही बताना संभव है कि उस पर काम कब तक आरम्भ किया जा सकेगा ।

*२४—**श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)—[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

सदर तहसील में चकबन्दी

*२५—**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की सदर तहसील में चकबन्दी का कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा ?

श्री धर्मसिंह—दिसम्बर, १९५९ तक समाप्त होने की आशा है ।

*२६—**श्री मुक्तिनाथ राय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त जिले की सदर तहसील के बाद जिले की किस तहसील में चकबन्दी का कार्य शुरू किया जायेगा और कब ?

श्री धर्मसिंह—इस विषय में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

*२७—**श्री मुक्तिनाथ राय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५९ में प्रदेश के किन-किन नये जिलों में चकबन्दी का कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

श्री धर्मसिंह—यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसका निर्णय किस प्रकार किया जायगा ? जिलाधीश अपनी राय सरकार को देंगे या जिला अन्तरिम परिषद् अपनी राय देगी और तब सरकार अपनी स्वीकृति देगी ?

श्री चरणसिंह—जब तक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी थी तो उससे डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन राय लिया करते थे और डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन गवर्नमेंट से मशविरा करते करते थे । अब प्लानिंग कमेटी नहीं रहीं इसलिये सम्भवतः जिला अन्तरिम परिषद् से मशविरा ले, लेकिन मैं ठीक नहीं कह सकता ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—क्या राजस्व मंत्री जी बतलायेंगे कि नई तहसीलों में चकबन्दी का विषय राज्य परामर्शदात्री समिति के सामने स्वीकृति के लिये रखा जायगा ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं । जिन तहसीलों में काम आज चल रहा है उनके नुमायन्दे उस कमेटी में हैं । किन तहसीलों में उसके बाद लिया जाय उसके लिये वह बहुत मशविरा नहीं दे सकेंगे ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि आजमगढ़ के चकबन्दी अधिकारियों से सरकार ने इस बात की रिपोर्ट मांगी है कि सदर में चकबन्दी समाप्त होने के बाद वह किस तहसील में चकबन्दी करना चाहेंगे ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट आई है ?

श्री चरणसिंह—इसकी सूचना अभी तक यहां नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---सरकार जो नये स्थानों में चकबन्दी का कार्य होने वाला है उसके सम्बन्ध में कब तक सूचना दे सकेगी और इस सूचना को देने के पहले सरकार कौन कौन सा मैटीरियल इकट्ठा कर लेना चाहती है ?

श्री चरणसिंह---जिन ५ नये जिलों में काम शुरू करने का विचार है वह करीब करीब तय हो चुके हैं, लेकिन एक जिले की बाबत जरा मशविरा करना बाकी है वह एक हफ्ते के अन्दर ही मालूम हो जायगा । देखने की कोशिश यह कर रहे हैं कि जमीन ऊसर न हो, बहुत ज्यादा बिखरे हुये खेत न हों, खेतों के बीच में बहुत खराब रकबा न आ गया हो और इरोजन भी ज्यादा न होता हो । तीसरी बात यह भी देखते हैं कि वहां पर कैसा काम चलेगा और इसका कैसा स्वागत होगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---माननीय मंत्री जी ने स्वागत संबंधी बात का जो जिक्र किया तो क्या इन चार जिलों के लिये भी उस बात को निगाह में रखते हुये देख लिया गया है ?

श्री चरणसिंह---वह तो मैंने कहा कि अपने इंप्रेशन की बात है, राय की बात है । उस से जाहिर हो जाता है कि कहां के लोग क्या चाहते हैं । बहुत से एम० एल० एज० ही कहते हैं कि हमारे जिले में चकबन्दी शुरू कराइये । इससे ही राय मालूम हो जाती है, लेकिन बाकायदे कोई सर्वे नहीं किया जाता ।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्न किस प्रकार विचाराधीन है ? ज्यादा जिलों की मांग आयी है या सरकार स्वयं जिलों को चुन रही है ?

श्री चरणसिंह---९, १० जिलों में इस साल काम शुरू करने का विचार है । ५ में कुछ पहले और ४, ५ में उसके कुछ बाद । केवल यही विचार कर रहे हैं कि १० में से ५ पहले कौन से हों ।

*२८-२९---**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

आजमगढ़ जिले के एक नायब तहसीलदार का स्थानान्तरण

*३०---**श्री मुरलीधर** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ के कितने नायब तहसीलदार (Z. A. C.) के विरुद्ध अक्तूबर या नवम्बर, १९५७ में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर Reversion Orders दिये गये और इनमें से कितनों का Reversion Order लागू होने के पूर्व दूसरे जिलों में स्थानान्तरण हो गया ?

श्री धर्मसिंह---आजमगढ़ जिले में नवम्बर, सन् १९५७ में एक नायब तहसीलदार (प्रतिकर) को प्रशासकीय कारणों से जिलाधीश ने बिना राजस्व परिषद् की स्वीकृति लिये प्रत्यावर्तित किया था तथा आदेश दिया कि वे गोरखपुर जिले में कानूनगो के मूल पद पर कार्य करें । जब जिलाधीश ने उपरोक्त नायब तहसीलदार के उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिये परिषद् की स्वीकृति मांगी तो परिषद् ने उस नायब तहसीलदार को बहराइच स्थानान्तरित कर दिया ।

*३१---**श्री मुरलीधर**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि स्थानान्तरण करते समय सरकार को स्थानान्तरित अधिकारियों की ईमानदारी के प्रमाण-पत्र (जो प्रति वर्ष मिलते रहते हैं) प्राप्त हो चुके थे ?

श्री धर्मसिंह---स्थानान्तरण नवम्बर, सन् १९५७ में हुआ । चरित्र पुस्तिका में सन् १९५७-५८ का इंदराज मार्च, सन् १९५८ के बाद होता है । जिलाधीश आजमगढ़ ने उक्त नायब तहसीलदार की ईमानदारी का प्रमाण-पत्र २२ मई, सन् १९५८ के इंदराज द्वारा रोका ।

श्री मुरलीधर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन से कारण थे कि जिनके ऊपर नायब तहसीलदार को जिलाधीश ने रिवर्शन आर्डर्स दिये थे ?

श्री धर्मसिंह---उनकी कुछ शिकायतें थीं ।

श्री मुरलीधर---वह कौन से कारण थे कि जिनके आधार पर जिलाधीश के आर्डर को न मान कर उसका तबादला गोरखपुर के बजाय बहराइच कर दिया गया ?

श्री धर्मसिंह---यह तो उत्तर में निवेदन कर दिया गया कि शुरुआत में जिलाधीश आजमगढ़ ने उनको रिवर्ट कर दिया था और जब उन्होंने दूसरा नाम एप्रूवल के लिये रेवेन्यू बोर्ड को भेजा तो उनकी जानकारी में आया कि यह इस तरह से नहीं होना चाहिये और इसलिये उनको बहराइच में नियुक्त कर दिया गया ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह शिकायतें क्या थीं कि जिनके कारण जिलाधीश ने करेक्टर सर्टिफिकेट रोक लिया ?

श्री धर्मसिंह---शिकायतें बहुत सी थीं जिनमें खास-खास यह हैं । आजमगढ़ में जमींदारी विनाश कार्य में अधिवासियों के प्रतिकर वाउचर तैयार करने के सिलसिले में उनकी बहुत सी शिकायतें थीं । यह कहा गया था कि वह मनमाने ढंग से वाउचर तैयार करते थे और प्रतिकर प्राप्त करने वाले को परेशान करते थे । उसके बाद जब जांच हुई तो तहसीलदार ने पाया कि वह बहुत लोगों से रुपया पैसा आदि भी मांगते थे ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अब जहां पर इन नायब तहसीलदार साहब को नियुक्त किया गया है वहां पुरानी शिकायतों के आधार पर जांच करके उनके खिलाफ कार्यवाही करने का सरकार कोई विचार कर रही है?

श्री धर्मसिंह---यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

आगरा जिले में टेस्ट वर्क्स के लिए अनुदान

*३२---**स्वामी विश्वेश्वरानन्द**---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७-५८ के वित्तीय वर्ष में आगरा जिले में टेस्ट वर्क्स के लिये कितना रुपया दिया गया था और उसमें से अब तक कितना रुपया किस-किस कार्य में कहां-कहां पर खर्च किया गया है ?

श्री धर्मसिंह---सन् १९५७-५८ में आगरे जिले में टेस्ट वर्क के लिये कुछ भी रुपया नहीं स्वीकृत किया गया था, अतः उसके व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि आगरे के जिलाधीश ने जो सूचना मुझे दी थी कि आगरा जिले के लिये ५०,००० रुपये टेस्ट वर्क्स के लिये दिये गये हैं यह गलत है ?

श्री धर्मसिंह---५०,००० रुपया १९५८-५९ में दिया गया था ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---सन् १९५८-५९ में कितना रुपया दिया गया और कहां-कहां खर्च हुआ ?

श्री धर्मसिंह---१९५८-५९ में ५०,००० रुपया दिया गया, लेकिन मजदूर लोग काम पर नहीं आये और वह खर्च नहीं हुआ ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---टेस्ट वर्क खोले गये तब मालूम हुआ कि मजदूर नहीं आये या पहले ही तय कर लिया गया था कि मजदूर नहीं आवेंगे ?

श्री चरणसिंह---मजदूर नहीं आये इसलिये नहीं खोले जा सके और खोले इसलिये नहीं जा सके कि मजदूर नहीं आये ।

*३३-३४---**श्री प्रतापसिंह**---[हटा लिये गये ।]

गंगा कटान पीड़ित संघ, रुद्रपुर का प्रार्थना-पत्र

*३५---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गंगा कटान पीड़ित संघ, रुद्रपुर, जिला बलिया, की ओर से वहां के गंगा के कटाव से पीड़ित लोगों का कोई प्रार्थना-पत्र तारीख २१-८-५८ को सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने इनकी सहायता और पुनर्वास के लिये क्या कदम उठाया है ?

श्री धर्मसिंह---उक्त लोगों का प्रार्थना-पत्र दिनांक २१-८-५८ को माननीय सदस्य के द्वारा २३-१२-५८ को सरकार को प्राप्त हुआ था । उक्त प्रार्थना-पत्र पर जिलाधीश बलिया से उचित कार्यवाही करने को कहा गया । जिलाधीश ने सूचित किया है कि पीड़ितों को बाढ़ के समय निम्नांकित सहायता दी गई :---

१---चना	.. ५२	१/२ मन
२---नमक	.. ५	मन
३---मिट्टी का तेल	.. ३	टीन
४---दियासलाई	.. ५	दर्जन
५---तकावी	.. ३,८१०	रुपये
६---जी० सी० शीट	.. ३९६	
७---मकान के लिये आर्थिक अनुदान	.. २००	रुपये

पीड़ितों के लिये ३ सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गईं । उनके पुनर्वास के लिये ग्राम समाज, बेलहरी में ७ एकड़ भूमि हस्तगत की गई, परन्तु पीड़ित व्यक्ति उक्त भूमि में बसने को तैयार नहीं हैं ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार यह देखते हुए कि उनके खेत गंगा में कट कर चले गये हैं, उनको दूसरी जमीन देने की योजना बना रही है ?

श्री चरणसिंह---यह सवाल केवल बलिया जिले में ही नहीं है, बहुत से जिलों के लिये है, और केवल पिछले वर्ष ही नहीं उठा है पहले भी कई साल से उठा है । सन् १९५३ में कुछ आदेश इस बारे में जारी हुए थे जो १९५४-५५ में संशोधित किये गये । आम आदेश यह है कि गांव समाज की जमीन कलेक्टर लेकर ऐसे पीड़ित लोगों को दे दे । गांव समाज में न हो तो दूसरे गांव समाज से लेकर दे या वहां कोई फारेस्ट एरिया हो तो फारेस्ट विभाग से जमीन लेकर दे दे, लेकिन इसमें कामयाबी बहुत कम हो रही है क्योंकि ऐसी जमीनें और सिर्फ गोरखपुर वगैरह को छोड़कर कहीं जंगलात भी नहीं हैं । माननीय मित्र कोई सुझाव दे सकें तो बड़ी खुशी होगी ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या सरकार को मालूम है कि जिस समय ये गांव कटे उस समय लोग खुले आसमान में पूरी बरसात भर गंगा के किनारे पड़े रहे और अभी तक एक आदमी के भी बसाने का प्रबन्ध नहीं हुआ है ?

श्री चरणसिंह---इस दीबाचा का इल्म तो हमको नहीं है लेकिन जहां उन्हें जमीन दी जा रही थी वहां उन्होंने जाना पसन्द नहीं किया ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सही है कि जितने गांवों का इस कटान में जिक्र है उनके थोड़े से लोगों के लिये वह जमीन दी गई थी और उसके बहुत दूर होने के कारण लोग वहां नहीं गये और बाकी को कोई जमीन दी ही नहीं गई ?

श्री चरणसिंह---नोटिस चाहिये इतने विवरण के लिये ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---यह देखते हुए कि यह समस्या गंगा के किनारे कई जिलों में ह और बहुत से गांव अब भी कटे जा रहे हैं तो जो बचे हुए हैं उनकी रक्षा के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

श्री चरणसिंह---फ्लड कंट्रोल योजना बहुत दिनों से चल रही है ।

*३६---**श्री त्रिलोकीसिंह**---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३७-३८---**श्री गजेन्द्रसिंह** (जिला इटावा)---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

किरावली तहसील में 'रबी' को क्षति

*३९---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनवरी, सन् १९५९ में आगरे जिले के खैरागढ़ तहसील तथा फतेहपुर सीकरी तहसील में भीषण पाला पड़ने से कितनी हानि हुई और सरकार ने सहायतार्थ क्या कदम उठाया है ?

श्री धर्मसिंह---फतेहपुर सीकरी कोई तहसील नहीं है । माननीय सदस्य का तात्पर्य किरावली तहसील से है जिसके अन्तर्गत फतेहपुर सीकरी है । उक्त तहसीलों में कुछ फसलों को अनुमानत: रुपये में केवल एक आने से लेकर चार आने तक हानि हुई है । सिर्फ अरहर में कहीं-कहीं रुपये में बारह आने तक की क्षति का अनुमान है । यदि आवश्यक हुआ तो क्षतिग्रस्त ग्रामों में नियमानुकूल मालगुजारी आदि में सहायता दी जायेगी ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या यह सही नहीं है कि अरहर को छोड़कर चने और मटर में भी ८ आने से १० आने तक वहां नुकसान हुआ है ?

श्री चरणसिंह---हमारी इत्तला के मुताबिक तो सही नहीं है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---इस भीषण पाले से रबी की फसल की कौन-कौन सी फसल बर्बाद हुई ?

श्री धर्मसिंह---चने और सरसों की फसल को हानि हुई ।

सगड़ी तहसील में उपल वृष्टि पीड़ितों को सहायता

*४०---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला आजमगढ़ की सगड़ी तहसील के बिलरियागंज तथा भगतपुर क्षेत्र में जनवरी, सन् १९५९ में भयंकर उपल वृष्टि हुई ? यदि हां, तो उससे कितनी फसल को, पशुओं तथा मनुष्यों को क्षति हुई है तथा सरकार ने सहायतार्थ क्या कदम उठाया है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां। क्षति तथा दी गई सहायता का विवरण इस प्रकार है —

फसल की क्षति—२ आने से १६ आने तक।

जीव हानि—पशु—१ गाय की मृत्यु।

मनुष्य—किसी मनुष्य की जीव हानि नहीं हुई, किन्तु ६,२९० मनुष्य प्रभावित हुए। सरकार द्वारा दी गई सहायता—(१) ७,००० रु० का खैराती अन्न।

(२) २,३४० रु० का भूसा।
(३) ९९९ रु० अहेतुक सहायता के रूप में।
(४) ३,००० रु० की तकावी।

इसके अलावा ३५,००० रु० की तकावी बांटी जा रही है।

श्री चन्द्रजीत यादव—जिन गांवों में १६ आने तक हानि हुई है और जहां मकानों की खपरैल तक टूट गई हैं क्या वहां सरकार ने कोई विशेष सहायता प्रदान की है ?

श्री धर्मसिंह—जो उत्तर में बताया गया है उतनी ही सहायता दी गई है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—कुल कितने गांवों में १६ आने नुकसान हुआ है, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे—जिन गांवों में १६ आने फसल नष्ट हुई है और वहां के लोगों के मकान और खपरैलें तक खत्म हो गई हैं, उन्हें मकान बनाने के लिये कोई विशेष सहायता देने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—जो लोग किसान नहीं हैं उनको दी जा सकती है अगर आवश्यकता हो, लेकिन किसानों को मकान बनाने के लिये सबसीडी नहीं दी जा सकती। वे कच्चे मकान बना सकते हैं और चाहें तो सरकार से तकावी ले सकते हैं।

नानक सागर तथा सारदा सागर बांधों की रूपरेखा

*४१—**श्री प्रतापसिंह**—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नानक-सागर, सारदा सागर डैम कितने लम्बे और कितने चौड़े होंगे और उससे कितने एकड़ में सिंचाई होगी ?

श्री धर्मसिंह—नानकसागर डैम की लम्बाई ११.५ मील होगी। इसके ऊपरी छोर की चौड़ाई २० फीट होगी और सबसे गहरे भाग (Deepest section) में चौड़ाई ४१० फीट होगी। इससे १८ वर्गमील क्षेत्र का जलाशय बनेगा, इस बांध से ९६,७५० एकड़ क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई होगी।

सारदा सागर डैम की लम्बाई १४ मील ५ १/२ फर्लांग होगी। इसके ऊपरी छोर की चौड़ाई २० फीट होगी सबसे गहरे भाग (Deepest section) में चौड़ाई ३८५ फीट होगी। इससे २८.३ वर्गमील क्षेत्र का जलाशय बनेगा। इस बांध से २,९७,५२७ एकड़ क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई होगी।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नानक सागर में जो ९६,७५० एकड़ जमीन है, उसमें खटीमा तहसील की कितनी जमीन है ?

श्री धर्मसिंह—तहसीलवार सूचना इस वक्त हमारे पास नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि नानक सागर और सारदा सागर डैम में कितना खर्चा हो चुका है ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि नानक सागर और सारदा सागर डैम्स से जो सिंचाई होगी, वह किन केनाल्स के द्वारा होगी ?

श्री धर्मसिंह---कैनाल की सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों सागरों से किन-किन जिलों की सिंचाई हो सकेगी ?

श्री चरणसिंह---इसकी इत्तला इस वक्त नहीं है । मगर जैसे गंगा कैनाल सहारनपुर जिले में बनी है लेकिन उससे सिंचाई १५-२० जिलों में होती है, इस तरह से अगर यह बांध खटीमा में बन रहा है, इसलिये उससे खटीमा में ही ज्यादा सिंचाई हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि सारदा सागर की जितनी चौड़ाई है, उसका आधा ही वह बनाया जा सका है ?

श्री चरणसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

*४२---श्री ब्रजनारायण तिवारी---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४३-४४---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४५---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४६---श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री गरीबदास (जिला जालौन)---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

हमीरपुर जिले में उपल वृष्टि से हानि

*४७---श्रीमती राजेन्द्रकुमारी (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत १९ जनवरी को हमीरपुर जिले की किन-किन तहसीलों के किन-किन ग्रामों में ओला गिरने के कारण भीषण क्षति पहुंची है ?

श्री धर्मसिंह---जिला हमीरपुर में गत १९ जनवरी के अतिरिक्त १६ व २८ जनवरी को भी ओला गिरा जिससे मौदहा, महोबा व चरखारी तहसीलों के ७० ग्रामों में भीषण क्षति पहुंची । क्षतिग्रस्त ग्रामों के नाम संलग्न तालिका में दिए हुए हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९३५-९३६ पर ।)

*४८---श्रीमती राजेन्द्रकुमारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस ओला वृष्टि के कारण कितनी क्षति कृषि, मकान तथा पशु आदि के होने का अनुमान है ?

श्री धर्मसिंह---ओला वृष्टि से पशुओं को कोई क्षति नहीं पहुंची । लगभग ८०० मकानों के खपरों को क्षति पहुंची है । फसल को हुई क्षति संलग्न तालिका के प्रत्येक ग्राम के सामने उल्लिखित है ।

*४९---श्रीमती राजेन्द्रकुमारी---सरकार क्षति ग्रस्त व्यक्तियों की मदद के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को ५००० रुपये की इमदाद (Gratuity) वितरित की जा रही है। क्षति के निरीक्षण के पश्चात् मालगुजारी में नियमानुसार छूट देने के सम्बन्ध में भी उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वहां कुल कितने एकड़ की क्षति हुई है ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि रेवेन्यू मैनुअल के नियमों के अनुसार कोई रिपोर्ट वहां से लेखपाल या तहसीलदार ने इस क्षति के सम्बन्ध में भेजी है ?

श्री चरणसिंह—माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि लेखपाल गांव से कोई रिपोर्ट नहीं भेजा करता है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोई इस क्षति के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट (प्रिलिमिनरी) भेजी है ? यदि हां, तो उसकी तफसील क्या है ?

श्री चरणसिंह—रिपोर्ट बोर्ड आफ रेवेन्यू के पास सीधी आती है।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी—माननीय मंत्री जी ने जो गांवों की तालिका दी है उसमें महोबा तहसील में एक जाहर गांव है और मौदहा तहसील में गहरोला गांवों की खेती को मैंने स्वयं जाकर देखा है वहां पर १६ आना नुकसान है, लेकिन इस तालिका में दोनों गांव छोड़ दिये गये हैं, क्या माननीय मंत्री जी इसके बारे में जांच करायेंगे ?

श्री चरणसिंह—गांवों के नाम तो मैं भूल गया, उनको मैं आपसे मालूम कर लूंगा और उसकी जांच करा लूंगा।

रिहन्द बांध का निर्माण

*५०—**श्री आनन्दब्रह्म शाह** (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८ में रिहन्द डैम के निर्माण के सम्बन्ध में कितने ग्राम खाली कराये गये ?

श्री चरणसिंह—कोई भी ग्राम पूरी तरह नहीं खाली कराया गया।

ललितपुर सब डिवीजन में तालाबों की सुधार योजना

*५१—**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ललितपुर सब डिवीजन झांसी जिले के कितने छोटे-छोटे तालाबों के सुधार की योजना उसने बनाई है और किन-किन स्थानों पर ?

श्री चरणसिंह—झांसी जिले के ललितपुर सब डिवीजन में निम्नलिखित पुराने तालाबों के सुधार की योजना बनाई गई है।

१—ताल बेहाट से ४ मील पर स्थित "उरवन ताल"।

२—बबीना से ललितपुर की ओर १७ मील की दूरी पर स्थित "नत्थीखेरा तालाब" को बढ़ाना।

३—ललितपुर से २१ मील उत्तर की ओर स्थित "जमालपुर ताल"।

*५२—**श्री गज्जूराम** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि सरकार ने छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये ललितपुर सब-डिवीजन झांसी जिले में सर्वे कराया ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ?

श्री चरणसिंह—जी हां। विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९३७ पर।)

बड़ा गांव, जिला वाराणसी के लिए बिजली की मांग

*५३—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बड़ागांव बाजार, परगना कोल असला, जिला वाराणसी, में बिजली लगाने के लिये खम्भे गाड़े गये हैं? यदि हां, तो बिजली कब तक बड़ागांव में दी जायेगी और किस कम्पनी द्वारा दी जायगी ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं ।

*५४—श्री ऊदल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिन्डरा बाजार, परगना कोल असला, जिला वाराणसी, में भी बिजली देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो पिंडरा बाजार में कब तक बिजली पहुंच जायगी ?

श्री धर्मसिंह—ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भदोही पावर हाउस जो सिंचाई विभाग की तरफ से बनाया गया है उससे बड़ागांव को बिजली देने की कोई योजना है ?

श्री धर्मसिंह—फिलहाल कोई योजना नहीं है क्योंकि वहां पर बिजली उपलब्ध नहीं है ।

श्री ऊदल—मैंने खुद देखा है कि वहां पर पचासों खम्भे गड़े पड़े हैं। इसको सूचना मान कर क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करा करके वहां बिजली लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—जांच करा ली जायगी ।

जालौन को बिजली देने की योजना

*५५—श्री गरीबदास—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कस्बा जालौन, जिला जालौन, के निवासियों को कब तक बिजली मिलने की आशा है ?

श्री धर्मसिंह—जून १९५९ के अन्त तक बिजली देने की कोशिश हो रही है ।

श्री गरीबदास—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह विद्युत् योजना कब से चल रही है और इस समय तक कितना काम हो चुका है ?

श्री धर्मसिंह—इस सम्बन्ध में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुछ कार्य हुये थे, क्योंकि क्रासिंग करना है इसलिये उसमें देरी होती रही और अब शीघ्र से शीघ्र कोशिश की जा रही है कि इसका एलेक्ट्रिफिकेशन जल्दी हो जाय ।

श्री गरीबदास—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्थान कालपी में यमुना नदी से पार करने के लिये बिजली निकालने की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री धर्मसिंह—यमुना क्रासिंग के लिये ऊपर से खम्भे बनाने पड़ेंगे और उसके प्रोटेक्शन आदि का प्रबन्ध करना पड़ेगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर—इस यमुना ब्रिज की क्रासिंग के लिये खम्भे लगा कर बिजली निकालने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री धर्मसिंह---बाढ़ आने पर नदी का फैलाव हो जाता है; इसलिये कहां-कहां खम्भे गाड़े जायं, किस प्रकार गाड़े जायं, कितनी गहराई में गाड़े जायं, इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा, ताकि बिजली ले जाने में कोई दिक्कत न हो। यह कार्य आसान नहीं है। बरसात होने से तथा बाढ़ आदि आने की वजह से सर्वे इत्यादि करने में दिक्कत होती रही।

***५६---श्री नत्थू सिंह**---[हटा दिया गया।]

***५७-५९---श्री गोविन्दसिंह विष्ट, श्री ब्रजविहरी मेहारोत्रा** (जिला कानपुर), **तथा श्री प्रताप सिंह**---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

जलेसर के विद्युतीकरण के लिए सर्वे

***६०---श्री रघुवीर सिंह** (जिला एटा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जलेसर नगर, जिला एटा, में बिजली पहुंचाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

***६१---**उक्त नगर में बिजली कब तक पहुंचा दी जायगी ?

श्री धर्मसिंह---सरकार इस नगर का सर्वे करा रही है। परन्तु यह कहना कठिन है कि उसका विद्युतीकरण कब होगा।

श्री रघुवीर सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सर्वे का कार्य कब आरम्भ किया गया और वह कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक सर्वे आदि का कार्य है, यह जहां तक टाउन के एलेक्ट्रिफिकेशन का सम्बन्ध है, उसमें नहीं था, लेकिन बाद में इस टाउन की महत्ता को देखते हुये दोबारा इसका सर्वे इत्यादि कराया गया है।

श्री रघुवीर सिंह---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि बिजली की लाइन किस मार्ग से लायी जायगी और उस मार्ग पर कुछ ट्यूबवेल्स आदि भी बनाने का विचार वे कर रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह---ट्यूबवेल से जहां पर जलेसर को बिजली आने को है यह सर्वे इत्यादि के अन्तर्गत है। यह १२ मील है और उस ट्यूबवेल से ही आ सकती है। बीच में कोई ट्यूबवेल बनेगा या नहीं ऐसा प्रश्न विचाराधीन नहीं है, क्योंकि अभी सर्वे किया जा रहा है।

गाजीपुर, बलिया तथा आजमगढ़ जिलों में उपल पीड़ितों को सहायता

***६२---श्री गौरीशंकर राय**---क्या सरकार को गाजीपुर, बलिया एवं आजमगढ़ जिलों में ओला वृष्टि से हुई क्षति की रिपोर्ट मिली है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां।

***६३-श्री गौरीशंकर राय**---क्या सरकार को उक्त जिलों में हुई वर्षा और तूफान से हुई क्षति की सूचना है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मंत्री जी जिलेवार ओला, वर्षा और तूफान से क्षति का एक संक्षिप्त विवरण देंगे ?

श्री धर्मसिंह---जी हां। जहां तक ओले का सम्बन्ध है, जिला गाजीपुर में दिनांक २१-१-५९ को पड़े और १,९८८ ग्रामों को क्षति हुई है। गेहूं, जौ, चना, मटर इत्यादि की फसलों को क्षति पहुंची है और क्षति लगभग १,००,००,००० रुपये की हुई है। मनुष्यों और पशुओं की कोई हानि नहीं हुई है।

जहां तक बलिया जिले का सम्बन्ध है, जनवरी २१,२२,२६ और २७,१९५९ को ओला पड़ा और १३१ ग्रामों को क्षति हुई है। फसल गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ, आलू, अरहर, इत्यादि की हानि हुई है। फसल की क्षति २,८३,६०० रुपये की हुई है; कुछ मकानों की भी क्षति हुई है।

जहां तक आजमगढ़ जिले का सम्बन्ध है, वहां जनवरी २१,२६, २७ और २८ तथा ११ फरवरी, १९५९ को ओला पड़ा, १,३९५ गांव प्रभावित हुए और फसलों में मटर, जौ, चना ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं माननीय सदस्य सदन में बहुत जोरों से बातें कर रहे हैं। कृपा करके प्रश्नोत्तर सुनने का प्रयत्न करें।

श्री धर्मसिंह---फसल को जो हानि हुई है वह १ आने से १५ आने तक की है। एक गाय की हानि हुई है।

श्री अध्यक्ष---मैं फिर से आगाह कर देना चाहता हूं। मेरी नजर पड़ रही है जो जोरों से बातें कर रहे हैं, मुझे उनका नाम लेना पड़ेगा।

श्री गौरीशंकर राय---क्या राजस्व मंत्री जी इन तीनों जिलों में दी गई सहायता का भी विवरण देंगे ?

श्री धर्मसिंह---गाजीपुर जिले को अहेतुक सहायता १०,००० रुपये दी गई। तकावी के लिये भी कुछ रुपया दिया गया। टेस्ट वर्क के लिये ६५,००० रुपये दिये गये और सस्ते गल्ले की ५ दुकानें खोली गईं।

बलिया में तकावी के लिये १०,००० रुपये और कुछ भूसा इत्यादि का इंतजाम किया गया, कुछ सूखी घास का इंतजाम किया गया; इसी प्रकार आजमगढ़ जिले के लिये ५०,००० रुपये। जहां तक और वसूली का प्रश्न है, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

राजा केरामपुर के लिए बिजली की मांग

*६४---**श्री भूपकिशोर** (जिला एटा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसके समक्ष जिला एटा के टाउन एरिया राजा के रामपुर में बिजली लगवाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मसिंह---ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री भूपकिशोर---क्या सरकार को ज्ञात है कि बिजली की लाइन सिर्फ ४ फर्लांग पर है, इसलिये टाउन एरिया राजा के रामपुर की जरूरत को मद्देनजर रखते हुये सरकार बिजली लगाने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह---यह देखना पड़ेगा कि वहां किस प्रकार की लाइन ४ फर्लांग पर है, दूरी से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता। जिस टाउन का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं उसकी आबादी उतनी है या नहीं और वहां बिजली लगाना लाभकारी होगा या नहीं, इन तमाम प्रश्नों को विचार करते हुये निर्णय किया जाता है।

*६५-६६---**श्री जगन्नाथ लहरी** (जिला आगरा)---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

रिफार्मेटरी स्कूल, लखनऊ

*६७—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि Reformatory स्कूल प्रदेश के किस-किस जिले में हैं और उनमें कितने-कितने बच्चे हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—केवल लखनऊ में एक Reformatory स्कूल है, जिसमें ४५ बच्चे हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त स्कूल में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—रिफार्मेटरी स्कूल्स ऐक्ट के अन्तर्गत जिन बच्चों को सजा होती है उनको उसमें भेजा जाता है और कक्षा चार तक की शिक्षा अनिवार्य होती है। उसके बाद बाहर भी शिक्षा पाने के लिये बच्चों को भेजा जाता है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी के पास इस आशय की शिकायत आई है कि वहां पर खाने और कपड़े की व्यवस्था ठीक नहीं है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मेरे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं है।

श्री प्रताप सिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में और भी इस तरह के स्कूल खोलने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रिफार्मेटरी स्कूल का संचालन किसके तत्वावधान में किया जाता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह समाज सुरक्षा विभाग के तत्वावधान में होता है।

ब्रह्मकुमारियों के कार्यकलाप को रोकने का सुझाव

*६८—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास दिसम्बर, सन् १९५७ के प्रथम पक्ष में ब्रह्मकुमारियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों एवं उनके साहित्य के सम्बन्ध में शिकायतें आई हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं।

*६९—श्री भगवतीसिंह विशारद—यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ब्रह्मकुमारी या ब्रह्माकुमारी कौन हैं और ये क्या कार्य करती हैं और इनका साहित्य क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, कदाचित् माननीय सदस्य को मुझसे ज्यादा मालूम हो। मुझे तो बहुत कम मालूम है। केवल इतना मालूम है कि कुछ इस प्रकार की शिकायत कभी कभी कान में आई कि इस प्रकार की कोई संस्था है जिसमें कि कुछ लड़कियों या कुछ विवाहित स्त्रियों को रख लिया जाता है और वे फिर भजन पूजन आदि के कार्य में रहती हैं। उसके सम्बन्ध में कुछ चर्चायें और शिकायतें भी चलती हैं। इससे अधिक मुझे नहीं मालूम है।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में जांच कराने की कृपा करेंगे कि इन ब्रह्मकुमारियों का कार्य-क्षेत्र क्या है और इनका साहित्य जो विस्तृत रूप से वितरित हो रहा है उससे समाज को हानि हो रही है या लाभ हो रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---माननीय सदस्य ही यदि इस सम्बन्ध में प्रकाश देने की कृपा करें तो मैं अनुगृहीत हूंगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ब्रह्मकुमारियों के प्रश्न पर उत्तर आया है कि जी नहीं--ब्रह्मकुमारों का कोई ऐसा संगठन है जिससे मंत्रि मंडल परेशान है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मेरे मित्र को मालूम होगा; श्रीमन्, मुझे तो मालूम नहीं है ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये ब्रह्मकुमारी प्रतापगढ़ में भी प्रकट हुई हैं, और उनके खिलाफ लड़कियों को भगाने का मुकदमा भी चला और सजा हुई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---प्रतापगढ़ के सदस्य ही इसके सम्बन्ध में ज्यादा जानते होंगे । मुझे मालूम नहीं ।

श्रीमती चन्द्रावती---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ब्रह्मकुमारियों की जो संस्था है उसका हेड आफिस कहां है और क्या लखनऊ में इसकी ब्रांच है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मैंने, श्रीमन्, प्रारम्भ में निवेदन किया कि मुझे बहुत कम मालूम है । लेकिन जितनी अफवाह मैं जानता हूं, मैंने सुना है कि कहीं सिंध में हेड आफिस था और लखनऊ में भी कार्य-क्षेत्र है । इतना केवल अफवाह के रूप में मुझे मालूम है, अधिक नहीं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---इन ब्रह्मकुमारियों के सम्बन्ध में चाहे मंत्री जी को कम ही मालूम हो, लेकिन कुछ तो मालूम है और कुछ शिकायतें भी आई हैं और यहां कई माननीय सदस्यों ने उनके बारे में कई संगीन शिकायतें की हैं । तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि यह शिकायतें सही हैं और क्या इससे समाज को खतरा है ? और यदि खतरा है तो उसके बारे में कार्यवाही करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, मैंने जैसा कि शुरू में निवेदन किया था उसके सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार भी शिकायतें आयेंगी जैसा कि मैंने दूसरे माननीय सदस्य से भी कहा था कि मैं जरूर उस पर कार्यवाही करूंगा, परन्तु मेरे पास अभी तक नियमित रूप से कोई शिकायत नहीं आई है ।

दोहरीघाट पम्प नहर

*७०---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट पम्प नहर, जिला आजमगढ़, द्वारा सिंचन कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, अभी सिंचन कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

*७१---**श्री गरीब दास**---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले में खरीफ के लगान में छूट

*७२---**श्री उग्रसेन**---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में १३६६ फसली के खरीफ की मालगुजारी में प्रति तहसील कितनी छूट दी गई है ?

नोट---प्रश्न ६९ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री चरणसिंह---देवरिया जन-पद में १३६६ फसली के खरीफ की मालगुजारी में प्रति तहसील जो छूट दी गई है वह निम्नांकित है :--

तहसील का नाम	छूट की धनराशि रुपये
१---देवरिया	१,१०,५२७·५०
२---सलेमपुर	४६,८६२·००
३---पडरौना	३१,७१४·३६
४---हाटा	१०,३७१·०३
योग	१,६६,५०४·८६

*७३-७४---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---[१ अप्रैल, १६५६ के लिये स्थगित किये गये।]

आर्य कन्या पाठशाला, रुड़की के लिए भूमि

*७५---**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रुड़की शहर की आर्य कन्या पाठशाला ने भवन निर्माण के लिये कुछ भूमि नहर विभाग से मांगी थी ? यदि हां, तो वह भूमि कब तक कन्या पाठशाला को मिल जायेगी ?

श्री चरणसिंह---जी हां। सिंचाई विभाग ने २६०' × १५०' भूमि ६० वर्ष के लिये २५० रुपये वार्षिक किराये पर पट्टे पर देना स्वीकार कर लिया है। इकरारनामे पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् भूमि आर्य कन्या पाठशाला को दे दी जावेगी।

*७६-७७---**श्री दीनदयालु शास्त्री**---[१ अप्रैल, १६५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*७८-८०---**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)---[१ अप्रैल, १६५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*८१-८२---**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)---[१ अप्रैल, १६५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*८३-८४---**श्री श्रीकृष्ण गोयल तथा श्री शिवराज सिंह** (जिला बदायूं)---[१ अप्रैल, १६५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*८५---**श्री शीतला प्रसाद** (जिला गोंडा)---[१ अप्रैल, १६५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*८६---**श्री उग्रसेन**---[१ अप्रैल, १६५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*८७-८८---**श्री रणबहादुर सिंह** (जिला बस्ती)---[१ अप्रैल, १६५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*८६-६०---**श्री बादाम सिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)---[१ अप्रैल, १६५६ के लिये स्थगित किये गये।]

राप्ती नदी पर जलकुण्डी की योजना

*६१---**श्री बलदेव सिंह** (जिला गोंडा)---क्या सरकार बतानेकी कृपा करेगी कि राप्ती नदी पर जलकुंडी बनाने की योजना जो केंद्रीय सरकार को भेजी गई थी वह स्वीकार हुई या नहीं ?

श्री चरणसिंह---यह योजना केंद्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये अभी नहीं भेजी गई है।

*९२--**श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (जिला जालौन)---[न्याय मंत्री से संबंधित चौदहवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*९३--**श्री गौरीशंकर राय**---[हटा दिया गया।]

*९४-९६--**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (जिला खीरी)---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

फर्रुखाबाद जिले के कलेक्शन अमीन

*९७--**श्री द्वारिका प्रसाद** (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में प्रत्येक तहसील में पूरे वर्ष भर काम करने वाले कितने कलेक्शन अमीन कार्य कर रहे हैं और उनमें तहसीलवार कितने परिगणित जाति के अमीन कार्य करते हैं?

श्री चरणसिंह---आवश्यक सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९३८ पर)

*९८-१००--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---[१ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

गांव समाज तथा गांव पंचायत मिलाने पर विचार

*१०१--**श्री गौरीराम गुप्त**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह गांव समाज और ग्राम पंचायत एक में मिलाने जा रही है? अगर हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चरणसिंह---गांव समाज व गांव पंचायत एक ही स्तर की संस्थायें नहीं हैं। गांव समाज के स्तर की संस्था गांव सभा है और इन दोनों के मिलाने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

खसरे में कैफियत के खाने में कब्जा इन्दराज के सम्बन्ध में सुझाव

*१०२--**श्री मुक्तिनाथ राय**---क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि लेखपालों के खसरे के कैफियत के खाने में दूसरे व्यक्ति का कब्जा दर्ज करने के अधिकार को वापस ले लिया जाय या तत्सम्बन्धी नियमों में संशोधन करके उसको सीमित कर दिया जाय?

श्री चरणसिंह---लेखपालों द्वारा खसरे के कैफियत के खाने में दूसरे व्यक्ति का कब्जा दर्ज करने के अधिकार को वापस लेने का प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है। उनका अधिकार, तत्सम्बन्धित नियमों में इस आशय का संशोधन करके कि यदि लेखपाल भूमिलेख नियमावली के अनुच्छेद ८९-क के प्राविधानों का पालन न करे तो इन्दराज कानूनन मान्य न होंगे, सीमित कर दिया गया है।

दुगांव वासियों को नहरी जमीन का मुआवजा न मिलने की शिकायत

*१०३--**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम दुगांव, जिला नैनीताल के निवासियों को रानीबाग नहर के निर्माण हेतु हस्तगत (acquire) की गई जमीन हेतु मुआवजा अभी तक ७ वर्ष व्यतीत होने पर भी नहीं दिया गया है?

श्री चरणसिंह---रानीबाग नहर के निर्माण हेतु ग्राम दुगांव, जिला नैनीताल, में कोई भूमि हस्तगत नहीं की गई। अतएव इस ग्राम के निवासियों को इस संबंध में मुआवजा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ के लिए मास्टर प्लान

*१०४---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उत्तर-प्रदेश में बाढ़ों की समस्या हल करने के लिये कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चरणसिंह---ऐसा एक मास्टर प्लान बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

*१०५---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---बाढ़ों के संबंध में जो उच्चस्तरीय कमेटी है उसने इस मास्टर प्लान के बारे में क्या राय दी है ?

श्री चरणसिंह---उक्त कमेटी की राय अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

*१०६---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---इस मास्टर प्लान में कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री चरणसिंह---इस मास्टर प्लान में ४७,१८,०८,७८५ रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

बलिया जिले में गंगा व घाघरा के कटाव से क्षति

*१०७---श्री शिवमंगल सिंह (जिला बलिया)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वर्ष बलिया जिले में गंगा व घाघरा नदी के कटाव से किन-किन गांवों तथा कितनी एकड़ भूमि की फसल को क्षति पहुंची है ?

श्री चरणसिंह---इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

एटा जिले में लेखपालों को दण्ड

*१०८---श्री भूपकिशोर तथा श्री गंगा प्रसाद वर्मा (जिला एटा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में सन् १९५७ व सन् १९५८ में कितने लेखपालों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कितने लेखपालों को अदालत के द्वारा जेल की सजायें हुईं और कितनों को विभाग की ओर से दंडित किया गया ?

श्री चरणसिंह---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

हैदरगढ़ के तहसीलदार द्वारा अंग्रेजी में निर्णय लिखने पर आपत्ति

*१०९---श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---क्या माननीय राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के जिलाधीश को तारीख ११-१०-५८ ई० को एक पत्र लिखा गया था कि हैदरगढ़ के तहसीलदार मुकदमों का निर्णय अंग्रेजी में लिखते हैं और निर्णय की नकल जनता को बाराबंकी में मिलती है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सीतापुर जिले में नहर विभाग के अन्तर्गत अमीन, पतरौल तथा डाक नवीस

*११०---डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा (जिला सीतापुर)---क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में सीतापुर डिवीजन के कितने अमीनों तथा पतरौलों का सन् १९५१ से ५८ तक का वेतन का बकाया व तरक्की बाकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

*१११---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में नहर विभाग के डाक नवीसों को ऐतवार तथा अन्य सरकारी छुट्टियां मिलती हैं ? यदि नहीं, तो सरकार के किस आदेशानुसार ?

श्री चरणसिंह—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

हरैया तहसील में घाघरा का कटाव

*११२—**श्री रणबहादुर सिंह**—क्या माननीय राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिसम्बर, सन् १९५७ से नवम्बर, १९५८ तक कितने ग्राम हरैया तहसील, जिला बस्ती के घाघरा के कटाव से कटे हैं?

श्री चरणसिंह—दिसम्बर, सन् १९५७ से नवम्बर, सन् १९५८ तक कुल आठ गांव तहसील हरैया, जिला बस्ती, में घाघरा नदी के कटाव से कटे हैं।

सीतापुर जिले की 'वाटर लागिंग' योजना

*११३—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—'वाटर लागिंग' से संबंधित जिलाधीश, सीतापुर को योजना के संबंध में ३-१२-५८ को पूंछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४८-४९ के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के जिलाधीश द्वारा वाटर लागिंग की योजना विभाग को किस तारीख में प्राप्त हुई थी?

श्री चरणसिंह—यह योजना सिंचाई विभाग में २२-८-५७ को प्राप्त हुई थी।

*११४—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना के प्राप्त होने के बाद "वाटर लागिंग" के लिये सर्व प्रथम जिन रुपयों का एलाटमेंट किया गया, उनमें इस योजना के आधार पर भी विचार किया गया था?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

*११५—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—यदि हां, तो सीतापुर जिले को कितना रुपया एलाट किया गया तथा अन्य जिलों को कितना-कितना?

श्री चरणसिंह—सीतापुर जिले को अभी तक कोई रुपया नहीं दिया गया है। अन्य जिलों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९३९-९४० पर)

देवरिया जिले के बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*११६—**श्री उग्रसेन**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाढ़ पीड़ितों को देवरिया जनपद में प्रति तहसील क्या सरकारी सहायता इस वर्ष (१९५८-५९) में दी गई?

श्री चरणसिंह—देवरिया जिले में बाढ़ पीड़ितों को इस वर्ष (१९५८-५९) में १०-२-१९५९ तक प्रति तहसील निम्नांकित सरकारी सहायता दी गई है—

तहसील		अहेतुक सहायता	तकावी	सस्ते गल्ले की दुकान
		रु०	रु०	
१—देवरिया	..	६,५००	९०,६३०	७१
२—सलेमपुर	..	५,९२६	३७,१९५	५८
३—हाटा	..	२,९५०.५४	१,५४,८५५	७२
४—पडरौना	..	२,०७५	६६,३९०	७९
	योग ..	१७,४५१.५४	३,४९,०७०	२८०

इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण बाढ़ग्रस्त ग्रामों में बाढ़ के समय नावों का प्रबन्ध तथा बीमारियों से बचाव के लिये आवश्यक दवाइयों का भी प्रबन्ध किया गया था।

गोरखपुर व देवरिया जिलों में घाघरा का कटाव

*११७—श्री उग्रसेन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जून, १९५८ से अब तक गोरखपुर देवरिया में घाघरा नदी के कटाव से किन-किन गांवों की कितनी खेती योग्य भूमि कट गई है ?

श्री चरणसिंह—जून, सन् १९५८ से अब तक देवरिया व गोरखपुर जिले में घाघरा नदी के कटाव से जो कृषि योग्य भूमि कटी है उसका विवरण निम्न प्रकार है—

नाम ग्राम	कृषि योग्य क्षेत्रफल एकड़ में जो कट कर नदी में विलीन हो गया।
देवरिया--	
१—महाल मंझरिया	४५
२—डुमरी	३
३—नदौली	२
४—परसियाकूर	५०
५—परसिया दवार	५००
६—भदिला महाल अव्वल	६
७—विशुनपुर दुवार	५५
८—पैना	३५
योग ..	६९६
गोरखपुर--	
१—डेरवा	६०.१५
२—डुमरी	७१.२९
३—जैतीपुर	४५.४७
४—नेतवार पट्टी	९.३४
योग ..	१८६.२५

देवरिया—रुद्रपुर, जिला नैनीताल, में जमीन पर गैर-कानूनी कब्जा

*११८—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया-रुद्रपुर, जिला नैनीताल, में सरकारी जमीन के कुछ ऐसे प्लाट्स हैं जिनमें अनाधिकार प्रकार से कई लोग काबिज हैं और जमीन उनके नाम अलाटेड नहीं है ? अगर हां, तो वे कौन-कौन लोग हैं, कब से काबिज हैं और सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चरणसिंह—जी हां। इस क्षेत्र में सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने अनाधिकार प्रकार से कब्जा कर रक्खा है उनके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही की गई थी और सम्बन्धित अदालत से आवश्यक आदेश प्राप्त किये जा चुके हैं; अब भूमि पर कब्जा वर्तमान फसल कटने के बाद किया जायेगा। जिन लोगों ने इस प्रकार कब्जा किया है उनकी तफसील संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९४१–९४२ पर)

जिला सहारनपुर के ताशीपुर व हथियामल ग्रामों की जलमग्न भूमि

*११९---डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)---क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम ताशीपुर व हथियामल, परगना भगवानपुर, जिला सहारनपुर, में कितनी जमीन वाटर लागिंग से खराब पड़ी है और सरकार उसके बारे में क्या करना चाहती है ?

श्री चरणसिंह---जिला सहारनपुर के परगना भगवानपुर में ताशीपुर ग्राम में २६ व हथियामल में ६६ एकड़ भूमि पानी से भरी रहने के कारण नहीं बोई जा सकी। इसके पानी को निकालने के लिए इस क्षेत्र का सर्वेक्षण (survey) किया जा रहा है और बाद में योजना बनाने के लिए प्रस्ताव रखा जायेगा।

पकड़ी ताल ड्रेन योजना

*१२०---श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के पकड़ी ताल के अतिरिक्त बरसाती पानी के निकास हेतु "पकड़ी ताल ड्रेन" पर कब से कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री चरणसिंह---पकड़ी ताल ड्रेन योजना का प्राक्कलन इस समय विचाराधीन है। प्राक्कलन के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् इस योजना पर कार्य यथाशीघ्र आरम्भ हो जायेगा।

घाघरा नहर की भूमि का मुआवजा

*१२१---श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या घाघरा नहर जहां से प्रारम्भ होती है वहां से १४ मील तक तथा फिर २५ मील के बाद नहर के बीच में आये हुए खेतों का मुआवजा मिला है तथा बीच के ११ मील में नहर में आये हुये खेतों का मुआविजा नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह---घाघरा नहर के लिये ली गयी भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। इसके लिये लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट की धारा ४ के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है और धारा ६ के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। विज्ञप्ति जारी हो जाने पर सम्बन्धित किसानों को मुआवजा दे दिया जायेगा।

लखनऊ जिले के बिजनौर परगने में वर्षा से क्षति

*१२२---श्री रामशरण यादव---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत सितम्बर, १९५८ में भीषण बाढ़ के होने से तहसील व जिला लखनऊ के परगना बिजनौर के मवैया, बिजनौर और बेहसा ग्रामों में कितने मकान गिरे ?

श्री चरणसिंह---कथित तीनों ग्रामों में पूर्णतः कोई मकान नहीं गिरा परन्तु मवैया, बिजनौर व बेहसा ग्रामों में क्रमशः ६,१०० व ५ मकानों को आंशिक क्षति पहुंची।

*१२३---श्री रामशरण यादव---सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या सहायता और किस रूप में की ?

श्री चरणसिंह---ग्राम बिजनौर में मकान निर्माणार्थ तथा मरम्मत कराने के लिये १२० रुपया अनुदान के रूप में वितरित किये गये।

कारों नदी की पानी-निकास-क्षमता बढ़ाने की योजना

*१२४---श्री छत्तर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा में करूं और यमुना नदियों की बाढ़ से बरबाद होने वाले गांव की बचत की कोई योजना सरकार बना रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चरणसिंह---बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिलों के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए कारों नदी की पानी निकास क्षमता बढ़ाने के लिए एक योजना २२ लाख ३४ हजार रुपये की लागत पर तैयार की गयी थी जो राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत भी हो चुकी है परन्तु धनाभाव के कारण इस पर कार्य नहीं किया जा रहा है।

*१२५---**श्री छत्तरसिंह**---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि उपरोक्त बाढ़ से पीड़ित ग्राम सभाओं अथवा क्षेत्रीय प्रसार सेवा खंड, जेवर द्वारा कोई सुझाव सरकार को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो सरकार उन पर क्या विचार कर रही है?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, ऐसा कोई सुझाव सिंचाई विभाग को नहीं प्राप्त हुआ है।

भडांवर तथा बिजनौर परगनों में चकबन्दी

*१२६---**श्रीमती चन्द्रावती**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बिजनौर के भडांवर परगना तथा बिजनौर परगने में चकबन्दी योजना पर कुल कितना सरकारी व्यय हो चुका है?

श्री चरणसिंह---परगनावार खर्चे का व्यौरा नहीं रहता। जिले में कितना व्यय हुआ इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१२७---**श्रीमती चन्द्रावती**---क्या सरकार यह सूचित करने की कृपा करेगी कि उक्त स्थानों में चकबन्दी का कार्य कब समाप्त होकर धामपुर तहसील में प्रारम्भ होने जा रहा है?

श्री चरणसिंह---इस विषय में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है।

वाराणसी में राजघाट के निकट नाव दुर्घटना के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री ऊदल जी ने भेजा है, वह वाराणसी के राजघाट की एक नाव दुर्घटना के विषय में है। मैं समझता हूं यह विषय अभी निश्चित नहीं है और दूसरी चीज यह भी है कि आज भी इसका जिक्र बजट विवाद के समय में, माननीय सदस्य यदि चाहें तो कर सकते हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में सब बातें आ जाती हैं। इसलिये मैं इस वक्त इसकी इजाजत नहीं देता।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास कई सूचनायें आयी हैं, उनमें सब से अधिक महत्व की श्री गेंदा सिंह की है जिसमें वे कहते हैं कि श्री अजीत प्रसाद जैन ने लोकसभा में एक वक्तव्य दिया है, जिसमें गन्ने का अतिरिक्त मूल्य मिलों द्वारा न देने की शिकायत है। वे कहते हैं कि श्री अजीत प्रसाद जैन ने कहा है कि वे प्रदेशीय सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत कर रहे हैं। अगर कोई बातचीत प्रदेशीय सरकार से हुई है तो सम्बन्धित मंत्री जी, यदि इस विषय पर प्रकाश आज डाल सकें तो डाल दें या किसी दूसरे दिन बता दें, यदि आज सम्भव न हो।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---मैंने भी अखबार में इस तरह की थोड़ी-सी चर्चा देखी है, श्री अजीत प्रसाद जैन की स्पीच की, इसलिये आज तो मैं इस विषय में नहीं बता सकता, कल बता सकूंगा। यों भी कल इंडस्ट्रीज का बजट होगा इस सम्बन्ध में कहा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष---कल आप वक्तव्य दे दें और कल इंडस्ट्रीज के बजट में बहस हो जायगी, बाकी विषय अब नहीं लिये जायंगे।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर विवाद स्थगित करने का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स बिल जैसे कि वह रोज ५ बजे पेश होता है उसके सम्बन्ध में मुझे दरख्वास्त करना है कि आज मेरा खयाल है कि माननीय सदस्यों को उस वक्त और दूसरे जरूरी काम हैं, इसलिये इस बिल को आज ५ बजे के बजाय कल ले लिया जाय तो बेहतर है ।

श्री अध्यक्ष---इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बिक्री-कर बिल पेश है और जिस तरह से वह लिया जाता है रोज शाम को तो उसके लिये समय बहुत कम है। एक प्रस्ताव उसे फिर से समिति में भेजने का आ चुका है और अभी २-३ वक्ता और ऐसे ही प्रस्ताव लाने वाले हैं। संशोधन भी इसमें ४०-५० हैं। होना तो यह चाहिये था कि इसे ११ बजे से ही रखा जाता। इस तरह से इसको ५ बजे के बाद रख कर एक दो दिन में पास करा लेना तो बड़ा अन्याय होगा। इसलिये इसे ५ के बाद न रख कर ११ बजे से ही रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष---यह तो आप का नया प्रस्ताव है । इस विषय में तो सदन में प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है कि यह ५ बजे के बाद लिया जायगा। वे अब केवल इतना चाहते हैं कि आज न बैठें और कल से ५ बजे के बाद इसके लिये बैठें। यदि आज नहीं बैठना है तो नहीं बैठेंगे ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हमारे पास कांग्रेस पार्टी के ह्विप आये थे और उन्होंने मुझसे कहा कि वे चाहते हैं कि बिक्री-कर विधेयक कल पास कर दिया जाय। तो हमने उनसे यह कहा कि कारण क्या है। वे बताने लगे कि कौंसिल के पास कुछ कार्यक्रम नहीं है और अगर उनको स्थगित कर दिया जायगा और यह बिल यहां से पास होकर उनके पास नहीं जाता है तो लोगों को आने जाने का किराया देना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि हमें इसकी पूरी जानकारी हो जाय कि कौंसिल के पास क्या कार्यक्रम है और क्या दिक्कत पड़ रही है ? तो हम बाद में उत्तर देंगे। अभी २० मिनट हुए वे मेरे पास आये थे, लेकिन उसके तत्काल बाद ही यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। आप देख लें। कल यह कहा जायगा कि आज इसको पास कर दो। हमारे लिये तो ठीक है कि हम पांच बजे आसानी से चले जावें। अवस्थी जी भी यही कह रहे थे कि पांच बजे के बाद काम न हो। अब यह प्रस्ताव कि कल न लिया जाय और आज न लिया जाय, यह असंगत मालूम होता है और इस तरह की असंगत चीजें ट्रेजरी बेंचेज के लोग समय-समय पर किया करते हैं ।

श्री अध्यक्ष---(श्री सैयद अली जहीर के खड़े होने पर) वे सचेतक के बारे में कह रहे हैं ।

श्री सैयद अली जहीर---श्रीमन्,

श्री अध्यक्ष---तो क्या आप उनकी तरफ से जिम्मेदारी ले कर कह रहे हैं ? वे क्या सब बातें कर आये हैं वह आपको सब मालूम है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां।

श्री अध्यक्ष---जब आप जिम्मेदारी ले रहे हैं तो ठीक है ।

श्री सैयद अली जहीर---मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूं कि यह चीज उससे बिलकुल अलग है। जहां तक उसके कल खत्म होने की बात है कल बजाय १ घंटे के, अगर माननीय सदस्य चाहें, २ घंटे बैठ कर उसको पास कर दें ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूं कि उनसे क्या बातचीत हुई ?

श्री सैयद अली जहीर---जो हुई है वह करीब-करीब यही है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---राजनारायण जी ने जो बात कही है वह ठीक है। कौंसिल के पास इस समय काम नहीं है इसलिये मैंने उनसे कहा था कि यह बिल कल पास कर दिया जाय। या तो हम इसको बिजनेस कमेटी से ही कर लें या इसको वैसा ही कर दें, जैसी उनकी राय हो, यह मैंने उनसे बात की थी।

श्री अध्यक्ष---आपसे उन्होंने कहा कि कल ही वे इसके बारे में विचार कर सकते हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---जी हां।

श्री राजनारायण---श्रीमन् ने यह कहा कि कल १ घंटा नहीं २ घंटा बैठ लेंगे, लेकिन जितनी खूराक मंत्रिगण को मिलती है उतनी हम लोगों को नहीं मिलती। श्रीमन्, आप देखेंगे कि १ घंटे रेसेस का खत्म हो गया और अब ११ से ५ बजे तक लगातार हम लोग बैठें। उसके बाद फिर ५ बजे के बाद भी १ घंटा, २ घंटा, ३ घंटा बैठें, यह सब क्या तमाशा है ?

श्री अध्यक्ष---तो कल के लिये तो मंत्री जी आपका इन्तजाम करा सकते हैं और अधिक राशन वगैरह दिला देंगे।

श्री राजनारायण---मंत्री लोगों से ऐसा काम न कराइये, श्रीमन्, जिससे ट्रेजरी पर भार पड़े। सिर्फ संयम होना चाहिये। इस सदन को सरकारी पक्ष की ओर से जो तमाशा बनाया जाता है वह न हो।

श्री अध्यक्ष---कल १ घंटा बैठना है या नहीं यह प्रश्न तो कल तय होना है। आज तो सिर्फ इतना ही प्रश्न सामने है कि आज शाम को न बैठा जाय। इससे सब सहमत हैं इस कारण आज शाम को हम नहीं बैठेंगे।

स्वतंत्र सदस्यों को विरोधी दलों के सदस्यों की अपेक्षा अधिक समय दिये जाने पर आपत्ति

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---मेरा निवेदन यह है कि जब हमारा नम्बर आता है तो हमें नम्बर नहीं मिलता।

श्री अध्यक्ष---आप इस वक्त कोई भाषण तो नहीं देने जा रहे हैं।

श्री टीकाराम पुजारी---जी नहीं, निवेदन कर रहा था। एक सदस्य के लिये, श्रीमन्, ५ मिनट और १० मिनट जो पार्टी वाले हैं, जो सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट या जनसंघ के सदस्य हैं उनके लिये ५ मिनट और १० मिनट और स्वतंत्र सदस्यों के लिये ४० मिनट जो बिलकुल अंधे के बैल होते हैं न जेवड़ा होता है जिनके पास और न पगहा। सदन के अन्दर, श्रीमन्, ऐसा नहीं होना चाहिये। पार्टी वालों के लिये ४० मिनट और स्वतंत्र को ५ मिनट मिलना चाहिये। स्वतंत्र का कोई पहलू नहीं होता, यह मैं आपके द्वारा, श्रीमन्, अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं इस बात की पालीवाल जी से सिफारिश कर दूंगा कि वे आपको मथुरा से आगरे में बुला लें।

विधायक निवास के एक कमरे में किसी लड़की के बन्द होने की शिकायत

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---निवेदन यह है कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना दारुलशफा में इसके पूर्व हो चुकी है। अभी-अभी हमको खबर मिली है कि ए-ब्लाक के १३६ नम्बर के कमरे में बाहर से ताला बन्द है और भीतर एक लड़की बन्द है, चाहे कोई रेप का केस हो या कोई और तरह का केस हो। पुलिस को खबर गयी है। काफी मात्रा में वहां पर भीड़ जमा है। तो हम चाहते हैं कि आप थोड़े समय के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित करें और हम लोग भी जा कर देखें, क्योंकि कुछ सदन के सम्मानित सदस्य जो अपने निवास स्थान में रह रहे हैं इतना स्कैन्डल बढ़ रहा है कि सुनते-सुनते तबियत ऊब गयी है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सदन को कुछ समय के लिये स्थगित कर दीजिये और आप भी चल कर देख लें कि वहां क्या स्थिति है। सदन के बाहर भी भीड़ खड़ी है और वहां भी भीड़ खड़ी है। सदन में भी हमारे पास बहुत से लोग दौड़ कर आये हैं कि इसको सदन में निवेदन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---माननीय गृह मंत्री जी सदन में मौजूद होंगे या उनके उपमंत्री जी होंगे, उनको इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी हो तो बतायें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---श्रीमन्, अभी कोई दो तीन मिनट हुए एक माननीय सदस्य ने मुझसे इस बात का जिक्र किया कि वहां किसी कमरे में अन्दर से ताला बन्द है और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी के लड़के घेरे हुए हैं। मैं इसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं और पुलिस को भी मैंने खबर दी है कि अगर सचमुच ऐसा है तो वे देखें।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि ऐसे काम के लिये राजनारायण जी ने जो कहा यह अनुचित है कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय। जो कुछ सूचना थी वह दे दी गयी। कायदे के अनुसार गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी है और माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं और उसके लिए उचित कार्यवाही करने का वे आश्वासन देते हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं एक ही निवेदन कर रहा हूं कि मुझे आज्ञा दी जाय। मैं जा रहा हूं और अगर कोई एम० एल० ए० या बाहर की लड़की वहां बन्द हो तो उसको पीटते हुए सदन में ले आऊं।

श्री अध्यक्ष---आप जायं लेकिन पीटियेगा नहीं क्योंकि शान्ति कायम रखनी है।

(श्री राजनारायण जी सदन के बाहर चले गये।)

१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या १३---लेखा शीर्षक २५---सामान्य प्रशासन तथा अनुदान संख्या १४---लेखा शीर्षक २५---आयुक्तों और जिला प्रशासन का व्यय (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---माननीय लोकनाथ सिंह कल भाषण दे रहे थे।

श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने अपने भाषण के सिलसिले में जो माननीय टीकाराम जी ने कहा था कि एम० एल० ए० वगैरह के रहने के जो निवास स्थान हैं उन पर काफी रुपया व्यय हो रहा है, तो उनका नाम लिया था, लेकिन आज

---

†१० मार्च, १९५९ की कार्यवाही से।

सुबह वे आये और मुझसे कहा कि भाई, हमारे नाम तो कमरा एलाट है मैं सरकारी रुपये का अपव्यय नहीं कर रहा हूं और न तो मैंने लिया है। मैंने कहा कि हो सकता है कि हमें गलत सूचना मिली हो, लेकिन मैंने उनसे अपनी राय जरूर जाहिर की। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं सदन को भी यह बताना चाहता हूं कि हम लाखों के प्रतिनिधि हैं और इस सूबे का भाग्य इस सदन से बंधा हुआ है। जब हम प्रशासन पर विवाद चला रहे हैं और उसकी बुराइयों की तरफ माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हैं तो थोड़ा बहुत अपने को भी कसौटी पर कसने की आवश्यकता है। मैं इस बात को मानता हूं कि प्रशासन केवल कोरी आलोचनाओं से न तो सुदृढ़ हो सकता है और न चल ही सकता है। इस प्रदेश का प्रशासन तभी कुशल और सुदृढ़ होगा जबकि जितने हमारे एम० एल० ए० हैं, चाहे इधर के बैठने सवाले हों चाहे उधर के, उनका पूरा सहयोग हो और जनता का नैतिक स्तर ऊंचा हो। अगर मैं यह कहूं कि प्रशासन में कतई खामियां नहीं हैं तो यह गलत होगा। मैं इस बात को मानता हूं कि खामियां हैं और इस अनुदान के सम्बन्ध में हमें उसी पर विचार करना है कि जो खामियां हैं वे किस तरह से दूर की जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा सम्मानित सदन से अनुरोध करूंगा कि इतने बड़े प्रदेश में जो ब्रिटिश हुकूमत में २५०-२७५ साल से गुलाम रहा है, जिस का नैतिक स्तर गिरा हुआ है, उसको ऊंचा उठाना है और उसके प्रशासन को सुदृढ़ और मजबूत बनाना है। जब हम इसे मानते हैं कि हमारे प्रदेश का भविष्य हमारी योजनाओं पर आधारित है और जो योजनायें प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्धशाली बनाने के लिये चलाई जा रही हैं और जिनमें लाखों रुपया व्यय हो रहा है और जिनका सम्बन्ध प्रसाशन से है। तो मेरे खयाल में प्रशासन को सुदृढ़ और मजबूत बनाना हर एक पार्टी का और लेजिस्लेचर का कर्तव्य है। लेकिन मैं आपके द्वारा विरोधी पार्टियों के नेताओं से और माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि प्रशासन की कील को ढीला बनाने में और उसको विनष्ट करने में अपना वक्त बरबाद न करें। आये दिन हड़ताल, जलूस, भूख हड़ताल और प्रदर्शन यह सब क्या हैं? जहां प्रदेश को ऊंचा उठाने में इतनी बड़ी योजनायें चल रही हैं और प्रशासन का जिनसे घनिष्ट सम्बन्ध है उसमें इस किस्म की चेष्टा करना कि सदन में बैठकर कानून बनायें और बाहर जाकर तोड़ें, कहां तक ठीक है। बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जो यहां कानून बनाते हैं और उसको सदन में ही तोड़ने की कोशिश करते हैं।

मैं आपके द्वारा सभी पार्टियों से अनुरोध करूंगा कि केवल आलोचनाओं में अपना समय व्यतीत न करें। सबूत में दो एक बातों की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे पालीवाल जी बुजुर्ग, उच्चकोटि के नेता हैं। कल उन्होंने यह कहा कि इस प्रदेश का प्रशासन मुख्य मंत्री द्वारा नहीं बल्कि मुख्य सचिव द्वारा संचालित हो रहा है। मुझे तो ऐसा आभास मिला है कि शासन प्रणाली में तीव्र गति लायी जा रही है फिर भी कुछ सुधार की आवश्यकता हो सकती है जिस की तरफ मुख्य मंत्री जी और गवर्नमेंट का ध्यान है। जब वे मंत्री थे तो उस समय के जो उनके अधिकारी थे वे शायद उन पर छाया रखते थे, इसी अनुभव पर वे शायद बता रहे थे। एक माननीय सदस्य ने सूचना विभाग को सफेद हाथी से संज्ञा दी और कहा कि इस विभाग में जो नियुक्तियां हो रही हैं वे सही नहीं हो रही हैं। मेरी समझ में बात नहीं आयी कि आया उन्होंने किसी को नियुक्त कराने की कोशिश की या जितनी नियुक्तियां होती हैं उनकी लिस्ट उनको दी जाती है। इस सम्बन्ध में कोई बात हमारी समझ में नहीं आयी। इन आलोचनाओं में न पड़कर मैं कुछ सुझाव मुख्य मंत्री जी को देना चाहता हूं और आशा है कि वे उनको मानेंगे।

हम लोग अपने जिले के वर्कर हैं, घूमते भी हैं और देखते हैं और काफी लोगों से सम्पर्क होता है। मेरा सुझाव है कि जुडीशियरी और एग्जिक्यूटिव को अलग रखा जाय। इसे अलग रखने में ही हमारे विकास और शासन दोनों की भलाई है।

[श्री लोकनाथ सिंह]

दूसरा सुझाव हमारा यह है कि जब कभी अधिकारी देहातों में दौरा करते हैं, उस समय किसानों के मुकदमों की तारीख लग जाती है। दस-दस, बारह मील से चल कर किसान जाते है और साहब बहादुर दौरे पर चले जाते हैं तो पेशकार केवल उन की तारीखें छोड़ देते हैं। इससे किसानों को काफी कष्ट हो रहा है। वकील मुख्तार की फीस का और उसका खर्चा दुगना तिगना होता जा रहा है। अगर इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय आवश्यक समझें तो ऐसा निर्देश करें कि वे दौरों में तारीख न लगायें और सदर में आकर मुकदमें करें या ऐसा सरकारी वकील रखा जाय जिससे गरीब किसानों को राहत मिल सके।

तीसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि जब कभी भी ग्राम पंचायतों की नींव डालने के सिलसिले में या जल्से के सिलसिले में बड़े उपाधिधारी बुलाये जाते हैं तो बीसों किस्म के नामधारी अधिकारी इकट्ठा हो जाते हैं और पांच मिनट के चाय पानी के बाद वापस जाते हैं। लेकिन वे अपना टी० ए०, डी० ए० बना लेते हैं। इसलिये यदि आवश्यक हो तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय विभाग को यह आदेश दे दें कि जो सम्बन्धित अधिकारी, जिन्हें निमंत्रित किया गया है उद्घाटन या नींव डालने के लिये केवल वही जायं और लोग अपनी ड्युटी का अंजाम दें तो बहुत अच्छा हो।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आप से यह प्रार्थना है कि यह जो बीच की बत्ती जलती है यह तो उनके लिये जलनी चाहिये जो आज्ञा नहीं मानते हैं। शिव जी का त्रिनेत्र तो तब खुलता है जब कोई उद्दंड होता है या अवज्ञा करता है। हमारे लिये तो आपका रूप देव का रूप है—"तदेव रूपं रमणीयतायां, क्षणे-क्षणे उन्नवतामुपेति" आज्ञाकारी के लिये बीच की लाइट नहीं जलनी चाहिये। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आपको कोई ऐसी शिकायत नहीं होगी। समय के अन्दर मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से आपके द्वारा इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सूबे की बढ़ती हुई अराजकता के लिये आज कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आत्म-रक्षा की भावना लोगों में से लुप्त हो गयी है। पिछले हफ्ते हमने अखबार में पढ़ा। मि० कपूर, एस० पी०, मुरादाबाद, ने बता दिया था कि चलती हुई बस को रोक लिया गया कांठ और मुरादाबाद के बीच में, दो आदमियों ने जो मुसल्ला थे बस रोक ली। दो आदमियों को उतार लिया और सब के सामने दिन दहाड़े दो आदमियों को कत्ल किया और उनकी लाश को इस तरह से उठा कर ले गये जिस तरह से कोई अनाज या गुड़ वगैरह उठा कर ले जाता है। उस बस में तीस, चालीस आदमी रहे होंगे। हर एक में से यह भावना नष्ट हो गयी कि यह हमारे साथी हैं, उनके लिये हमारा कोई कर्तव्य है। सब के देखते हुए और दिनदहाड़े हत्या हुई। लाश को बड़ी आसानी से वे उठा ले गये। इसका मुख्य कारण यह है कि आज उत्तर प्रदेश का नागरिक हथियार रखने से वंचित है, उत्तर प्रदेश के नागरिक को आज हथियार रखने का अधिकार नहीं है। एक-एक बन्दूक के लाइसेंस के लिये डेढ़-डेढ़, दो-दो साल हो जाते हैं और एक-एक हजार, दो-दो हजार रुपया रिश्वत देना पड़ता है, तब भी लाइसेंस मंजूर नहीं होता। सन् १९३१ में करांची कांग्रेस में परम पूज्य बापू जी के नेतृत्व में हमने यह पास किया था, मैं भी इत्तिफाक से उस समय कांग्रेस का डेलीगेट था और १५ अगस्त, सन् १९४७ की आधी रात तक मैं कांग्रेस में रहा, तब हमने परम पूज्य बापू जी के नेतृत्व में यह पास किया था कि किसी भी भारतवासी को हथियार रखने के लिये लाइसेंस की जरूरत न हो क्योंकि यह आजादी आत्म-रक्षा के, मूल अधिकार के खिलाफ है। लेकिन आज हमारे प्रदेश के इतने न्यायप्रिय मुख्य मंत्री के होते हुए भी यह अधिकार प्रदेश की जनता को प्राप्त नहीं है।

अभी पिछले दिनों सदन में चर्चा चली थी कि हरदोई के एक एम० एल० ए० भाई हैं उन एम० एल० ए० की बन्दूक की लाइसेंस की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। इससे

ज्यादा हमारे लिये क्या अपमान की बात हो सकती है कि एक एम० एल० ए० के कैरेक्टर के विषय में १२५ रुपये माहवार के पुलिस सब-इंसपेक्टर से पूछा जाय। आपके द्वारा मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन है कि यह आत्म-रक्षा की भावना के खिलाफ है, स्वराज्य की भावना के खिलाफ है। और आज जितना करप्शन बन्दूक के और रिवाल्वर के लाइसेंस के पीछे हो रहा है उतना किसी और चीज के पीछे नहीं हो रहा है। खास तौर पर मुसलमानों और हरिजनों ने तो यह खयाल ही छोड़ दिया है कि उनको भी हथियार का लाइसेंस मिल सकता है। मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूं जो रिवाल्वर के लाइसेंस के पीछे पांच हजार रुपया रिश्वत दे चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें लाइसेंस नहीं मिला। तो आजादी की, आत्म-रक्षा की यह भावना कब जागृत होगी? गांवों में आज खुलेआम डकैत आते हैं। दो-दो हजार की आबादी को दो बजे, तीन बजे दिन में लूटा जाता है। हजारों आदमी पंगु बने हुए खड़े रहते हैं। आज शस्त्रों की ट्रेनिंग देने की जरूरत थी अपने देश को मजबूत करने के लिये। लेकिन दुर्भाग्य से आज दो प्रकार की ट्रेनिंग अपने यहां दी जा रही है। एक कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर नाचने और गाने की ट्रेनिंग और दूसरी अम्बर चर्खे की ट्रेनिंग। अगर कभी हमला हो जाय तो कुछ लोग तो नाच गाना दिखा कर शत्रुओं को वश में करना चाहेंगे और कुछ लोग खद्दर के थान फेंक कर मारेंगे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। क्या आज से पहले भी कभी यह सुना था कि चलते हुए लोग लूटे गये हों? आज से पहले कभी यह सुना था कि दो तीन बजे दिन में डकैती हुई हो? दूसरी तरफ यह हाल है कि जो मिनिस्टरों के कृपा पात्र हैं, जो कांग्रेसी एम० एल० एज० के मंजूरेनजर हैं वे किडनैपिंग करते हैं, औरतें भगाते हैं और बन्दूक गले में लगाकर घूमते हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूं उसका प्रमाण मेरे पास मौजूद है। मैं बदकिस्मती से ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां ८५ हजार के करीब वोट कांग्रेस के खिलाफ पड़े हैं। उनको रोज यह दहशत कांग्रेसियों की ओर से जाती है कि तुम्हारे यहां डकैती पड़ेगी, हम लोग कोई इन्तजाम नहीं करेंगे। तुम्हें किसी हालत में भी हथियार रखने का लाइसेंस नहीं दिया जायगा। क्या जनतंत्र की भावना इस तरह से पनप सकती है? हम भी पहले आपके साथ में थे। कांस्टीट्यूशन ने हक दिया कि हम आपके खिलाफ खड़े हो सकें। जनता ने हमें यहां भेजा। जनता न भेजहमें तो हम न आते। लेकिन हमारे सामने ही वे लोग जो सन् ४७ के बाद चोरदरवाती से कांग्रेस में आये, जब साढ़े तेरह साल की उम्र में मैं फांसी की कोठरी में था तो जो लोजे हमारे खिलाफ दरख्वास्तें दिया करते थे वे आज जिला कांग्रेस कमेटियों के जनरल सेक्रेटरी बग बैठे हैं। वे जिला कांग्रेस कमेटी के सदर रह चुके हैं। उस जमाने में जो अंग्रेजों क पिट्ठू थे, कांग्रेस तहरीक को जो कुचला करते थे वही आज जिला कांग्रेस कमेटी के ऊपर कब्जा करके अफसरों के ऊपर रोब गांठते हैं और पब्लिक को भय दिखाते हैं।

हमेशा फिक्र रही है जिन्हें जलाने की,
वे बिजलियां हैं मुहाफिज अब आशियाने की।

जिन्होंने हम लोगों के ऊपर डंडे बरसाये थे, वे आज कांग्रेस कमेटी पर कब्जा करके कलेक्टर साहब से कहते हैं कि जिसे हम कहें उसे लाइसेंस दिया जाय। आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी से मेरा यह निवेदन है कि इस उत्तर प्रदेश की साढ़े छः करोड़ के लगभग जनता की जानोमाल की हिफाजत के लिये कोई इन्तजाम करें। कोई ऐसा इन्तजाम हो यहां की जनता के लिये कि इस प्रदेश का हर एक नागरिक अपने आपको महफूज समझ सके। देहात की ऐसी बुरी हालत हो गयी है कि सौ रुपये का नोट लेकर कोई आदमी चल नहीं सकता। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि जो हमें सत्परामर्श देंगे उसे हम स्वीकार करेंगे। तो माननीय मुख्य मन्त्री जी के लिये मेरा सत्परामर्श यही है कि वे जो दिन रात ६, ७ घंटे पढ़ा करते हैं, उसे छोड़ें जनता के संपर्क में आवें। उनके इस पढ़ने से लोक हित नहीं हो सकता, उनका ज्ञान

[श्री यशपाल सिंह]

भंडार भले ही बढ़ सकता है । आज यह अच्छा नहीं लगता कि वे अपना ज्ञान भंडार बढ़ाते रहें और जनता उनके दर्शन न पा सके और वे उसकी हिफाजत का इन्तजाम न कर सकें । क्या यह हमारे लिये इज्जत की बात है कि जिस सदन में हमारे मुख्य मंत्री जी इतने बड़े विद्वान हैं, विद्या के समुद्र हैं, उसी सदन के १३ सदस्य माननीय पंडित गोविन्द बल्लभ पंत के लिये काउंसिल आफ स्टेट्स का वोट डालने गये तो उनको यह पता नहीं था कि पंडित गोविन्द बल्लभ पंत के नाम के पीछे निशान लगाना चाहिये या सामने, दाईं तरफ वोट दें या बाईं तरफ । मेरा सत्परामर्श आपके लिये यह है कि आपका ज्ञान भंडार भर चुका है, भरा हुआ है । आप पब्लिक के संपर्क में आवें और कोठरी में बैठकर किताबों का पढ़ना छोड़ें । चूंकि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मान सम्मान में बड़े हैं, विद्या में बड़े हैं, इसलिये मैं इतनी धृष्टता तो नहीं करूंगा कि उपदेश दूं, किन्तु वर्ड्सवर्थ के लफ्जों में यह कहना चाहता हूं ।

"Up Up my friend, and quit your books,
Up Up my friend, and clear your looks"

बजाय इसके कि आप कोठरी में बैठकर पढ़ें कुछ प्रकृति में जाइये, कुछ पब्लिक के संपर्क में जाइये।

"One impulse from a veneral wood
May teach you more of man,
Of moral evil and of good
Than all the sages can."

जनता का यह तकाजा है कि आप जनता तक पहुंचें और किताबों को छोड़ें । जनता की समस्याओं को देखें, सोचें, समझें और उनको सुलझावें । लोगों में आत्म-रक्षा की भावना लायें और इस बात के लिये यह चाहिये कि उनके पास हथियार हों । अगर उनमें आत्म-रक्षा की भावना आ जायगी तो यह जो दिन में डकैतियां होती हैं बन्द हो जायंगी, जो देहातों में लूटमार होती है यह बन्द हो जायगी । जो लोग रास्ता चलते लूट लिये जाते हैं यह लूट बन्द हो जायगी ।

आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि मनुष्य को चरित्र की शिक्षा दी जाय । मेरी आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि अंग्रेज के जमाने में कभी ऐसा नहीं सुना गया कि कोई पुलिस का आदमी बगैर मजिस्ट्रेट की आज्ञा के गोली चला सका हो । पिछले महीने देवबन्द में गन्ने की हड़ताल के सिलसिले में वहां हेड कांस्टेबुल ने बिना किसी मजिस्ट्रेट के या किसी एस० पी० की आज्ञा के सिर्फ मिल मालिक को खुश करने के लिए, हड़ताल को तुड़वाने के लिए गोली चलायी । इसी झगड़े में एक आदमी अस्पताल में जाकर मर गया लेकिन उस कांस्टेबिल के खिलाफ ऐक्शन नहीं लिया गया । आज हेड कांस्टेबुल की यह हिम्मत ! वह समझता है कि मिल मालिक करोड़पति है और वह उसके गुनाहों पर परदा डाल सकता है । मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी के सदाचार, चरित्र और विद्वता पर विश्वास है, लेकिन उनसे प्रार्थना है कि वह जनता के सम्पर्क में आवें और देखें कि क्या हो रहा है ? मुझे आप माफ करेंगे । कहीं widow-rule हो, कोई विधवा राज कर रही हो, बेवा गद्दी पर बैठी हो, वहां भी इतनी अराजकता नहीं फैल सकती । कोई कहीं क़त्ल कर दे, डाका डाल ले, कोई रोक थाम नहीं है । बाजारी कुलटाओं के गाये हुए गाने, कहीं भी माइक्रोफोन लगा कर गाये जा सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं । चाहे पूजा का समय हो, चाहे नमाज का वक्त हो, चाहे बच्चों के इम्तिहान हो रहे हों, चाहे अस्पतालों में नाजुक-तरीन आपरेशन हो रहे हों लेकिन अश्लील गानों के रिकार्ड पर कोई पाबन्दी नहीं है । तो मेरी प्रार्थना है कि इसे आप कानून के जरिए रोकें तभी जनता के चरित्र का निर्माण होगा । चरित्र आज एक मजाक बना हुआ है । जो सिग्रेट पीता है वह भी चरित्र की दुहाई देता है । जो शराब पीता है वह भी चरित्र का उपदेश देता है । अगर आज भी समाज कल्याण नहीं हुआ तो फिर नहीं हो सकता ।

मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि चरित्र निर्माण के लिये और जनता की रक्षा के लिये कोई उपाय करें । अपने ही इस दारुलशफा के एक ब्लाक के अन्दर

हमारे दो साथी भूख-हड़ताल कर रहे हैं। ठाकुर मुकुन्द सिंह जी और मदन पांडेय भूख-हड़ताल कर रहे हैं। अगर हमारे मुख्य मंत्री जी उनके पास जाकर उनकी मिजाज पुरसी करेंगे तो इससे उनकी इज्जत बढ़ेगी। अगर वे उनके पास जाकर हड़ताल को तुड़वाने की कोशिश करेंगे तो इससे उनका बड़प्पन और भी बढ़ेगा और उनकी इज्जत बढ़ेगी। "खाकसारी चाहिये जिसको खुदा देवे अरूज, है फ़लक़ पर माहेताबां और जमीं पर रोशनी" तो इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी। इन दो व्यक्तियों की आहुति हो रही है। हमारे दो साथी अपने प्राणों की बाजी लगाये हुए हैं। यदि मुख्य मंत्री जी उनके पास जायेंगे तो उससे बड़ा कल्याण होगा और प्रदेश में शान्ति स्थापित होगी। शक्ति का अर्थ यही है। विद्या भी इसी को कहते हैं कि वह लोगों के सम्मान में लगे, लोगों का बड़प्पन बढ़ाने में खर्च हो।

अध्यक्ष महोदय, बीच की बत्ती नहीं जलनी चाहिए। मुख्य मंत्रीजी कुछ ऐसा करें जो श्री ठाकुर मुकन्द सिंह जी और मदन पाण्डेय जी एम० एल० ए० की जान बचे। प्रदेश में शान्ति स्थापित हो।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि शासन की सुविधा की चरमसीमा तो रेन आफ सेन्स में होती है और तब ही जाकर शासन व्यवस्था पूर्ण होती है जब सन्तों का समय हो। ऐसा एक समय था जब कि हमारा लक्ष्य था कि "न दंडो न च दंडका, सधर्मरेव रक्षन्ति ये धर्म परस्परम्" उस समय न तो कोई दण्ड था और न कोई दण्ड को देने वाला था। ऐसी बातें हमारे ग्रन्थों में लिखी पड़ी हैं। उस ओर हम लोग चल रहे हैं और उस प्रकार के समाज की रचना की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं या नहीं, इस विषय का हमें चिन्तन थोड़ा करना है। पर लक्ष्य तक पहुंचने के लिये हमारा पथ किस तरह का हो यह एक विचारणीय बात है। इस ऐन्द्रिय युग में जो हमारी संचालित नीति है उसमें हमारे प्रदेश की जो परिस्थिति है उसमें हमें यह देखना है कि हमारा पथ क्या हो और किस ओर हम जा रहे हैं? हमारे प्रदेश की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जो जाकर ग्रामों में चरित्र निर्माण का कुछ प्रचार किया करे। पिछले कार्यकाल में इसकी व्यवस्था रही है परन्तु इस समय इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कह सकता हूं कि उस भारतीय दण्ड विधान और दण्ड विधि संग्रह से कुछ व्यक्तियों को भले ही आप जेल में बन्द कर दें किन्तु वह व्यवस्था नहीं आ सकती है। इसके लिये आपको मनुष्य का अन्तर्तम स्पर्श करना पड़ेगा इसके लिये आपको प्रचार करना पड़ेगा। थानों के अन्दर अपराध निरोधक एक योजना आपको बनानी होगी। उससे समाज का सुधार कुछ हो सकता है मगर उसके लिये थोड़ा परिश्रम करना होगा। इसमें सन्देह नहीं है कि हमारा मंत्रिमंडल सैकड़ों व्यक्तियों से यहां पर इन्टरव्यू करता है, लेकिन उनको भी यह चाहिये कि गांवों में जायं। उनके जो दौरे होते हैं वे केवल जिलों के स्थान पर या कुछ डाक बंगलों में जाकर चले आते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वे भी गांवों में जायं। सब ग्रामीणों से मिलें। वहां पर चरित्र निर्माण के विषय पर उनको स्पर्श करायें। सम्भव है इससे कुछ सुव्यवस्था वहां पर आये। वैसे चरित्र निर्माण कहने से चरित्र का निर्माण नहीं होगा। चरित्र के लिये उनको आदर्श उपस्थित करना होगा। हमारा आदर्श यही है जो हमारे यहां परम्परा रही है और जो आप्त पुरुषों के वाक्यों में कहा गया है। यदि हम सदाचार के साथ उन परम्परागत आदर्शों को फैलायें तो सम्भव है कि कुछ देश में प्रगति आये अन्यथा इस ऐन्द्रिय युग में जब कि प्रत्येक लक्षपति के लक्ष्य की ओर चल रहा है, प्रगति कठिन है। हमको इस प्रकार की योजना बनानी होगी जो सफलता पूर्वक यहां पर चल सके लेकिन यहां पर गाली देने से या केवल उपालम्भात्मक दृष्टिकोण से कांग्रेसी मंत्रियों पर छींटाकसी करने के दृष्टिकोण से कोई सुव्यवस्था इस प्रदेश में नहीं लायी जा सकती है। हमें एक-एक करके अपने को देखना होगा। प्रत्येक विचार जो हमारे हृदय में उत्पन्न होता है उस पर हमें स्वयं शासन करना होगा और कम से कम सदन में बैठने वाले सदस्यों को एक आदर्श

[श्री रामलखन मिश्र]

प्रदेश में उपस्थित करना होगा। तभी उनको यह अधिकार है कि वे प्रदेश की सुव्यवस्था का सिंहावलोकन कर सकें। ये ऐसी बातें हैं कि जिनकी ओर मैंने संकेत किया आज परलोकवाद का भय समाप्त हो चुका है, आध्यात्मिकता के न होने के कारण लोग मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्रायः भूल गये हैं। उनको कहां जाना है, क्या करना चाहिये, उनकी दिशा दृष्टि क्या हो, यह सब का उचित निर्देश न होने के कारण देश को आज सन्निपात सा हो गया है और भौतिकवाद में प्रवेश करने के कारण वह अपने लक्ष्य को आज धुंधले रूप में देखता है और इसके कारण ही हमको एक बड़ी पीड़ा हुआ करती है। किन्तु इस बात को मैं और अधिक न बढ़ा कर क्योंकि मेरा समय भी पूर्ण होता होगा, चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी से कुछ निवेदन करूं।

मैं जिस जिले से चुनकर आया हूं वहां ६ तहसीलें हैं और उनकी शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है। इन में से कुछ नैपाल बार्डर पर हैं-डुमरियागंज, बांसी और नौगढ़, और वहां की लाखों जनता की मांग है कि इन तीनों तहसीलों का एक पृथक जिला कर दिया जाय। यह उपेक्षित दृष्टि से देखी जाती है। शासन उनको पूरी तरह से देख नहीं पाता है। बस्ती से चलने के बाद अगर कोई इन क्षेत्रों में जाना चाहता है तो उसे गोंडा होते हुए जाना पड़ता है और वह इतने समय में वहां पहुंचेगा कि जिससे कम समय में वह कलकत्ता पहुंच सकता है। मैं सदन में कहते-कहते थक गया हूं कि वहां एक पुलिया का निर्माण हो जाने से मनुष्य अपना सामान ले जा सकते हैं, अभी पचासों मील सामान ले जाना पड़ता है। मुमकिन है कि उस के लिये शासन को कोई कठिनाई हो, लेकिन अगर एक जिला पृथक हो जाय तो वहां का विकास आगे चल सकेगा।

दूसरी बात यह है कि जो ब्लाक्स का शासन है, विकास खंडों का, उसमें जो शासन व्यवस्था है उसके अन्दर उच्च राजकर्मचारियों द्वारा उद्घाटन और विसर्जन करने के क्रम को माननीय मुख्य मंत्री जी को रोक देना चाहिये। क्योंकि ये अवसर इतने लुभावने होते हैं, इतने सुसज्जित होते हैं और ये अधिकारिवर्ग मालाओं से और उसके बाद वहां पहुंचने पर इतना गंभीर जलपान होता है उनका कि वे वहां का निरीक्षण ठीक से नहीं कर पाते हैं। मैंने प्रत्यक्ष देखा है और वे विपरीत दिशा में चले जाते हैं। उसमें साज-सज्जा की जितनी सामग्री रखी जाती है वह उन बेचारे किसानों पर पड़ती है और यह क्रम कमिश्नर से लेकर यहां तक चला आता है। कमिश्नरों के पदों के अनुभव की बात जो कही जाती थी, माननीय मुख्य मंत्री जी से सुनी थी, उसमें थोड़ा तत्व भले ही हो, लेकिन वह तो इस समय केवल भोग के लिये हैं। यह समय है जब इस पद को तो अवश्य तोड़ देना चाहिये। इस समय कमिश्नरों के पद की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मेरी दूसरी मांग है।

तीसरी बात, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि, हमारे मंत्रियों को अपना लक्ष्य ग्रामों में बनाना चाहिये। वह वहां जाकर कैंप लगायें, उन में मिलें-जुलें। यह बड़ा उद्देश्यपूरक होगा और उनमें इस से एक व्यवस्था की बात आयेगी। चूंकि लाल बत्ती सामने आ गयी और मैं मर्यादा में चलने वाला व्यक्ति हूं इस कारण मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जो बस्ती से आते हैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि अपने १० मिनट के भाषण में कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा कि जिसको वे गाली कहते हैं।

मान्यवर, मुझे उम्मीद थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रशासन के विषय में कुछ कहेंगे। उन्होंने केवल एक शब्द कहा कि यह कोई नियोजन नहीं है जिस पर हमें विस्तार से भाषण देना चाहिये। इस शब्द से मुझे दुख जरूर हुआ और वह इसलिये कि माननीय मंत्री जी का विभाग एक ऐसा विभाग है जहां से स्विच आन होता है। उस विभाग से सारा प्रशासन प्रदेश का चलता है। लेकिन जिस प्रशासन की बात आज मुख्य मंत्री जी करते हैं वह वही है जो गुलामी के जमाने से उन मस्तिष्कों से बना है जो हिन्दुस्तान में जनता की सेवा नहीं करना चाहते थे, जिन में सर्विस की कोई भावना नहीं थी,

केवल रूलर की भावना थी और वही प्रशासन आज चल रहा है।

इसके संबंध में कि प्रशासन कैसा होना चाहिये प्लानिंग कमीशन के दो शब्द आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं––

"The principal objective in administration is the achievement of high standards of efficiency and integrity and the securing of a large measure of public co-operation."

प्लानिंग कमीशन यह कहता है कि अगर आज हम प्रशासन को ठीक करना चाहते हैं तो उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिये, ईमानदारी उसमें होनी चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि प्रशासन ईमानदार है या नहीं। मैं माननीय मंत्री जी का इस बात के लिये आभार प्रकट करता हूं कि सिंचाई अनुदान के संबंध में सारदा सागर बांध के संबंध में जो बातें यहां कही गयीं, उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री ने जांच किये जाने का आश्वासन दिया है। इसका समर्थन और स्वागत विरोधी दलों की तरफ से हुआ है। उसके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जो ने इंटीग्रिटी को ऐस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। किसी भी मंत्री महोदय के लड़के की बात हो, आप उसकी जांच कर रहे हैं। कौन वह मंत्री महोदय हैं और कौन उनका लड़का है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं यह बात कह रहा हूं कि उनकी इस सूचना का स्वागत विरोधी दलों की ओर से हुआ है। लेकिन मैं उनसे मांग करना चाहता हूं कि यदि कोई और ऐसे मंत्री या एक्स-मिनिस्टर हों जिनके बारे में माननीय सदस्य यह तथ्य प्रस्तुत कर सकें कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है तो उनके बारे में वे आज अपने भाषण में स्पष्ट करें कि क्या वे उनके खिलाफ भी जांच करने की कृपा करेंगे?

सामान्य प्रशासन के संबंध में बराबर लोगों की यह मांग रही है कि विधान परिषदों को समाप्त किया जाय। बराबर यह मांग रही है कि गवर्नरों के पदों को और जो नामिनल हेड्स हैं उनके पदों को समाप्त किया जाय क्योंकि उन पर जो खर्चा हो रहा है, वह बेकार हो रहा है। जहां विधान परिषद् का सवाल है विधान सभा को यह हक दिया गया है कि वह जब चाहे उसको समाप्त कर दे। आज ही मंत्री जी की तरफ से कहा गया कि वहां काम नहीं है, वे घर जाना चाहते हैं इसलिये सेल्स टैक्स का बिल जल्दी से पास कर दिया जाय। जब उनके पास कोई काम ही नहीं है तो फिर उस की जरूरत क्या है?

वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्री महोदय ने अपने भाषणों में बताया कि कम तनख्वाह पाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं उतना रुपया कहां से लायें। जो सच्चा कल्याणकारी राज्य इस प्रदेश में कायम करना चाहते हैं उनसे ऐसी बात सुनने में अच्छी नहीं मालूम होती है। मैं तो चाहता हूं कि उनका तो यह ध्येय होना चाहिये कि 'बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय'। ग्रेटेस्ट गुड आफ ग्रेटेस्ट नंबर। आपने १०० रुपया तक पाने वालों का केवल ढाई रुपया बढ़ाया। यह संतोषजनक वृद्धि नहीं है। आप क्यों नहीं ऐसे स्थानों से खर्चा कम करते हैं जहां से हो सकता है?

किसी भी सरकार के लिये "Finance is the fuel of the administration and sound public policy is the essential for good Government." अर्थ-शास्त्री ऐसा कहते हैं। जब बजट पेश होता है तो उसको डैफिसिट दिखाया जाता है, लेकिन जब साल पूरा हो जाता है तब कहा जाता है कि इतना रुपया लैप्स हो गया। तो श्रीमन् जिसको साउन्ड बजट कहते हैं, उसकी बड़ी उपेक्षा हो रही है।

बार-बार आश्वासन दिये जाते हैं कि पिछड़ी हुई जातियों को आगे बढ़ाया जायगा। लेकिन आज उसी तबके में थारू, बोक्सा और गोठिया जातियां हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उदाहरणार्थ खटीमा, सीतारगंज तहसील में ३८ हजार थारू हैं जिनमें उनका केवल एक लड़का ग्रेजुएट है लेकिन उसको अभी तक कोई स्थान नहीं मिला। इस

[श्री प्रताप सिंह]

कारण से कि उसकी कोई सिफारिश नहीं है । वह उन तक नहीं पहुंच पाता है, जिन तक उसको पहुंचना चाहिये ।

प्राक्कलन समिति ने कहा कि सूचना विभाग को सामान्य प्रशासन से अलाहिदा होना चाहिये । क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि कौन से ऐसे कारण थे जिनके कारण जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर ही इंफार्मेशन विभाग को रखा गया है ? बार-बार इस बात की शिकायत की जाती है गवर्नमेंट प्रेस में हजारों किताबें पड़ी हैं । 'अब और तब' की ५ हजार प्रतियां वहां पड़ी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है । मैं चाहता हूं इसकी जांच हो । इंफार्मेशन डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का अलग है, शिक्षा विभाग का अलग है । क्या जरूरत है दोनों को अलाहिदा रखने की ?

(इस समय १२ बजकर ५० मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मी-नारायण बंसल पीठासीन हुये ।)

दो चीजें सामने आती हैं । या तो इंफार्मेशन डिपार्टमेंट को समाप्त कर दिया जाय या ये जो ब्यूरो बने हुये हैं उनको खतम कर दिया जाय । मैं चाहता हूं कि पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का हिसाब अलग से छापा जाय । ए० जी० ने मांग की है कि पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का हिसाब अलग से छपना चाहिये । मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ ? एकोनामी कमेटी ने भी ऐसी सिफारिश की थी । माननीय मुख्य मंत्री जी तथा तमाम मंत्रिगण अपनी-अपनी कमेटी के प्रेसीडेंट रहते हैं लेकिन कमेटी जो सिफारिश करती है उस पर अमल नहीं करते तो यह चीज इस हाउस की मर्यादा के विपरीत है । प्राक्कलन समिति तथा एकाउन्ट्स कमेटी ने भी कहा कि इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट का काम इंफार्मेशन डाइरेक्टोरेट से अलग किया जाय और दूसरी सिफारिश यह थी कि इंफार्मेशन डाइरेक्टोरेट के कर्मचारियों को वही तनख्वाह मिले जो किसी हेड आफ दी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को मिलती है । लेकिन इस तरह की कोई चीज अभी तक नहीं हुई है । एक, दो दफा यहां सवाल भी आया पिछली दफा जब सन् १९५७ में एलेक्शन हुआ था तो इंफार्मेशन डाइरेक्टोरेट का खर्चा हजारों की संख्या में बढ़ गया था । आखिर सन् १९५७ में खर्चा क्यों बढ़ा इसका कोई हिसाब नहीं दिया गया । तमाम पत्रिकायें निकाली जाती हैं मालूम नहीं कि उसमें कौन सलाह देता है कि क्या रचना छपनी चाहिये और क्या नहीं । अगर नेशनल हेराल्ड में कोई चीज निकलती है और हम लोग उसका यहां हवाला देते हैं तो माननीय मंत्रियों की तरफ से कहा जाता है कि अखबार में निकली हुई किसी चीज का यकीन नहीं किया जा सकता कि यह सही ही है । तो आज जरूरत इस बात की है कि जो पालिसी गवर्नमेंट की है वह किसी ऐसे अखबार में छपनी चाहिये जिनको हम अथारिटेटिव तरीके से कह तो सकें कि यह गवर्नमेंट का अखबार है और इसमें छपी हुई बातों को हम आपके सामने रखना चाहते हैं । इनफार्मेशन डिपार्टमेंट की यह जिम्मेदारी है कि कुमायूं में जो सेटलमेंट हो रहा है, या कोआपरेटिव फार्मिंग जो हम लागू करने जा रहे हैं, उसके उसूलों को छपवा कर जनता में बंटवाये ताकि जनता को उसकी अच्छी तरह से जानकारी हो सके । माननीय मुख्य मंत्री जी को इस पर भी गम्भीरता के साथ ध्यान देना चाहिये ।

बुन्देलखंड की विकास योजना के लिये १८३.३५ लाख, पूर्वी जिलों की विकास योजना के लिये ७५३.५१ लाख, पहाड़ी जिलों की विकास योजना के लिये २९१.८५ लाख और दुद्धी तथा राबर्ट्सगंज की विकास योजना के लिये ५० लाख रुपया रखा गया है । यह चीज सूचना विभाग ने अपनी तरफ से छपवा कर पहले ही बंटवा दी लेकिन आज योजना क्या है यह किसी को मालूम नहीं है । जब हम लोग कुमायूं में जायेंगे तो वहां की जनता हमसे पूछेगी कि वह योजना क्या है ? बताइये, फिर हम लोग क्या बतला सकेंगे । माननीय मुख्य मंत्री जब नैनीताल गरमी में जायेंगे तो उनसे भी सवाल पूछा जायगा कि वह योजना क्या है ? इसलिये

मैं चाहता हूं कि इनफार्मेशन डाइरेक्टोरेट से जो इस तरह की चीजें हो रही हैं उनको समाप्त किया जाय।

इसके अलावा मान्यवर यह सचिवालय जहां पर सरकार के सारे कार्य होते हैं, १०–१० साल से लोग सर्विस में हैं, लेकिन अभी तक वे स्थायी नहीं किये गये हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहता हूं कि इसकी जांच हो कि इसका कारण क्या है। माननीय गोविन्द बल्लभ पंत जी की अध्यक्षता में जो डिसिप्लिनरी इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी उसने भी इस तरह की सिफारिश की थी कि ३ साल से अधिक जिनकी सर्विस है उनको क्वैसी परमानेंट करार दिया जाय लेकिन आज तक उनको परमानेंट नहीं किया गया है। इसके अलावा श्रीमन्, लिपिक, जो अब तक हाई स्कूल पास ही रखे जाते थे जिनमें बहुत से गरीब चपरासियों के लड़के भी हाई स्कूल पास करके सर्विस में आ जाते थे, लेकिन अब लिपिक की भरती के लिये क्वालिफिकेशन बी० ए० पास कर दिया गया है। श्रीमन्, ज्यादा क्वालिफिकेशन से एफिशिएंसी नहीं बढ़ती है एफिशिएंसी बढ़ती है देश और प्रदेश की वफादारी करने से। तो मैं कहूंगा कि ये तमाम चीजें हैं जिनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

एक बात मैं श्रीमन्, पर्वतीय जिलों के बारे में यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां के जो ४ जिले हैं उनको बार्डर एरिया घोषित कर दिया जाय क्योंकि वहां पर अभी तक कोई सड़क वगैरह भी नहीं बन सकी है और ८० लाख रुपये से ज्यादा की बचत हो गयी है। मैं अन्त में केवल यह कहना चाहता हूं कि बार-बार जो सहयोग देने की बात की जाती है तो अगर कोई सुधार का कार्य हो तो उसमें सहयोग देने के लिये हम बराबर तैयार हैं। माननीय पंत जो ने ११ मार्च, १९२६ को, जब कि वे स्वाराज्य पार्टी के लीडर थे लेजिस्लेटिव कौंसिल में कहा था जो प्रोसीडिंग के पेज १२७ पर है––

"The demand of the government for more and yet more of co-operation on the part of the people is insincere. The events of the last five years clearly demonstrate the mentality of the Government. Co-operation has only added to the intoxication and infatuation of the bureaucarcy and the more it has fed on it the greater has grown its craving for it."

हमारा कहना यह है कि ब्यूरोक्रेसी बढ़ रही है और इससे जनता को खतरा है। माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं याद दिलाऊं कि कुमायूं की २२ लाख जनता की मांग है कि हमारे यहां जो चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट बैठे हुये हैं उनको आप इन्सपेक्टर आफ पुलिस भले ही बना दीजिये लेकिन इनको हमारे यहां से तो उठा दीजिये। लेकिन आज तक वे वहीं पर पड़े हुये हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से अपील करता हूं कि वे इसकी जांच करवायें।

अगर हमसे नहीं तो मैं खुद कहता हूं आपकी तरफ बैठने वाले माननीय बलदेव सिंह आर्य से इन्क्वायरी करायी जाय कि साढ़े बाईस लाख जनता यह पुकार कर कह रही है कि इनको यहां नहीं रहना चाहिये, इससे शासन बिगड़ रहा है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। चीफ कंजरवेटर जब नैनीताल में जाते हैं तो सारे कंजरवेटर, डी० एफ० ओज़ नैनीताल में खड़े रहते हैं। यह कौन से सर्विस रूल में लिखा है। इसकी जांच होनी चाहिये। हम किसी को लांछन नहीं लगाना चाहते लेकिन कोई अफसर अगर अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उससे प्रदेश की, माननीय मुख्य मंत्री जी की और हमारी भी बदनामी है। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अगर प्रशासन को सुधारना चाहते हैं तो निष्पक्ष रहें। चाहे हमारा भाई हो अगर वह काबिल है तो उसको जरूर रखा जाय लेकिन अगर नाकाबिल है तो उसको नहीं रखना चाहिये। हम चाहते हैं कि हर एक को मौका मिले, स्वतंत्र राष्ट्र में जो आदमी जिस काबिल है उसको वही काम मिलना चाहिये।

[श्री प्रताप सिंह]

भ्रष्टाचार भी दो तरह के होते हैं। एक आदमी गरीब है, कहां से रुपया लाये और दूसरे अमीर लोग भ्रष्टाचार करते हैं। पहले मंत्रियों को ५०० रुपया तनख्वाह मिलती थी और फिर माननीय हाफिज जी ने कहा कि महंगाई बढ़ गई है इसलिये १,५०० रुपया तनख्वाह होनी चाहिये जिसमें से ३०० रुपया टैक्स कटता है यानी १,२०० रुपया तनख्वाह मिलती है तो यह तनख्वाह भी कम होनी चाहिये।

एक निवेदन और करना है माननीय मुख्य मंत्री जी से कि वह बहैसियत डाक्टर सम्पूर्णानन्द के ज्यादा से ज्यादा जलसों में जायं और बहैसियत चीफ मिनिस्टर के कम से कम जायं। तो इससे भ्रष्टाचार काफी दूर हो जायगा और लोग भी कहेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जांच करने आने लगे हैं।

श्री आदिराम सिंहल (जिला आगरा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किये हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे प्रदेश में विभिन्न प्रगतिशील कार्यों में जो रकम शासन के लिये दिखाई गई है वह बहुत थोड़ी है इसलिये ऐसी रकम का समर्थन हम लोगों को अवश्य करना चाहिये। विरोधी दलों की तरफ से कल एक सुझाव था कि हमारे मंत्री जी बहुत दौरा करते हैं। हमारे मंत्रियों पर यह आक्षेप था कि वे दौरों में अपना अधिक समय व्यतीत करते हैं इसलिये प्रशासन का काम अच्छी तरह से देखा नहीं जाता। साथ ही साथ यह भी शिकायत थी कि हमारी 'नौकरशाही' बहुत गैर-जिम्मेवार है और उनकी देखभाल अच्छी तरह से होनी चाहिये। अगर हमारे प्रदेश के मंत्री जिले-जिले में दौरा नहीं करेंगे तो यह देखभाल और भी कम हो जायगी और "नौकरशाही" और निरंकुश हो जायगी। मेरा दौरों क बारे में यह सुझाव है आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि हमारे मंत्री जिलों जिलों में दौरा करें, साल में कम से कम ६ महीने दौरे में व्यतीत करें और उद्घाटन समारोहों में भाग लेने के साथ-साथ उनका यह भी कर्त्तव्य हो कि जिस दिन भी वे जिस शहर में ठहर वे नान-आफिशियल्स और बड़े-बड़े डेप्यूटेशन्स से मिलने के साथ वहां की जनता को भी मिलने का मौका दें। उनके लिये यह आवश्यक हो कि कम से कम ३ घंटे रोज वे जनता से मिलें और जनता के दुख दर्द को सुनें और उसको दूर करने की कोशिश करें।

मेरा सुझाव तो यह भी है कि जो मंत्री महोदय जायं व जनता की शिकायतें सुनें और वहां पर एक फाइल रख आयें जिससे दूसरे मंत्री जो दौरे पर जायें वे उस फाइल से यह देखें कि क्या-क्या शिकायतें वहां के आफिशियल्स के खिलाफ थीं, हमारी सरकार के खिलाफ थीं और वे उतने दिनों में कितनी दूर कर पाये हैं। यह एक मेरा ठोस और रचनात्मक सुझाव है। दूसरे, अंग्रेज शासन की कुछ हमको इंहेरीटेंस मिली हुई है। यह जो शासक वर्ग है वह भी हमें उसी इंहेरीटेन्स में मिला हुआ है लेकिन उस इंहेरीटेंस में यह शासक वर्ग लड़ाई के पहले मिलता तो अच्छा रहता। लड़ाई के दौरान में जो कंट्रोल और सिविल सप्लाईज की पालिसी बढ़ाई गई थी उससे वह लोग हमको और भी बुरी हालत में मिले। लेकिन मैं तो अपनी सरकार को बधाई दूंगा कि ऐसे आफिशियल्स से भी कितनी अच्छी तरह से काम लिया कि १२ साल में देश काफी प्रगति की ओर बढ़ चुका है। फिर भी, यदि देश में तरक्की करनी है, हमारे प्रदेश में जो सरकार की जन-कल्याणकारी नीति है उसको तरक्की देनी है तो हमारी सर्विसेज में तीन डिफैक्टस हैं उनकी ओर मंत्रिगणों को ध्यान देना होगा। एक तो लैक आफ ह्यूमेनिटेरियन टच है। बिल्कुल मानवता का ख्याल नहीं है। दूसरा करप्शन और तीसरा इनऐफीशियेंसी। सरकार की हर नीति जो फायदेमंद होती है, हर पालिसी जो फायदेमंद होती है उसका इनके द्वारा दुरुपयोग होता है। सही

काम पूरी तरह से नहीं हो पाता है । मिसाल के लिये मैं आगरे के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट क बारे में बता देना चाहता हूं । आगरे में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कायम हुआ जैसा कि और दूसरे शहरों में कायम हुआ। वह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जनता के हित के लिये था न कि जनता को तकलीफ देने के लिये। आगरे में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को यह भी हक हुआ, जैसा कि और भी शहरों में हुआ होगा, कि वह बहुत सस्ते दामों में जमीन को खरीद कर दूसरों को बेच सकता है। आगरे में जो जमीन थी वह ज्यादातर गरीब काश्तकारों के पास थी या उधर के गरीब मोहल्लेदारों के पास थी । उन जमीनों को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने एक आने गज व दो आने गज की कीमत में खरीदा और उसे चार रुपये से लेकर २५ रुपये तक के दाम में बेचा । एक-एक काश्तकार जिसके पास दस-दस बीघा जमीन थी उस से वह जमीन पांच-पांच सौ में ली गई और आज पांच साल हो गये उसे रुपया नहीं मिला । न सिर्फ जमीन ही ली गई बल्कि जमीन के साथ-साथ जो उनकी झोपड़ी थी, जो मकान बना था, वह भी उन लोगों ने ले लिया, और उनको रहने के लिये कोई दूसरा उपयुक्त स्थान नहीं दिया गया, और दिया गया तो बहुत कम दिया गया । मिसाल के लिये, कुछ गरीब काश्तकार विजय-नगर कालोनी के पास रहते थे । उनमें से किसी से दो बीघा जमीन छीनी, किसी से दस बीघा। उस जमीन को लेने के बाद उनके मकान, जिनमें उनके जानवर बंधे रहते थे, जिनमें बच्चे थे, जिनमें सामान था, वहां से उनको निकाल दिया गया और दिसम्बर के महीने में जब कि घोर ठंड पड़ रही थी और पानी बरस रहा था उस वक्त निकाला गया और उनका सामान बाहर सड़क पर पटक दिया गया । इससे उनकी करुण कथा का पता चलता था । लेकिन आफिशियल्स के दिमाग में यह कभी नहीं आया कि इन लोगों से जितनी जमीन ली गई उसके माफिक या उससे कुछ कम इनके रहने के लिये स्थान मिलना चाहिए । अगर १५० गज जमीन हर परिवार को दे दी जाती तो वह बड़ी खुशी-खुशी उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जहां १५० गज जमीन दी जाती वहां पर चले जाते। लेकिन उनको गरीब समझते हुए, उनको मूक जनता समझते हुए, उनका कोई ख्याल नहीं किया और भरी ठंड में जब बरसात हो रही थी उनको उन मकानों से निकाल दिया गया था।

इस तरह से जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन थी वह वहां के गरीब लोगों के शौच के काम आ रही थी लेकिन ट्रस्ट ने यह नहीं सोचा कि जो लोग शौच के लिये आते थे उनके लिये एक दो प्लाट शौचालय के लिये रख लें ताकि वह लोग शौच आराम से कर सकें और वहां की गरीब बस्ती को बगैर शौचालय के छोड़ दिया गया।

इसी तरह से हमारे आगरे की सुपरसीडेड म्युनिसिपैलिटी है कि जो हमारे हरिजन भाइयों की सुविधा की तरफ कोई ध्यान नहीं देती । माननीय त्रिपाठी जी आगरा पधारे थे तो मैंने कुछ चीजें उन को दिखाने की कोशिश की लेकिन आफिशियल्स ने मेरी मुखालफत की कि उन्हें हरिजन बस्ती न दिखाई जाय; परन्तु फिर भी मैंने जब माननीय त्रिपाठी जी को एक हरिजन बस्ती दिखाई तो उसे देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। उनका कहना था कि मैं नहीं समझता कि यह लोग इस दशा में रहने पर रिवोल्ट क्यों नहीं करते, मेरे तो आधा घंटे में ही यहां सिर में दर्द होने लगा है यह बेचारे किस तरह से यहां दिन रात रहते होंगे । उस स्थान को देखकर यह माननीय त्रिपाठी जी का खयाल हुआ ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, विरोधी पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव पेश है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मुझ से पहले कांग्रेसी सदस्य, माननीय आदिराम जी सिंहल ने अपने भाषण में

[श्री देवनारायण भारतीय]

स्वीकार किया है कि आजकल की नौकरशाही में मुख्यतः ३ अवगुण हैं । एक तो यह कि उन में मानवता की भावना का अभाव है या जनता का सम्पर्क नहीं है, ह्यूमेन टच नहीं है। दूसरा दोष भ्रष्टाचार का है और तीसरा दोष उन्होंने बताया कि कार्य-क्षमता का अभाव या इनएफिशियेंसी है । मैं उन के इस कथन का समर्थन करता हूं और उस में एक बात और बढ़ाना चाहता हूं और वह यह कि आजकल का हमारा प्रशासन खर्चीला अधिक है और हमारे अन्य प्रदेशों में या संसार के अन्य देशों में कहीं भी प्रशासन इतना खर्चीला नहीं है जितना कि हमारे प्रदेश का है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी शासन काल में, अपनी पराधीनता के युग में हम अपनी गरीबी का कारण प्रशासन के अधिक खर्चीले होने से नौकर-शाही के जिम्मे मढ़ा करते थे, लेकिन आश्चर्य है कि आज १२ साल बाद भी हमारे प्रशासन का खर्च जितना अंग्रेजी सरकार छोड़ गई थी उससे कहीं अधिक बढ़ गया है और उसे कम करने की दिशा में आज तक मंत्रिमंडल ने १२ साल में कोई कदम नहीं उठाया । हम सोचते थे, और हमारा स्वप्न था अपने भविष्य के बारे में, कि स्वाधीन होने पर हमारे देश में हर प्रकार की सुख शान्ति होगी । हमारे देश में अन्न की कमी जैसी आज है वैसी अंग्रेजी शासन काल में नहीं थी, लेकिन हम फिर भी सोचते थे कि हमारे देश में अन्न का भंडार भरा पूरा होगा और कोई भी भूखा न रहेगा और हमारा स्वप्न था कि वस्त्रों का जितना अभाव हम उस समय महसूस करते थे वह नहीं रहेगा, हमारे देश में कोई भी मनुष्य नंगा न रहेगा ऐसा हमारा विचार था और स्वप्न था । हम समझते थे कि जो शिक्षा की स्थिति देश की है उस में उन्नति होगी । अंग्रेजी सरकार शिक्षा के द्वारा केवल अपने नौकरों की संख्या की पूर्ति करती थी । परन्तु हम सोचते थे कि स्वाधीन होने पर शिक्षा मनुष्य को समाजवादी समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त करने के योग्य बनाने का साधन बनेगी, हम ऐसी कल्पना करते थे । हम यह भी सोचते थे कि प्रत्येक बालक को ऐसी शिक्षा दी जायगी कि वह अशिक्षित कहलाकर हमारे देश के लिए भारस्वरूप होकर न रहेगा । हमारा स्वप्न था कि हमारे देश में ऐसी परिस्थिति आयेगी कि जब कोई या तो रोगी ही नहीं होगा, और अगर कोई होगा भी तो उसको सरकार की ओर से औषधि की उचित सहायता दी जायगी । हमारे स्वप्न में यह भी था कि शासन का खर्च कम होगा । हमारे बापू जिनका चित्र हमारे सामने है वे सदैव यह उपदेश दिया करते थे कि हमारे प्रशासन का खर्च इतना अधिक है कि उसको कम करना होगा । नौकरशाही, जिसका बोलबाला अंग्रेजी शासन काल में था, हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी उसी का बोलबाला है । हमारा मंत्रिमंडल आज एक प्रकार से अपंगु है और केवल उसी नौकरशाही के संकेत पर, उनकी योग्यता और उनके अनुभव के बल पर ही आज हमारे प्रदेश का शासन चला रहा है जब कि होना यह चाहिये था कि शासनसूत्र पूर्ण रूप से मंत्रिमंडल के हाथ में होता और जिस नीति के द्वारा वे प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते थे वैसा नौकरशाही चलाती । हम उसके बिलकुल विपरीत आज देख रहे हैं । जो हमारे स्वप्न थे आज वे झूठे साबित हो रहे हैं ।

हम सोचते थे कि हमारी न्याय व्यवस्था में सुधार होगा, न्याय अंग्रेजी शासन काल में जितना महंगा था और भ्रष्ट था आज उससे ज्यादा महंगा और भ्रष्ट हो गया है । हमारी श्रीमन्, बराबर कांग्रेस प्लैटफार्म से मांग रही है कि एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी का पृथक्कीकरण होना चाहिये, लेकिन आज १२ वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे मंत्रिमंडल ने इस ओर कोई कदम नहीं बढ़ाया और अगर कहीं-कहीं बढ़ाया भी है और जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स कहीं पर कायम भी किये हैं तो उनकी कार्यशैली को देखकर मैं कह सकता हूं कि वे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स बिलकुल जिलाधीशों के इशारे के मातहत हैं । कांग्रेसी शासन काल में मुझे तीन बार दंडित होना पड़ा है और जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स ने मुझे सजा सुनाने के बाद यह शब्द तीनों बार कहे हैं, श्रीमन, आपके सामने उन्हीं शब्दों के दोहराने

में संकोच कर रहा हूं लेकिन उन्होंने कहा "कि हम तो केवल जिलाधीश के इशारे पर सजा सुनाये देते हैं इसमें हमारा कोई भी दोष नहीं है"। क्या यह जुडीशियरी के लिये लज्जा की बात नहीं है ? जुडीशियरी स्वतंत्र होनी चाहिये थी और उस पर कोई भी अधिकार एक्जीक्यूटिव का नहीं होना चाहिये था, लेकिन मैं अपने तीनों बार के अनुभव सदन के सामने उपस्थित कर रहा हूं। तो हम कैसे मान लें कि हमारा स्वप्न सच्चा हुआ कि हमारी न्याय व्यवस्था सस्ती होगी और स्वतंत्र होगी।

हम आशा करते थे कि हमारे अन्दर जो विद्वेष हैं, घृणा है पारस्परिक दानवी प्रवृत्तियां हैं उनका ह्रास होगा। हमारे अन्दर दैवी प्रवृत्तियां जागरूक होगी और हमारे अन्दर प्रेम होगा, सद्भावना होगी और समाज कल्याण की भावना होगी। हम अपने समाज को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे लेकिन, हम उसके बिलकुल विपरीत देख रहे हैं। आज हम जिस ओर अपने समाज को जाते हुये देख रहे हैं, १२ वर्षों तक कांग्रेस के शासन काल में रहने के बाद जितना समाज का बिखरा हुआ रूप आज हम पाते हैं उतना अंग्रेजी शासन काल में नहीं था। यह सारी बातें हमने अपनी स्वाधीनता के स्वप्न में बना रखी थीं। आज उनको बिलकुल झूठा होता हुआ पा रहे हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है।

श्रीमन्, आज हमारे देश में किन-किन चीजों की उन्नति हुई है ? हमारे देश में महंगाई की उन्नति हुई है, भुखमरी में उन्नति हुई है। हमारे देश में क्या-क्या चीजें बढ़ी हैं ? हमारे प्रदेश में गरीबी, बेकारी और बे-रोजगारी बढ़ी है। डकैतियां, कत्ल, चोरी और राहजनी बढ़ी है हमारे देश में मुकदमेबाजी बढ़ी है। हमारे प्रदेश में जेलखानों की तादाद बढ़ी है। क्या अपने पराधीनता काल में हम इन बातों की कल्पना किया करते थे कि स्वाधीन होने पर हमें यह दिन देखने पड़ेंगे ? हम जब गुलाम थे तब श्रीमन्, हम सोचा करते थे कि हमारे देश में बिलकुल इन बातों का नामोनिशान मिट जायगा और हम अपने देश और प्रदेश को उन्नति की ओर अग्रसर करेंगे, लेकिन आज हम अपने आप को अवनति और पतन की ओर जाते हुये पाते हैं। दुःख की बात तो यह है, श्रीमन्, कि हम भी जब कांग्रेसी रहे तो उस समय हमने जो सुझाव दिये उनको माननीय मुख्य मंत्री स्वीकार किया करते थे (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, मैं थोड़ा सा समय और चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता––अभी तो दो मिनट हैं, अगर आप अधिक चाहेंगे तो समय आपको मिल जायगा।

श्री देवनारायण भारतीय––धन्यवाद ! परन्तु हम जो सुझाव देते हैं आज उनकी ओर मंत्रिमंडल किंचित्मात्र भी ध्यान नहीं देता। केवल एक कलंक हमारे सिर पर है और जिसे हम अपने लिये गौरव समझते हैं और वह यह कि अब हम विरोधी पक्ष में हैं। इस एक बात के कारण हमारे अच्छे से अच्छे सुझाव आज मंत्रिमंडल के सामने अरण्यरोदन के समान होते हैं। यदि किसी के पास गांठ का पैसा नहीं होता है तो वह दूसरे से उधार लेकर अपना काम चलाता है। हमको दुःख यह है कि यह मंत्रिमंडल अपने गांठ की अक्ल को इस्तेमाल नहीं करना चाहता या यों कहिये कि उनकी गांठ में अक्ल की कमी है परन्तु फिर भी वे हमसे अक्ल उधार नहीं लेना चाहते जिसके कारण वे हमारे अच्छे से अच्छे सुझाव मानने के लिये तैयार नहीं होते।

मैं कुछ थोड़े से सुझाव आपके द्वारा माननीय मंत्री जी की सेवा में पेश करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आज नियोजन की धूम है। करोड़ों और अरबों रुपया उस पर खर्च किया जा रहा है और देश को उस दर्जे तक मकरूज़ कर दिया गया है कि आगे आने वाली पीढ़ियां बहुत समय तक उस कर्जे को नहीं चुका सकेंगी। लेकिन यह नियोजन कहां तक सफल हुआ है

[श्री देवनारायण भारतीय]

यह कहने में मैं असमर्थ हूं। नियोजन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक जनता, नौकरशाही और मंत्रिमंडल, इन तीनों में समन्वय न हो। आज नियोजन की सारी स्कीमें मंत्रिमंडल से चलती हैं और नौकरशाही तक जाकर समाप्त हो जाती हैं, जनता का उन स्कीमों में कोई हाथ नहीं है न उसका सहयोग लिया जाता है और न वे नियोजन के कार्यों में कोई दिलचस्पी लेती हैं। और यही कारण है कि आज नियोजन निष्फल हो रहा है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब तक शक्ति का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा तब तक हम स्वाधीनता के फल को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। आज शक्ति जैसे अंग्रेजी शासन काल में केन्द्रित थी वैसे ही केन्द्रित है। हम चाहते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी का जो चौखम्भा राज्य का सुझाव है कि जिले को अधिकार दिये जायं, ग्राम को अधिकार दिये जायं, उस प्रकार से होना चाहिये, लेकिन आज समस्त अधिकार प्रान्त के लखनऊ केन्द्र में केन्द्रित हैं और राष्ट्र के दिल्ली केन्द्र में केन्द्रित हैं। उन अधिकारों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये।

इसके अलावा आय की सीमा निर्धारित होनी चाहिये, जो हमारी सोशलिस्ट पार्टी का सुझाव है, किसी भी व्यक्ति की आय १०० रुपये से कम न हो और हजार रुपये से ज्यादा न हो। यदि इस सुझाव को माननीय मुख्य मंत्री महोदय मान लें तो हमारा प्रान्त यदि समाजवादी नहीं तो समाजवाद के रास्ते पर चलने वाला तो अवश्य ही बन सकता है।

एक सुझाव हमारा और है जिस पर सोशलिस्ट पार्टी ने बराबर जोर दिया है कि जहां तक खाद्यान्न का प्रश्न है उनका मूल्य सरकार की ओर से निर्धारित कर दिया जाय। जिस कीमत पर फसल के समय खाद्यान्न बिके उससे चार नये पैसे प्रति रुपया और मुनाफा लगा कर शेष साल भर तक बिकते रहें। अगर सरकार इस बात को मान ले तो मेरा दावा है कि फिर खाद्यान्न का संकट जो आज हमारे प्रदेश और देश में हाहाकार मचाये हुये है वह समाप्त हो सकता है।

इसी के साथ-साथ सोशलिस्ट पार्टी की नीति है कि मूल्यों का संतुलन होना चाहिये। मिलों द्वारा उत्पादित चीजों और खाद्यान्न के मूल्यों में ऐसा संतुलन किया जाय कि किसान को मिल-उत्पादित आवश्यक वस्तुयें उचित मूल्य पर मिल सकें।

इसके अलावा जो अनुचित खर्चा प्रशासन पर हो रहा है वह कम किया जाय। मैं चाहता हूं कि अपर हाउस हमारे प्रान्त के टैक्स पेयर्स के ऊपर एक बोझा है इसलिये इसे हटा दिया जाय। गवर्नर का पद भी जनता के लिये बिल्कुल अनावश्यक है, यह भी हटा दिया जाय। इसके अलावा कमिश्नर, बोर्ड आफ रेवेन्यू और कलेक्टर इन तीनों पदों को भी शीघ्र से शीघ्र हटा दिया जाय और जनता पर खर्चे के बोझ को कम किया जाय। जुडीशियरी और ऐग्जीक्यूटिव को अलग किया जाय। आनरेरी मजिस्ट्रेट हटाये जायं। इन शब्दों के साथ मैं पालीवाल जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारा शासक और प्रशासक मंडल बहुत ही योग्य और बुद्धिमान व्यक्तियों से परिपूर्ण है और हमारे मुख्य मंत्री जी निष्ठावान, चरित्रवान और शीघ्र निर्णय लेने की विवेक बुद्धि से परिपूर्ण हैं। यह दोनों बातें ठीक ढंग से हैं, लेकिन यह कहने में भी मुझे हिचक नहीं है कि जितना फायदा इतने योग्य और बुद्धिमान व्यक्तियों की मौजूदगी में जनता को मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है। जब मैं शासकवृन्द और प्रशासकवृन्द की योग्यता के विषय में कहता हूं तो वह मेरी ही राय नहीं है बल्कि इसका एक प्रमाण है कि भारत सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार के कितने ही अधिकारी और योग्य व्यक्ति उनकी मांग पर वहां गये हैं और जिन जगहों पर वे हैं उनका संचालन वह योग्यतापूर्वक कर रहे हैं। भारत सरकार की ओर से एक भी शिकायत नहीं आई है और बराबर उत्तर प्रदेश के लोगों की वहां से मांग आती रहती है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारा शासक मंडल और प्रशासक मंडल योग्य व्यक्तियों से भरा हुआ है। लेकिन

उसके बावजूद भी यदि इसकी आलोचना की जाती है और जनता को आराम नहीं पहुँच पा रहा है तो इसके कारणों पर हमको विचार करना होगा।

मैं नम्रतापूर्वक आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के सामने दो-तीन तथ्य रखना चाहता हूं। आप देखें कि कभी-कभी इन योग्य व्यक्तियों के सम्मुख जब कोई योजना प्रस्तुत की जाती है तो वर्षों का समय ले लिया जाता है और तब भी एप्रूवल नहीं होता है यानी मुझे "रिवनसोल्यूशन" के बारे में याद ह कि यह १९५० से चालू हुई, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने उसको पेश किया उसको कोई जवाब नहीं मिला। पब्लिक एकाउन्ट कमेटी की मीटिंग में एक जगह पर बभनान में बस्ती (पश्चिम) गोंडा (दक्षिण) कोआपरेटिव डेवलपमेंट यूनियन लिमिटेड, बस्ती को दो किस्तों में १६ लाख के करीब कर्ज दिया गया और वह योजना प्रस्तुत हुई और उसके कार्यान्वित होने में देर नहीं लगी और अब हालत यह हो गई है कि जिनको कर्जा दिया गया है और यह कर्जा भारत सरकार से प्राप्त है और अब वह सोसायटी यह कह रही है कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जो इस कर्जे को अदा कर सकें और हमारा शासक मंडल भी इस नतीजे पर पहुंचा है (गो पहले इसको एक्जामिन कर लिया गया होगा) कि बभनान ऐसा मुकाम था जो छोटा था और वहां यह योजना सक्सेसफुल नहीं हो सकती थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमारे शासक मंडल को किन्हीं बातों पर पूर्ण विश्वास न हो कि यह सफल हो सकेगी या नहीं तो वह राय न दिया करें और वह किसी व्यक्ति से प्रभावित न हुआ करें। इसी प्रकार मुझे इस बजट साहित्य को देखने के बाद अपने घर की एक बात याद आ गयी। जब हम छोटे-छोटे थे तो हमारे पूज्य पिता जी-जो भी सामान बाजार से लाते थे उसका एक-एक पैसे का हिसाब लिखते थे––दो पैसे की गाजर ली, चार पैसे की मूली ली, सब लिखा है। हम लोगों को झुंझलाहट होती थी कि यह समय का अपव्यय है। इन मामूली बातों को लिखने से क्या फायदा? लेकिन पूज्य पिता जी कहा करते थे कि इसका फायदा तुम लोगों को आगे मालूम होगा। आज जब कि पूज्य पिता जी का स्वर्गवास हो गया है और मुझे घर के बजट को चलाने का अवसर हुआ है तो उनकी वह शिक्षा याद आती है। उसी तरह से जब मैं बजट साहित्य को देखता हूं तो वह बात याद आती है। तमाम अनुदानों में बड़े सुन्दर ढंग से लिखा हुआ है। मालूम होता है कि अगर कार्यान्वित न किया जाय तो बड़ा भारी नुकसान हो जायगा और सरकार का सारा मामला बिगड़ जायगा। यह हिम्मत नहीं होती कि किसी अनुदान का विरोध किया जाय ऐसे सुन्दर शब्दों में हर योजना को प्रतिपादित किया गया ह। लेकिन यदि संयुक्त परिवार की ही प्रथा इस सदन और बजट को मान लें तो हमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि परिवार में जब आमदनी कम होने लगती है और खर्चा बढ़ने लगता है तो परिवार के अगुआ को यह सोचना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को हम प्राथमिकता दें और किन को छोड़ दें।

आज इस बजट में इस बात की ओर तनिक भी विचार नहीं किया गया। प्रत्येक योजना, प्रत्येक खर्चा वाजिब मान कर इस बजट को पेश कर दिया है। इसी बजट में मैंने देखा कि विकास संग्रहालय, बनारसीबाग में प्रदर्शन के लिए एक कक्ष खोले जाने की चर्चा है। इसमें पचासों हजार रुपया व्यय होगा। यदि इस कक्ष का निर्माण न होता, तो कोई बहुत बड़ा काम बिगड़ने वाला नहीं था। वह रुपया गांवों में सड़कें और गलियारों के बनाने में या दुरुस्त करने में, जो कि प्राथमिक आवश्यकता है, लगाया जा सकता था। इसी तरह से पी० सी० एस० के कैडर में जो ३८१ की संख्या थी उसको बढ़ा कर ५४० करने की योजना है। लगभग ४१ प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि हो। इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन पद वृद्धि के साथ-साथ यदि कार्य क्षमता में वृद्धि न हो तो पदों में वृद्धि करने के कोई मानी नहीं हैं। एक तरफ संख्या बढ़ रही है और कार्य-क्षमता कम हो रही है। कुछ पद ऐसे हैं जो बिलकुल अनावश्यक हैं जैसे पी० डब्लू० डी० में एक सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर का पद है। मालूम नहीं कि केवल डाक के आदान-

[श्री ताराचन्द माहेश्वरी]

प्रदान के अतिरिक्त भी कोई इसका कार्य है। उस पद से काम में प्रगति नहीं होती है। इसलिए वह अनावश्यक है। इसी तरह से बहुत से पद हैं जो सीधे चीफ इंजीनियर और डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर के मातहत रहने चाहिए। मगर उनके अन्दर पदों की संख्या मुकर्रर है। उससे काम में रुकावट पड़ती है। इसी प्रकार ९ अंग्रेजी के टाइपराइटर खरीदने का प्रस्ताव भी इसी अनुदान में है। आप देखें कि राष्ट्रभाषा हमारी हिन्दी है, लेकिन हम अंग्रेजी के टाइपराइटरों को खरीदना चाहते हैं। थोड़े दिनों के बाद वह टाइपराइटर बेकार हो जायंगे और फिर मांग पेश कर दी जायगी कि अब हिन्दी के टाइप राइटर खरीदने के लिए रुपया स्वीकार किया जाय। तो मेरा निवेदन है कि यह सारी बातें पहले से देख ली जायं तो ज्यादा अच्छा है।

अब मैं एक बात और कह कर समाप्त करूंगा। कुछ बढ़ोत्तरी की गई है, ढाई रुपये और ५ रुपये की वृद्धि की गई है सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों में। यह संकेत तो अच्छा है, लेकिन सोशलिस्ट पैटर्न की तरफ हमारा बजट जाता है इसमें मुझे शक है क्योंकि कम तनख्वाह वालों की तनख्वाहें ज्यादा होनी चाहिए थीं उनको आपने ढाई रुपया दिया और जिनकी तनख्वाहें ज्यादा हैं उनको आपने ५ रुपया दिया। तो हम क्या महसूस करें कि यह बजट सोशलिस्ट पैटर्न की तरफ कदम बढ़ा रहा है? मुझे तो इसमें शक नजर आता है। इसी तरह से बाढ़ सहायता के लिए कुछ नावों की बात है। मैं अपने जिले सीतापुर की मांग आपके द्वारा सरकार के सामने रखना चाहता हूं। मेरे जिले में भी प्रति वर्ष बाढ़ आती है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र चार-चार नदियों से घिरा है। इसलिए उस जिले को एक मोटर नाव अवश्य दी जाय। एक बात और कह कर खत्म करता हूं। राजनीतिक स्थिरता लाने में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रयास किया है वह सराहनीय है। उस प्रयास की झलक बजट में मिलती है। मंत्रियों और उपमंत्रियों के खर्चे को घटा दिया गया है। तो इसके लिए मैं विशेषतौर से माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बजट में उस मद में रुपया न रख के एक निश्चितता पैदा कर दी है कि अब राजनीतिक तरीके से किसी पद की बढ़ोत्तरी नहीं होगी। यह मुझको आभास मिला। इसलिए मैं पुनः उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो अस्थिर राजनीति इस प्रदेश की थी उसे स्थिर करने में माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज निश्चित कदम बढ़ाया है। उसके लिए मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देकर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---मान्यवर, पिछले एक युग के कांग्रेस शासन में कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य और उसके द्वारा संचालित सरकारों का उद्देश्य कई बार बदला है। एक समय गांधीवादी प्रकार के समाज की स्थापना का लक्ष्य था। उसके बाद सर्वोदयी समाज का लक्ष्य घोषित किया गया। उसके बाद कोआपरेटिव कामनवेल्थ की बात भी आयी। अन्त में लोक कल्याणकारी राज्य की भी चर्चा की गई। उद्देश्य बदलते गए। किन्हीं का कोई स्पष्टीकरण शासक पार्टी ने अथवा सरकार ने नहीं किया। जब समाजवादी प्रकार के समाज की क्रान्तिकारी घोषणा की गई कि मौजूदा शासक पार्टी अब इस प्रकार के समाज की स्थापना इस प्रदेश और देश में करेगी, कम से कम उस समय इस बात की आशा हुई थी, सबको आशा थी कि वर्तमान सरकारी ढांचे में आमूल परिवर्तन करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाया जायगा। मौजूदा ढांचा इस देश और प्रदेश को भी साम्राज्यवादी प्रशासकों द्वारा प्रदत्त किया गया है। उनका एक उद्देश्य था एक विशेष लक्ष्य को लेकर एक खास प्रकार का शासन यन्त्र विदेशी शासकों द्वारा तैयार किया गया था। वह उद्देश्य बदल गया। साम्राज्यवादी हुकूमत समाप्त हुई। देश स्वतंत्र हुआ। इसी समय इस बात की आवश्यकता थी कि उस यंत्र में आमूल परिवर्तन करने की ओर बढ़ा गया होता। लेकिन वह नहीं हुआ और पिछले बारह वर्षों में उस बात की ओर कोई ध्यान भी नहीं दिया गया। अब लगता है, मान लिया है कि हमको इसी प्रशासकीय ढांचे से अपना काम काज चलाना है। जनता के बीच में और नौकरशाही ढांचे के बीच में जो दूरी थी, खाईं थी वह पटी नहीं, भरी नहीं गई। जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों तथा नौकरशाही शासन के बीच में वह खाईं जैसी की तैसी बनी है। मैं आपको बताऊं।

हमारा अनुभव और इस माननीय सदन के सभी सदस्यों का अनुभव होगा कि एक मंत्री से मिलना, यहां तक कि मुख्य मंत्री से मिलना अधिक आसान है बनिस्बत किसी भी नौकरशाह से मिलने के। जिले में किसी कलेक्टर से मिलना कहीं कठिन है बनिस्वत यहां किसी मंत्री से मिलने के। इन तरीकों का असर यह हुआ कि नौकरशाही का मन बढ़ गया। हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचलने वाले जितने लोग थे, जो देशद्रोही थे, गद्दार थे, जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन को खूनों में डुबो देने के लिए कोई कोर कसर नहीं उठा रखी, वे सबके सब उसी प्रकार इस सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए गये। यह कभी नहीं होता और न होना चाहिए था। इसीलिए उनका मन बढ़ा। महोदय, आपको बताऊं एक जिलाधीश की इतनी हिम्मत, इतना साहस है कि वह एक भूतपूर्व कांग्रेसी एम० एल० ए० से मिलने से इन्कार कर देता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसको नोट करे। एक भूतपूर्व कांग्रेसी एम० एल० ए० से, शासक पार्टी के भूतपूर्व एम० एल० ए० से, मिलने से एक जिलाधीश इन्कार करता है। इसको लेकर के काफी लिखा पढ़ी और चर्चा भी हुई, लेकिन उस जिलाधीश के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी, जब कि सरकार का निश्चित विचार है और ऐसे आदेश भी हैं कि जनप्रतिनिधियों से मिलने में प्राथमिकता दी जाय।

मान्यवर, सरकार का रवैया पूंजीपतियों के सामने आत्म समर्पण का होता जा रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हमारे प्रदेश के पूंजीपति, हमारे प्रदेश की पूंजी व्यवस्था, इस सरकार को अपनी मुट्ठी में पूरे तरीके से जकड़ चुकी है। एक मामूली बात ईख का कांटा लगाना सरकार कहीं चाहती है कि कांटा लगाया जाय, वह बिना किसी मिल की स्वीकृति के नहीं लग सकता। ऐसे उदाहरण हैं कि स्वीकृत लिस्ट में उस स्थान का नाम भी देते हैं, केन कमिश्नर उस मिल मालिक को टेलीफोन करते हैं, तार देते हैं, उसको बुला कर बात भी करते हैं, फिर भी पूंजीपति की इतनी जुर्रत कि वह कांटा नहीं लगा और गत दो वर्षों से नहीं लगा। यह पूंजीपतियों के बढ़ते हुए प्रभाव का एक प्रमाण है। अभी मैं अपने जिले में देख कर आ रहा हूं कि वहां लोगों को छोटी-छोटी वसूलयाबी के लिए जेल में बन्द किया जा रहा है, हवालात में बन्द किया जा रहा है, छोटे-छोटे किसानों को। लेकिन केन सेस का बकाया इतने वर्षों से पड़ा है जो कि पिछले हिसाब से साढ़े ३ करोड़ से कम नहीं है, लेकिन मैं आज तक इस बात को न जान सका कि मौजूदा हुकूमत के जमाने में पिछले १२ वर्ष में एक भी पूंजीपति को रस्सी लगायी गयी हो, हवालात में बन्द किया गया हो, चौकीदार का फेंटा लगाया गया हो। अगर एक भी मिल मालिक को बन्द कर दिया गया होता, फेंटा लगाया गया होता तो कम से कम हम जन-प्रतिनिधियों को संतोष होता कि मामूली नागरिक और पूंजीपतियों के बीच में सरकार कोई भेदभाव नहीं रखती और बराबर का व्यवहार करती है।

मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, मिनिस्टरों के व्यक्तिगत चरित्र और व्यक्तिगत जीवन और व्यवहार का भी गहरा असर, जनता एवं कर्मचारियों पर पड़ता है। मैं एक कम्युनिस्ट हूं इसलिए कि मैं एक सच्चा राष्ट्रवादी हूं और मैं कम्यूनिस्ट पार्टी में इसलिए हूं कि मैं महसूस करता हूं कि मेरी राष्ट्रीय भावनाओं का उचित सादर स्थान कम्यूनिस्ट पार्टी में ही है। पंडित सुन्दरलाल एक बड़े राष्ट्रीय नेता हैं। उन्होंने बताया कि चीन के राष्ट्रपति माउत्सेतुंग की मोटर पर उनके बच्चे और उनकी स्त्री पैर नहीं रख सकतीं। मुझे सुन कर सचमुच उस समय राष्ट्रीय ग्लानि हुई कि काश वह दिन हमारे यहां आता कि जो आज राष्ट्र के कर्णधार हैं, जिनके हाथ में शासन है, वह भी ऐसा करते। महात्मा गांधी का आदर्श उपस्थित करते हैं। महात्मा गांधी के साथ उनका आदर्श भी समाप्त हो गया और वह कम्यूनिस्ट चीन में व्यवहृत हो रहा है।

हमारे ही देश में एक सूबा है––केरल। वहां के कम्यूनिस्ट मुख्यमंत्री नम्बूदरीपाद ने यह आदर्श उपस्थित किया। मुझसे एक आई० सी० एस० ने चर्चा की जब कि मुझे यह बात

[श्री झारखंडेराय]

पहले से भी मालूम थी कि उसको यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि नम्बूदरीपाद का लड़का स्कूल पैदल चल कर जाता है। जब एक दिन वह आई० सी० एस० जा रहे थे तो स्कूल जाते हुए नम्बूदरीपाद जी के लड़के से रास्ते में उनकी भेंट हुई। उन्होंने पूछा कि तुम अपनी कार पर क्यों नहीं जाते हो तो उसने कहा कि पिता जी ने यह कहा है कि यह कार तुम्हारे लिये नहीं है। यह केवल मेरे लिये है क्योंकि मैं सरकार का प्रतिनिधि हूं। मैं चाहता हूं कि अपने जीवन में महात्मा गांधी द्वारा बताये हुए आदर्शों पर चलकर हमारे मंत्रिगण को आदर्श उपस्थित करना चाहिए। केरल में बड़े बड़े सेक्रेटरीज हैं। अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ सकती कि वह सरकारी मोटर से अपनी बीबी या बेटों से मार्केटिंग करायें। उनको साहस नहीं पड़ सकता है। अगर वह ऐसा करेंगे भी तो वह चोरी से करेंगे। यह साहस नहीं हो सकता कि जिलाधीशों की लड़की या लड़के रोजाना स्कूल सरकारी पेट्रोल खर्च करके सरकारी मोटर पर चढ़ कर जायं। एक बी० डी० ओ० ब्लाक की मोटर पर बाजार से सब्जी खरीदता न फिरे, जैसा कि आज हो रहा है तो दूसरे छोटे अधिकारी की हिम्मत मोटरों के दुरुपयोग की नहीं हो सकती है। यहां पर आदर्श को चरितार्थ करने की आवश्यकता है, उसको मूर्तरूप देने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं मंत्रिगण इस तरफ ध्यान दें और अपना जीवन आदर्शपूर्ण बनाये ताकि महात्मा गांधी के बताये हुए आदर्शों पर चलकर इस देश को विकसित कर सकें।

समाजवादी लक्ष्य एवं समानता के विषय में मुझे यह निवेदन करना है कि जिस प्रकार से यह ढाई रुपये, और ५ रुपये छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह में बढ़ाये गये हैं इससे कितने दिनों में समानता आयेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आम बहस में मेरी बहस का जवाब देते हुए कहा था कि उनकी सरकार का यह विचार नहीं है कि बड़ी तनख्वाहों को कम किया जाय, वह तो छोटी तनख्वाहों को बढ़ाना चाहते हैं। । यह भी टालने का एक नया तरीका है। जो तनख्वाह हमारे सूबे में सब से ऊंची है और जो सब से नीची है, वह सबको मालूम है। इसमें समानता कितने दिनों में आ सकती है इसको आप स्वयं विचार कर लें। मैं यह समझता हूं कि समाजवाद के लक्ष्य की ओर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं और न इस प्रकार कभी बढ़ सकते हैं। मैं जब समानता की बात यहां सोचता हूं तो मुझे स्वर्गीय डाक्टर अमरनाथ झा की बात याद आती है जो उन्होंने चीन से वापस आने पर यहां इलाहाबाद में कही थी। वह कम्यूनिस्ट अथवा सोशलिस्ट नहीं थे, उनके बिचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने चीन से लौटने के बाद सन् १९५२ में ११ जुलाई को यू० पी० आई० से इन्टरव्यू में ये बातें कही थीं। उन्होंने कहा था कि:—

"There hardly existed class distinction and the disparity in the incomes of the individuals was not marked. The incomes ranged between Rs. 100 and Rs. 800 calculated in Indian currency. The Chairman of the Republic received about Rs. 800 while the Prime Minister did not get more than Rs. 500. The President of the University was paid Rs. 200 and juniormost teacher Rs. 100. No body had a house of his own and except for the foreign diplomats, none could keep a private car. When on official duty, officers used government cars but otherwise people had to use public transport. Women participated in social functions entirely due to their personal status in the society and not by virtue of being wives or relations of prominent persons".

यह समाजवाद का आदर्श है जिसको यहां पर भी उपस्थित किया जाना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि मुझे एक ग्लानि पैदा होती है कि हमारा देश १२ साल के बाद भी समाजवाद की ओर एक कदम आगे नहीं बढ़ सका है।

मान्यवर, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के बारे में जो रफ्तार रही है अगर वही रफ्तार चलती रही तो १३० वर्ष सब को स्थायी करने में लग जायंगे। तब तक यह सरकार

रहेगी या नहीं इसमें मुझे संदेह है। इसलिये इस तरफ सरकार को तेजी से बढ़ना चाहिये। सचिवालय कर्मचारियों की जो मांगे हैं पे कमीशन की, गर्वनमेंट सर्वेन्ट्स कन्डेक्ट रुल्स में परिवर्तन करने की, केन्द्र के समान वेतन की, मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इनकी स्वीकृति की ओर कदम बढ़ावें। जो पे बढ़ायी गयी है--ढाई रुपये और ५ रुपये उसको भी आप देखें कि जो सरकारी इंडस्ट्रियल संस्थान हैं उनमें, उनके मजदूरों की तनख्वाह में वह बढ़ोत्तरी नहीं की गयी, जब कि पूरे राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन की मांग है कि कम से कम मजदूरों की तनख्वाह आज की मंहगाई के हिसाब से सवायी बढ़नी चाहिए।

मान्यवर, मैं एक बात और निवेदन करूंगा। इस सदन में एक माननीय सदस्य हैं, नाम है--श्री गेंदा सिंह। मैं खुले हृदय से कहना चाहता हूं कि इस माननीय सदन में जो चन्द इने गिने आदमी हैं जिनकी मैं अन्तस्तल से इज्जत करता हूं, उनमें से वह भी एक हैं। उनके साथ देवरिया जिले के अधिकारियों द्वारा जो बर्ताव हो रहा है और उनके क्षेत्र को जैसा उपेक्षित किया जा रहा है इसलिये कि वे बदनाम हों, उनका अपमान हो, जनता समझे कि हमने कैसा नाकारा और निकम्मा आदमी चुन लिया है। यह घोरतम निन्दनीय रवैया है और इसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी विशेष ध्यान दें और इस पर कार्यवाही करें।

मान्यवर, होम्योपैथिक कालेज को जब डिग्री कालेज मान लिया गया है तो क्यों नहीं उस कालेज को किसी विश्वविद्यालय से एफीलियेट किया जाता है? जब इम्तहान के इतने थोड़े दिन रह गये हैं और छट्टियां होने जा रही है तो इसकी अत्यन्त आवश्यकता है और मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे। वरना अगर कोई झगड़ा हुआ तो, जब कि छात्रों ने इतने सब डेमोक्रेटिक तरीके अपना लिये हैं उसके बाद भी सरकार के ट्रेन्ड में तब्दीली नहीं आयी तो इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी।

खांडसारी के लिये भी, यह ठीक है कि यह सरकार जिम्मेदार नहीं है, ड्यूटी लगने के बारे में, लेकिन मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसके लिये अपने पद की मर्यादा का इस्तेमाल करें और जो भारत सरकार ने ड्यूटी लगायी है, उसको हटवाने की कोशिश करें। यह काटेज इंडस्ट्री को बढ़ाने का तरीका नहीं है यह तो पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का तरीका है और बड़े-बड़े चीनी उद्योगपतियों के सामने छोटे घरेलू उद्योगों को बलि का बकरा बनाना है।

हमारे आजमगढ़ जिले में एक नयी बात हुई है जिसके लिये वहां बड़ी परेशानी है। अब तक तहसीलदारों को छोटे छोटे मुकदमें देखने और फैसल करने के अधिकार थे और इस प्रकार जनता को, किसान को, तहसील तक आकर ही अपना काम निपटा लेने का सुभीता था। अब यह सब ट्रान्सफर कर दिये गये हैं एस० डी० एम० के हाथों में। नतीजा यह हुआ कि किसान जनता को दूर दराज चल कर जिले के हेडक्वार्टर तक जाना पड़ता है और १ रुपये की जगह ४ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो या तो एस० डी० एम्स० को तहसीलों के हेड क्वार्टर पर ही मुकदमें लेने चाहिये या यह आर्डर बदला जाना चाहिये, वरना वहां के किसानों को बड़ी परेशानी होगी।

(श्री रामचन्द्र उनियाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जगदीश नारायण (जिला मुरादाबाद)--मैं ऐसा महसूस करता हूं, अधिष्ठाता महोदय, कि कुछ सदस्य ऐसे हैं कि जिनको आप ज्यादा मौका देते हैं और कुछ ऐसे हैं कि जिनको एक बार भी मौका नहीं दिया जाता है। इसके लिये क्या व्यवस्था है?

श्री अधिष्ठाता--यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य नये मेम्बर हैं और मैं चाहता हूं कि उनको भी मौका दिया जाय।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—व्यवस्था का प्रश्न। माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह स्पष्ट रूप से चेयर का अपमान है और यह दर्शाती है कि आप कुछ व्यक्तियों के प्रति पक्षपातपूर्ण हैं। मैं समझता हूं कि यह सदन का अपमान है। आप इस संबंध में व्यवस्था दीजिये कि क्या किसी सदस्य को इस प्रकार पक्षपातपूर्ण रवैये की बात कहने का साहस हो सकता है?

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य ने कोई आक्षेप चेयर पर नहीं किया है। उन्होंने केवल शिकायत की है और मैं समझता हूं कि इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र उनियाल (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो अनुदान सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं। जहां तक प्रशासन का सवाल है, उसमें कुछ त्रुटियां हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इसके बारे में सरकार ने आज से पहले भ्रष्टाचार निरोधक समितियां जिला स्तर पर बनायीं, लेकिन जिलाधीश के उस भ्रष्टाचार निरोधक समिति के प्रधान होते हुए, कुछ कार्य नहीं हुआ और वह भी कुछ दिन तक ही चली। उससे कोई भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। इसके बाद दूसरी तरह की समिति बनी जिसका गैर सरकारी व्यक्ति प्रेसीडेन्ट बनाया गया परन्तु वह भी अच्छी तरह सफलता प्राप्त नहीं कर रही है। मैं भी ऐसी कमेटियों में रहा हूं और मैंने स्वयं इस बात का अनुभव किया है कि शिकायतों की जांच विशेषतः विभागीय तौर पर होती है। और बड़े से बड़े अधिकारी भी विभाग का पक्षपात करते हैं। आज शासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है मेरा खुद का तजुर्बा है कि एक लाइसेंस लेने के लिये वह कागज करीबन ३ साल तक चक्कर काटता रहा है और तब भी इस बात की सूचना सदस्यों को नहीं दी जाती है कि वह लाइसेंस बनाया गया या नहीं। अल्मोड़ा जिले की एक दर्दनाक घटना मैंने सुनी है कि एक अकेले आदमी के मकान को जिलाधीश एस० डी० ओ० और पुलिस जाकर घेर लेती है और छत के ऊपर से तोड़ती है और वे अधिकारी अभी तक वहीं हैं। यह बर्बरता और भ्रष्टाचार की सीमा है। यह काबिलेबर्दाश्त है या नहीं, यह खुद सरकार सोच सकती है।

मैं खासकर पहाड़ी जिलों की तरफ मुख्य मंत्री का ध्यान ले जाना चाहता हूं। वहां पर जंगलात की समस्या बहुत विकट हो गयी है। इसके पर्वतीय इलाके के लोगों को जिन्दा रहना मुश्किल हो गया है। इतने जंगल होते हुए भी वहां के लोग लकड़ी के लिये तरसते हैं। लकड़ी आज वहां चिरान वगैरह करने के बाद जो चुंडा मुंडा बचते हैं वह भी नसीब नहीं होती है। आज हमको अपनी जरूरतों के लिये, हल या दूसरी चीजों के लिये भी, बगैर अधिक पैसे दिये और बगैर इजाजत लिये, लकड़ी नहीं मिलती है। जंगलों में जो हमारे हकहकूक थे, उनसे भी हम वंचित किये जा रहे हैं। खास कर जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधि हूं वहां की जंगल की समस्या तो बहुत ही बुरी है। सन् २७ से वहां कई आन्दोलन हुए और जनता ने अपने अधिकारों के लिये बहुत परेशानी झेली। जब हमारा जिला यू० पी० में मर्ज हुआ तो हमारा खयाल था कि हमारी समस्यायें सुलझेंगी मगर वे उलझती जा रही हैं। मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर विशेषतौर से दिलाना चाहता हूं कि वहां जंगलात के विषय में एक विशेष कमेटी नियुक्त की जाय जो वहां के हकहकूक और दूसरी बातों पर सही तरीके से ध्यान दे।

आज कहा जाता है कि प्रशासन के खर्चे में बहुत कमी हो रही है। मेरे इलाके में गंगोत्री और जमनोत्री दो तीर्थ स्थान हैं। गर्मियों में इधर उधर से अधिकारी लोग, सेक्रेटेरियट के अधिकारी, डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर भी, तीर्थ स्थानों के निमित्त वहां जाकर अपना टी० ए० और डी० ए० बनाकर काफी खर्च करते हैं। यही नहीं, जिले के अधिकारी वर्ग और अन्य अधिकारी भी उनके साथ जाकर बहुत खर्चा करते हैं।

हमारे राज्य में जो ३ देशी रियासतें थीं वहां के राजाओं या नबाबों को काफी प्रिवी पर्स या पेंशन दी जा रही है। यदि हम समाजवाद की ओर जाना चाहते हैं तो आज वह खत्म हो जानी चाहिये। उनके पास लाखों और करोड़ों रुपया है और वे अच्छी तरह अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। गरीब जनता का रुपया उनको नहीं देना चाहिये। मैं जानता हूं कि यह संविधान का सवाल है और हमारे राज्य के अधिकार की बात नहीं है। किन्तु मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर दिलावें और जैसे संविधान और बातों के लिये बदला गया है इसके लिये भी बदला जा सकता है।

१ अगस्त सन् १९५० से हमारी टिहरी रियासत मर्ज होकर जिला बनी। पहले के कर्मचारी अपने दिलों में बड़ी तमन्ना लिये हुए थे कि वे एक बड़े राज्य में जा रहे हैं और उनका स्तर बहुत ऊंचा होगा। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वहां के तहसीलदार पटवारी बनाये गये और डी० एफ० ओ० रेन्जर बनाये गये और इसी प्रकार अन्य विभागों में भी उन्हें मानहानि और आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। जिन लोगों ने एक साथ ट्रेनिंग ली है और जिन्होंने यू० पी० में सर्विस कर ली आज टेहरी गढ़वाल स्टेट (रियासत) के कर्मचारी उन अपने साथ के पढ़े हुए लोगों के मातहत हैं। वहां की राज्य प्रणाली १,३०० वर्ष पुरानी सामन्तशाही व्यवस्था थी और वहां के कर्मचारियों के वेतन बहुत कम थे। जब स्टेट मर्ज हुई तो उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज वहां के पटवारीवर्ग के लिये कोई क्वार्टर्स नहीं है और न बजट में कोई योजना है। इसी तरह से अध्यापकवर्ग भी बहुत परेशान हैं। उनको भी कम वेतन मिलता है। अन्य जिलों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पहले से खुले हुए थे, लेकिन हमारे यहां वह भी नहीं है। वहां पर इसलिये सड़कें बिलकुल खराब पड़ी हैं। उनकी कोई मरम्मत नहीं करता है।

अधिष्ठाता महोदय, हमारी बहुत जोरदार मांग थी कि जिले का प्रधान कार्यालय नरेन्द्र नगर से हटाकर टेहरी में रखा जाय। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि सन् ५८ में, १० वर्ष बाद, मंत्री जी ने हमारी मांग स्वीकार की। अगर ठीक मानों में वहां जिले का हेडक्वार्टर ले जाना है तो हर साल कुछ न कुछ होना चाहिये। इसलिये वहां धीरे-धीरे हेडक्वार्टर ले जाने की समुचित व्यवस्था की जाय।

श्रीमती राजेन्द्र कुमारी (जिला हमीरपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी महान कृपा हुई और मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मझे बोलने का मौका दिया। सामान्य प्रशासन पर कल से बहस शुरू है और इसी सिलसिले में मैं आज कुछ कहने के लिये खड़ी हुई हूं।

जिला प्रशासन के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि जिला कलेक्टर जिले का सर्वेसर्वा हैं, जिले का मालिक, उसको सरकार ने बना दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी जनता की भी तो कुछ बात सुननी होती है न। लेकिन वह जिला कलेक्टर है न। मैं तो समझती हूं कि उसको ईश्वर मान लिया गया है। वह करता क्या है? उसका कार्य क्या है? मैं जानती हूं कि उसके दो काम हैं। वसूलयाबी करना, मालगजारी, आबपाशी या जो भी टैक्स वगैरह लगते हैं, उनको वसूल करना। एक उसका दूसरा काम भी है और वह यह कि जनता में शान्ति कायम करना, उसकी व्यवस्था करना। लेकिन आजकल हो क्या रहा है? उसका उल्टा हो रहा है। क्योंकि वह तो यह समझ गया है कि हमको तो सरकार ने देवता या ईश्वर मान लिया है। वह चाहे जिसके बारे में अपनी रिपोर्ट दे देता है और उसी को सरकार सच मान लेती है और उसी के अनुसार काम करने लगती है। वह हर जगह घुस जाता है मंदिर, मसजिद, स्कूल, विद्यालय और औषधालय, सभी जगह घुस जाता है क्योंकि वह ईश्वर है। उसका यह कार्य-क्रम होता है कि वह प्रिन्सिपल या अध्यापक के खिलाफ अपनी एक

[श्रीमती राजेन्द्र कुमारी]

रिपोर्ट सरकार को भेज देता है जिससे उस विद्यालय की ग्रान्ट बन्द हो जाय। इम्तहान का मौका होता है तब तो उसके ऊपर मुसीबत आ जाती है।

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को यह सुझाव दूंगी कि जिलाधीश का यह नाम बदल दिया जाय, उसका नाम जिलेदार रख दिया जाय। पुराने जमाने में मैंने देखा है कि उनका दौरा होता था। जब कि सड़के नहीं थीं, सवारियों का इन्तजाम नहीं था तो जिले का कलेक्टर घोड़ा-गाड़ी में जाता था। उनका पड़ाव पड़ता था, वह जनता की बात सुनता था, यह अंग्रेजी जमाना था। आज हमें आजादी मिल गयी है सवारियां हैं, सड़कें है लेकिन उसका दौरा अब नहीं होता है, बंगले से उसकी निकासी नहीं हो रही है और जनता उस जिला कलेक्टर से इतना घबराती है कि उसका नाम सुनकर भीतर घुस जाती है। कहीं सुना कि जिला कलेक्टर आये हैं कि जनता वहां से गायब। श्रीमन्, इस वक्त मैं आपको एक उदाहरण देती हूं कि वे दौरे पर कहीं बरसात में गये तो मुझे सुनने को मिला कि वहां का कोई कहीं छिपा, कोई कहीं छिपा, लेकिन जिस रास्ते से कलेक्टर साहब चले आ रहे थे उस रास्ते में उनको कुछ लोग मिले। उन लोगों ने भी पहले छिपने की कोशिश तो की, लेकिन वे कहां छिपते, वहां छिपने की कोई जगह ही नहीं थी। जब वे सामने आये तो कलेक्टर साहब ने कहा कि बताओ क्या है, खुशी से हो? कोई तकलीफ तो नहीं है? उन्होंने कहा कि और कोई तकलीफ तो नहीं है हुजूर, लेकिन यह जो नाला है इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। बरसात में इसकी बजह से हम लोगों की बहुत मुसीबत हो जाती है, इसलिये इस नाले पर पुल बंधवा दें तो हम लोगों को आराम हो जाय। तो कलेक्टर साहब कहते क्या हैं। तुम यह कैसे सोचते हो कि हम यह पुल बंधवा देंगे, पुल बंधवायें वे जिनको तुम लोगों ने वोट देकर एम० एल० ए० बनाया है। मान्यवर, ये तो जिलाधीशों के कारनामे हैं जिनके जरिये सरकार चाहती है कि जनतंत्र बढ़े और सोचती है कि उनके जरिये देश की बड़ी भारी उन्नति हो रही है और वे यहां पर शान्ति कायम कर रहे हैं। वास्तव में यह नहीं हो रहा है बल्कि इसका उल्टा हो रहा है। जो जिले के कलेक्टर हैं वे पार्टीबन्दी में घुस जाते हैं और इस तरह से एक पार्टी की तो वे सहायता करते हैं और दूसरी पार्टी को पीसते हैं। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि सरकार को कम से कम इस तरफ देखना चाहिये।

किसी एक जिले में ही यह बात नहीं होती, जिले-जिले की बात मैं कहती हूं। जितने भी यहां माननीय सदस्य और सदस्यायें बैठी हुई हैं सब को यह बात मालूम है कि कौन-कौन सी परेशानी होती है। मान्यवर, मैं कहती हूं कि अगर ऐसा ही रवैया रहा तो जनतंत्र का क्या होगा? इसके बारे में सोच कर मुझे बड़ा दुख होता है। मैं कोई आक्षेप या नुक्ताचीनी नहीं करना चाहती हूं, मुझे तो बड़ी शर्म और दुख मालूम होती है, लेकिन फिर भी जब मुसीबत सामने आती है तब तो कहना ही पड़ता है। क्योंकि यह आजादी हमको कैसे मिली थी, आजादी मिलने की बात तो आसान हो गयी, लेकिन उसके बाद इसकी रक्षा करना और इसका सुधार करना हमारा कर्त्तव्य हो गया है। इसलिये मान्यवर, मैं यही सिर्फ कहने के लिये खड़ी हुई थी कि हमारे देश में कैसे सुधार हो सकता है। इस तरीके से सुधार नहीं

(इस समय २ बजकर ९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

हो सकता कि हम कलेक्टर को ईश्वर या देवता मान कर चलें। ऐसे काम नहीं चलने का है जब तक कि हम अपने दिमाग को नहीं खर्च करेंगे और संगठन नहीं बनायेंगे तथा प्रेम से काम नहीं करेंगे। जब कलेक्टर गांवों में जाते हैं तो लोग बेचैन हो जाते हैं और कुछ लोग भाग भी जाते हैं। ऐसे कलेक्टरों से जो जिले भर के मालिक हैं जनता को बड़ा भारी खतरा है जब कि जनता द्वारा नाले बनवाने की बात कहने पर उनकी तरफ से कहा जाता है कि जिनको तुमने वोट दिया है वे एस० एल० ए० ही इसको बनवायेंगी। अब मैं यहीं पर खत्म करती हूं।

*श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन के ऊपर जो कल से बहस चल रही है, और उस पर जो माननीय सदस्यों के भाषण हुए, उनमें से कुछ को मैंने सुना। मुझे एक आश्चर्य जरूर हुआ कि जहां पर सामान्य प्रशासन पर विवाद चल रहा है वहां पर हम अक्सर छोटी-छोटी सी बातों का जिक्र करते हैं। मेरी समझ में सामान्य प्रशासन के विवाद में इन बातों का कहना, या अमुक-अमुक २,४ बातें जिनका कि ज्यादा महत्व नहीं है, उन पर विचार करना ठीक नहीं है। सामान्य प्रशासन में अगर कोई आम बात फैली हुई है, जो महत्वपूर्ण है, सरकार की नीतियों का ठीक से पालन नहीं हो रहा है, जो सरकार योजनायें चलाना चाहती है वे ठीक तौर से सफल नहीं हो रही हैं, उसके कर्मचारी ठीक तौर से कार्यान्वित नहीं करते हैं, मेरी समझ में इन बातों पर हम विचार करें तो सदन का समय ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जाहिर है कि सामान्य प्रशासन ही के जरिये सरकार की सारी कार्यवाही होती है और जितनी हमारी नीतियां हैं, उनको व्यावहारिक रूप देना सामान्य प्रशासन ही का कार्य है। हां, यह जरूर है कि हमको यह देखना पड़ता है कि जितना रुपया हम इस मशीन पर खर्च कर रहे हैं तो जो सरकार की नीतियां, योजनायें हैं उस लक्ष्य की तरफ सामान्य प्रशासन हमारे समाज को ले जा रहा है या नहीं, वह खर्च कहां तक जायज है, यह चीजें तो हमको देखनी पड़ती ही हैं। अगर हम इस संबंध में इस बात का विचार करने लगें कि आया जो सरकारी प्रशासन की मशीन है वह इसके लिये उपयुक्त है या नहीं, उसमें कोई बुनियादी खामियां तो नहीं है, उन बुनियादी खामियों को हमें दूर करना है कि नहीं, तो एक प्रश्न हमारे सामने जरूर आ जाता है कि आया इस बुनियादी ढांचे को हम बदल सकते हैं या नहीं।

मेरा निवेदन यह है कि हमको जब स्वतन्त्रता प्राप्त हुई तो यह चीज हमको, जो इस वक्त में मौजूदा ढांचा चल रहा है, वह प्राप्त हुई और हमारे संविधान में कुछ ऐसी बंदिशे हैं जिनके कारण हम उसको एकाएक बदल नहीं सकते। उसमें हमको धीरे धीरे परिवर्तन लाना है। और यह सही है कि जो ढांचा पहले से काम कर रहा था उसकी मनोवृत्ति दूसरे प्रकार की थी। उस वक्त में जो अंग्रेजी शासन कायम था वह तो एक साम्राज्यशाही व्यवस्था, थी, उसको कायम रखना, ला ऐंड आर्डर मेंटेन करना उसके मुख्य मुख्य कार्य हमारे इस ढांचे के थे। लेकिन अब जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, हमारा प्रजातान्त्रिक शासन कायम हुआ है जो जाहिर है कि हमारी जिम्मेदारियां अब दूसरे किस्म की हो गयी हैं। इस वक्त तो हमको निर्माण कार्य करना है, समाज को हमें बनाना है, हमें बेकारी को दूर करना है, हमें भूमि की पैदावार को बढ़ाना है और आजकल का जो प्रसंग चल रहा है, भूमि की पैदावार को बढ़ाने के लिये कोआपरेटिव फार्मिंग भी हमें करनी है, समाज के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान भी रखना है। हमारी बढ़ती हुई आबादी जो है उसका किस तरह से प्रबंध होगा, इस तरफ भी हमको नजर फेरनी है। मेरा मतलब कहने का यह है कि समाज सेवा का विस्तार इतने जोरों से बढ़ता हुआ चला जा रहा है कि अब हमारी जितनी जिम्मेदारी हैं हमको उस तरफ नजर फेरनी पड़ती है और अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे सामान्य प्रशासन का जो ढांचा है, जो हमारे कर्मचारी हैं उनका दृष्टिकोण बदलता है या नहीं, तो वाकई में हम सफल नहीं हो सकते हैं बगैर उसको बदले हुए। उनके सोचने का ढंग, जैसा मैंने बतलाया, एक दूसरा हो गया था। एक खास ढांचे में काम करते करते उनकी मनोवृत्ति एक दूसरे किस्म की थी और वह एक आफीसराना ठाट-बाट जो हुआ करता था, उसमें थे। लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि हमारे मंत्रिमंडल का और हमारी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। मैं तो समझता हूं कि वह इस ओर काफी सतर्क हैं और अक्सर इस किस्म के सरक्युलर निकालते हैं कि उनको अपना आफीसराना बर्ताव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवर कृष्ण वर्मा]

बदलना है । उनको जो हमारा समाज है, जो हमारी जनता है, उसका सेवक बन कर रहना है । हम आज इस देश में और इस प्रदेश में उन्नति कटना चाहते हैं और अपनी नीतियों को कार्यान्वित करना चाहते हैं । हम समाजवादी समाज की ओर बढ़ना चाहते है और आज इस क्रांति को हम लाने जा रहे हैं । तो उसकी तरफ हमारे अधिकारियों की और हमारे कर्मचारियों को नजर होनी चाहिये और उनको इस व्यवस्था में अपने को समावेश करना है । तो अगर हम धीरे-धीरे इस तरफ नजर रक्खें और अपने कर्मचारीवर्ग का ध्यान इस तरफ आकर्षित करते रहें तो मैं समझता हूं कि हमको कामयाबी काफी हासिल हो सकती है ।

अभी पिछले सालों में जिस वक्त कि श्रमदान वगैरह चलता था, खरीफ और रबी की फसलों की बात हुई थी, मैंने उसमें देखा कि जो भावना हम लोग चाहते है कि उनमें समावेश हो जाय, उस भावना से वह लोग काम कर रहे थे । जो मानव समाज है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह हर माने में परिपूर्ण है । अगर यह चीज होती तो शायद हम लोग देवता हो जाते । उसमें दो-चार जरूर ऐसे निकलेंगे जो कि इस कार्य को, जिस तरह से हमारी सरकार चाहती है, उस तरह से न करें । लेकिन जैसा मैंने जिक्र किया कि अगर दो-चार ऐसे निकलते हैं तो उसकी वजह से यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार की नीतियों का पालन ठीक तौर से नहीं हुआ है । दो-चार जो ऐसे निकलेंगे कि ठीक काम नहीं करते उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही हो सकती है, उनको सजा दी जा सकती है । मेरे कहने का मतलब यह है कि हमको इसकी नजरिये से इसको देखना है ।

कुछ बातें और कही गयीं । एक तो यह बात कही गयी कि गवर्नर का पद हटा देना चाहिये । मैं नहीं समझता कि किस तरह से इस सदन में इस चीज पर बहस की जाती है जब कि संविधान में यह बात मौजूद है और उसके मुताबिक यह चीज रहेगी और यह इस सदन के अधिकार मे नहीं है कि वह इसको हटा सके । दूसरी बात काउंसिल के लिये कही गयी कि क्यों न उसे तोड़ दिया जाय । मैं इसकी तरफ भी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसी सदन में अभी थोड़े दिन पहले हमने पास किया था और उसको पास करने के बाद अब उसी बात को उठाना कहां तक उचित है । दूसरे यह भी कहा गया कि जो बड़े-बड़े वेतन हैं, वह घटा दिये जायं । इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि यह आक्षेप गालिबन आई० सी० एस० और आई० ए० एस० वालों पर है, लेकिन उनके वेतन का मामला इस सदन के या प्रदेश की सरकार के हाथ में नहीं है, वह आल इंडिया सर्विसेज हैं और यह सब केन्द्रीय सरकार ही कर सकती है, वहीं से उनका ग्रेड और वेतन मुकर्रर होता है, वहीं से उन के ट्रान्सफर्स होते हैं, यह हमारे बस की बात नहीं है ।

***श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)---उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आप से निवेदन करूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं दारुलशफा में आज की घटना की जानकारी के लिये गया था । वहां पर.....

श्री उपाध्यक्ष---जो उस वक्त की कार्यवाही है वह मैंने पढ़ ली है । उस वक्त ही माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि वह कार्यवाही करेंगे । जबतक उनकी कार्यवाही समाप्त न हो जाय और उस की कोई अन्तिम रिपोर्ट न आ जाय, तबतक उस मामले का कोई जिक्र न होना चाहिये । आप केवल सामान्य प्रशासन पर ही बोलें ।

श्री राजनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, इतना तो मैं आपको बता दूं कि माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से, सेवा भाव से ही यह सेवक वहां गया था, मैं ने उन से कहा था कि मैं वहां जाऊंगा और उस सदस्य को पीटता हुआ लाऊंगा, इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि आप जाइये लेकिन पीटते हुए न लाइये ।

श्री उपाध्यक्ष---वह तो आप अपने मन से गये थे, ऐसी आज्ञा अध्यक्ष महोदय नहीं दे सकते। माननीय अध्यक्ष को किसी प्रकार की कार्यवाही के लिये नियुक्ति करने का अधिकार भी नहीं है कि वह बिना पूरी जानकारी के किसी मामले को रिपोर्ट के लिये भेज सकें। इस मामले पर सचमुच कार्यवाही हो रही है और यदि आवश्यकता होगी तो माननीय मुख्य मंत्री जी खुद उत्तर देंगे।

एक सदस्य---हम चाहते हैं कि माननीय राज नारायण जी स्पष्ट कर दें कि वह किस तरह के सेवा भाव से गये थे, वह क्या सेवाभाव था ?

श्री उपाध्यक्ष---यह तो ठीक है, सब अच्छे भाव से ही जाते हैं।

श्री राजनारायण---मैं श्रीमन्, स्पष्ट कर दूं, उनका जवाब दे दूं ?

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं, आप अपना भाषण दें, इस विषय पर न कहें।

श्री राजनारायण---मैं एक निवेदन पहले करूंगा कि २ प्रस्ताव कटौती के साथ-साथ पेश हुए हैं, मैं चाहता हूं कि जिस तरह से पालीवाल जी को ४० मिनट का समय मिला था हम को भी उसी तरह से २० मिनट दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष---२० मिनिट तो अधिक होंगे, १५ मिनट ही दे सकूंगा।

श्री राजनारायण---माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रदेश के सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में जो अनुदान पेश किये हैं उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी ने अनुदान पेश करते हुए कहा था कि सामान्य प्रशासन कोई विकास का विषय नहीं है कि उस में कोई नित्य नई-नई बातें आयें। उनके जवाब में मैं आपके द्ववारा सदन के सम्मानित सदस्यों की सेवा में निवेदन करूंगा कि यदि सामान्य प्रशासन विकास का विषय नहीं है तो सामान्य प्रशासन विनाश का भी विषय नहीं है। आज यहां का जो सामान्य प्रशासन है वह निश्चित रूप से प्रदेश को विनाश की ओर ले जा रहा है। कहा जायगा कैसे ? मैं आप को याद दिलाउंगा। लगातार ७ साल से इस सदन में सामान्य प्रशासन किस के अनुरूप है, यह मैं बताऊंगा जैसे 'रसरी आवत जात तें सिल पर होत निसान' हम देख रहे हैं कि जिस तरह से शासन को ले चलने की बात हम करते हैं उसी के अनुसार कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों सदस्य धीरे-धीरे आने लगे हैं और शायद उसी रास्ते पर वह आ जायं। मैं इस सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन करूंगा। जहां मैं यह कहता हूं कि यह सरकार जिस तरह से चल रही है वह इस प्रदेश के विनाश की जिम्मेदार होगी, उसी तरह से हम यह भी कहते हैं कि विरोधी पक्ष भी ठीक तरह से अपने विरोध करने के कर्तव्य का पालन यदि नहीं कर पा रहा है तो विरोधी पक्ष भी उस जिम्मेदारी से वंचित नहीं होगा। उदाहरणार्थ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता सुख सुविधा सम्पन्न हो, कुनबापरस्ती न हो भाई-भतीजावाद न हो, मंत्री लोग देखें कि उनके रिश्तेदार कहीं नाजायज फायदा न लें। क्या सदन का कोई सम्मानित सदस्य हमें किसी स्तर पर बता सकता है कि कांग्रेस सरकार के मंत्री लोग यह बात नहीं करते ? मुख्य मन्त्री, सम्पूर्णानन्द जी बारबार इस सदन में कहा करते हैं। मैं भी करप्शन की बात सुनकर घबड़ा जाता हूं। मैं चाहता हूं कि करप्शन न हो, मैं चाहता हूं कि देश विकसित हो लेकिन कैसे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, किस प्रकार भ्रष्टाचार न हो ? यह सब कहते हैं पर भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। कांग्रेस के मंत्रिगण और माननीय सदस्य भी बतायें कि ऐसी अवस्था में क्या किया जाय ? केवल शब्दों का प्रयोग ही इस सदन में काफी हो और उसके लिये उदाहरण न प्रस्तुत किये जावें तब तो विरोधी पक्ष और सरकारी पक्ष में बहुत कम अन्तर रह जाता है। इसीलिये सोशलिस्ट पार्टी ने बारबार इस बात को कहा है कि जहां तक शाब्दिक

[श्री राजनारायण]

और मानसिक स्तर की बात है करीब-करीब सभी पार्टियां कहने लगी हैं कि हम समाजवाद चाहते हैं, सभी पार्टियां दुहाई देती हैं कि सामाजिक और आर्थिक विषमता नहीं होनी चाहिये। ये बातें सभी कहते हैं। लेकिन सवाल मूल यह है कि क्या इसका कारण है? मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्यगण अच्छी तरह से इस पर सोचें और विचार करें कि क्या कारण है। मैं चाहता हूं कि करप्शन न हो, मैं चाहता हूं कि भाई-भतीजावाद न हो मगर वह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, इसका क्या कारण है?

एक बार नहीं अनेकों बार, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा माननीय सम्पूर्णानन्द जी से, माननीय कमलापति जी से और माननीय गोविन्द सहाय जी से, जिनको हमारे भाषण में कोई नवीनता नहीं मालूम होती, कि वे सोचें कि क्या सम्पूर्णानन्द जी नहीं चाहते हैं और क्या कमलापति जी नहीं चाहते हैं कि करप्शन दूर हो, चाहते तो हैं कि दूर हो, लेकिन महज कहते ही हैं और यदि उसी प्रकार से कह कर विरोधी पक्ष के लोग भी अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लें तो क्या करप्शन दूर होगा? कभी नहीं होगा।

पिछले २ साल में हमारा सम्पूर्णानन्द जी का पत्र व्यवहार हुआ है, मैंने उनको भ्रष्टाचारिता के बारे में लिखा है और उनके उत्तर भी आये हैं उनको अगर खुलकर इस सदन में पढ़ें तो मालूम होगा कि वास्तविकता क्या है। आप इसके लिये हमें अवसर दें क्योंकि माननीय अध्यक्ष समय-हमय पर कहते हैं कि आपने उनको पहले लिखा? तो समय-समय पर डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी को हमने कुनबापरस्ती और भ्रष्टाचारिता की बातें बतायी हैं। हमने उनको दो-तीन पत्र लिखे हैं। उनका जवाब भी आया है और उसके बाद जब वह चुप्पी साधते हैं तब हमें श्रीमन् बताया जाय कि हम क्या करें। तो श्रीमन् मैं समझता हूं कि अब आप की आज्ञा से उन पत्रों को सदन के सामने रख दूं।

श्री उपाध्यक्ष--समय कम है, आप केवल उन पत्रों का सारांश पढ़ दें। पूरा पढ़ने के लिये समय नहीं है।

श्री राजनारायण--पूरे पत्र के लिये २ घंटे का समय चाहिये, उसमें भी पूरा नहीं होगा। १२-८-५८ को श्री सम्पूर्णानन्द जी की सेवा में हमने एक पत्र कुछ उदाहरण के साथ भेजा। उसका हेडिंग है :--

"Widespread prevalance of casteism in Administration".

प्रशासन में जो बड़े पैमाने पर जातिवाद बढ़ता जा रहा है उसके कुछ नमूने।

"A large number of Heads of Departments belonging to a particular caste having been appointed".

श्री उपाध्यक्ष--आपका पत्र क्या अंग्रेजी में है? आपकी तो नीति है हिन्दी में होना चाहिये। तो क्या आपने पत्र अंग्रेजी में भेजा था?

श्री राजनारायण--हमने जो उदाहरण थे उसकी नकल अंग्रेजी में टाइप करा कर भेजा। हमारे पास अंग्रेजी की मशीन नहीं थी इसलिये हमने कहा कि अब आप इसको टाइप कराकर भेजें। हमारे पास मशीन नहीं थी वरना स्वयं आपकी सेवा में टाइप कराकर प्रस्तुत करता। खैर, उसके बाद जो पत्र आया है वह भी मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तो मैंने कहा था कि एक योगेन्द्रनाथ वर्मा हैं। उनको एक्साइज इंस्पेक्टर क्यों रक्खा गया? कब रखा गया? हमारा अपना मत है कि जातिवाद का उत्तम उदाहरण है। जातिवाद के बोलबाला का एक और उदाहरण आपके सामने और है :--

"A large number of good posts have been given to Officers of a particularcaste by removing efficient Officers of other castes".

दूसरी बात उनकी सेवा में मैंने यह निवेदन की कि बड़े पैमाने पर एक खास जाति के लोगों को अच्छी-अच्छी पोस्टों पर रखा गया है जबकि दूसरे लोगों को वहां से ट्रांसफर किया गया है ।

तीसरी बात––

"A scheduled caste Senior Superintendent of Police was appointed to a high post ot Headquarters, but within a few months was replaced by a man af the favoured caste".

एक शेड्यूल्ड कास्ट का एस० पी० था जो हेडक्वार्टर्स पर नियुक्त किया गया था । मगर दो, तीन महीने बाद उसको बदल दिया गया और उसकी जगह उसी विशेष जाति का व्यक्ति रखा गया ।

"This scheduled caste officer had decorations of gallantry from the President. This has created resentment among the services of scheduled castes and among others on the ground of such open favouritism".

"Daulat Ram Neem was replaced by Balbir Saran Das."

दौलतराम को बदल कर बलबीरसरनदास को रखा गया ।

"A large number of District Magistrates belonging to the favoured caste have been given better districts and assignments. A large number of favoured caste officers are in the Secretariat. Some of them hold very key and dominating posts".

इस सम्बन्ध में मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि जो सिंचाई विभाग के एक माननीय मंत्री जी के विरुद्ध माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वतः इन्क्वायरी करने के लिये कहा, तो जब तक प्राइमा फेसी केस नहीं था तो कैसे उन्होंने कहा और अगर प्राइमा फेसी केस था तो उन मंत्री महोदय ने इस्तीफा दिया या नहीं ? अगर किसी अफसर के विरुद्ध कोई चार्ज होता है और प्राइमा फेसी केस पाया जाता है तो उस अफसर को सस्पेंड किया जाता है । क्या मंत्रिमंडल के लिये वह उदाहरण अपेक्षित नहीं है ? होना चाहिये । जब माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन में किसी मंत्री के विरुद्ध यह कहते हैं कि मैं उसकी जांच करूंगा और वह मंत्री जी अपने पद पर विराजमान रहेंगे तो कैसे ठीक तरीके से जांच हो सकेगी ।

श्रीमन्, लोग समझते होंगे कि जिन लोगों के सम्बन्ध में हमें इन बातों को कहना पड़ रहा है उनसे हमारी अपनी जाती कुछ बात है । लेकिन ऐसा नहीं है । हमारे उनसे अपने जाती ताल्लुकात रहे हैं और हैं । जब पंतजी यहां पर थे, मैं आपको अपनी सफाई दे दूं, तो पहाड़ी जिलों के एम० एल० ए० बहुत कहा करते थे कि चूंकि पंतजी पहाड़ी हैं इसलिये यह ऐसी बातें करता है, यह तो मैदानी मुख्य मंत्री चाहता है । जब सम्पूर्णानन्द जी आये, वह भी बनारस के हैं, और हम उनकी खामियों को सामने रखने लगे तब लोग कहते हैं कि इनका तो सम्पूर्णानन्द जी से कोई निजी मामला है । लेकिन मैं साफ कह देना चाहता हूं कि हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है । श्रीमन्, आपको स्मरण होगा, उस समय आप हमारे दल में विराजमान थे, उपाध्यक्ष के पद पर नहीं थे, कि जब माननीय सम्पूर्णानन्द जी मुख्य मंत्री हुए थे तो वही सी० बी० गुप्ता साहब ने कहा था कि सम्पूर्णानन्द जी के स्वागत के लिये सदन में एक प्रस्ताव आना चाहिये । उस समय हमने उसका विरोध किया था और कहा था कि जब तक हम सम्पूर्णानन्द जी के कामों को न देख लें कि यह पन्तजी से अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं तब तक उनको कोई सर्टिफिकेट देने के लिये हम तैयार नहीं हैं ।

तो जब कि यह केस इन्क्वायरी के लिये पेंडिंग है उसी बीच में सिंचाई विभाग के सेक्रेटरी जो कि मुसलमान थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया और उनकी जगह पर एक

[श्री राजनारायण]

कायस्थ को रखा गया। क्यों ? इसकी सफाई होनी चाहिये। इसी के साथ-साथ हमने माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा कि--

"The present Chief Secretary is encouraging all this as the previous one was doing to please the Chief Minister and hide his moral drawbacks. The present Chief Secretary who himself belongs to the favoured caste is actively pursuing this policy.

Recently there have been differences of opinion between a Head of the Department of the favoured caste and a Secretary. The experienced and efficient Secretary has been transferred."

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह उदाहरण काफी लम्बे हैं और हमारे लिये समय बहुत थोड़ा रखा गया है। हमने मुख्य मंत्री जी को पत्र भेजा है उसका जवाब भेजा है श्रीमन्, उनका जवाब २१ अगस्त, १९५८ को आया है कि "प्रिय राजनारायण जी, कुछ दिन हुए आपने मेरे पास एक कागज भेजा था जिसमें बहुत विस्तार के साथ यह शिकायत की गई थी कि आजकल कलक्टरों के पदों पर, विभागाध्यक्षों के पदों पर और सचिवों के पदों पर एक विशेष बिरादरी के लोग भरे जा रहे हैं और अपने ऐबों को ढांकने के लिये और मुख्य मंत्री को खुश करने के विचार से मुख्य सचिव उसी खास बिरादरी के लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं। यह समझने में किसी को जरा भी देर नहीं लग सकती कि आपका संकेत किस खास बिरादरी की ओर है। मुझको इस कागज को देख कर आश्चर्य हुआ है और मैंने उन मामलों की पूरी-पूरी जांच कराई।"

श्रीमन्, यह माननीय सम्पूर्णानन्दजी का पत्र है और मैंने नम्र सेवा भाव से उत्तर लिखा कि मैंने जो नोट आपकी सेवा में किसी खास बिरादरी के लोगों की नियुक्ति के सम्बन्ध में भेजा था स्थानान्तरण, पदोन्नति, उसकी चर्चा आपके उत्तर पत्र में पाई गई। आपने सम्भवतः मुझे विशेष जानकारी न कराने के लिये टालमटोल का उत्तर दिया है। जो नोट मैंने भेजा था उसमें कुछ खास-खास व्यक्तियों तथा पदों की चर्चा थी, आपने इतने दिनों के बाद यह नहीं लिखा कि उसमें कितनी सत्यता या असत्यता है। एक-एक पद या कर्मचारी जिसका वर्णन उस नोट में है कृपया उसे बताइये सही है या गलत है। यह पत्र २२-८-५८ को भेजा गया था और पहला पत्र १२-८-५८ को भेजा गया था। १६ दिन के बाद श्री सम्पूर्णानन्द जी का जवाब आया जबकि उनके पास सारे आंकड़े मौजूद हैं तब भी वह अपने को इस पोजीशन में न रख सके कि वह बतलाते कि इसमें क्या सत्य है और क्या असत्य है।

हमने उनसे पूछा कि आप एक सूची दीजिये कि कौन-कौन कलक्टर किस-किस बिरादरी के हैं और कौन-कौन हेड आफ दि डपार्टमेंट किस-किस बिरादरी के हैं और कौन-कौन सचिव किस-किस बिरादरी के हैं। उसके देखने के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंच सकेंगे कि क्या गलत है और क्या सही है लेकिन आज तक उनका कोई उत्तर नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से और पालीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि अगर इन तथ्यों को सदन में रखकर हम मुख्य मंत्री जी से निवेदन करें तो क्या यह डीसेन्सी को तोड़ना है। आज सर्वप्रियता के लोभ में मैं देखता हूं कि बहुत से सम्मानित सदस्य भटक जाते हैं और सोचते हैं कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो उजड्ड कह दिये जायेंगे, हुल्लड़पना कह दिया जायगा कि यह पार्लियामेंटरी डीसेन्सी के बाहर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इन तथ्यों का उद्घाटन होना चाहिये। (व्यवधान) आप लोग निश्चिन्त रहें उपाध्यक्ष महोदय, हमें काफी समय देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--अब तो काफी हो गया है। समय भी कम है।

श्री राजनारायण--मैं इतना ही हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा दिल भरा हुआ है और हमें इन बातों के कहने में कोई प्रसन्नता नहीं होती है लेकिन क्षोभ-भाव से प्रेरित

होकर हम कहते हैं । आज हम देख रहे हैं कि सारा प्रदेश डूब रहा है, जब जनस्रोत सूख रहा है और जब इंसानियत का चिराग बुझ रहा है तो हमें यह बातें कहनी पड़ती हैं ।

हमारे साथी श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने माननीय सम्पूर्णानन्द जी को लिखा कि कानपुर में जोकैसा है उसमें एक श्री कीर्तिनन्दन विमल हैं, यह आपके भतीजे हैं, उनके पास कोई योग्यता नहीं है, उनको कैसे नियुक्त कर लिया गया ? उनका जवाब है कि वह हमारे भतीजे हैं, अस्थायी हैं, हमें खुशी होगी अगर वह हटा दिये जायं । जिस दिन जवाब आता है उसके दूसरे ही दिन वह कनफर्म कर दिये जाते हैं । बतलाइये कि यह कैसे हो गया ? क्या यह कुनबा परस्ती नहीं है ? मैं आदरणीय पालीवाल जी, त्रिलोकी सिंह जी तथा माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री जी ने कोई कार्यवाही की है ।

इसी तरह से एक श्री गुरूनन्दन प्रसाद श्री सम्पूर्णानन्द जी के संबंधी हैं । उनकी योग्यता कुछ नहीं है । वह इसी फैक्टरी में १७०–१०–२०० के ग्रेड में हैं । क्या बात है ? कौन लोग हैं और क्या कार्यवाही की गई है ? मैं सब जानता हूं, लेकिन मैं उनके लिये वही आदर-भाव रखता था जब कि वह लेट कर पुस्तक पढ़ा करते थे और "कांग्रेस साम्राज्यशाही की ओर" लेख निकाला करते थे मैं । वह आदर का भाव निकालना नहीं चाहता हूं । मगर बाध्य होकर समाज की सेवा के लिये इन बातों को कहना पड़ता है । एक मुहम्मद आकिल साहब हैं । क्या पढ़े हुये हैं ? यह भूतपूर्व बिजली मंत्री, हाफिज जी, के कोई रिलेशन हैं । दो सौ रुपये प्रति मास पर स्टोर वेरीफायर के पद पर नियुक्त हैं । क्या योग्यता है, क्यों न जांच हो ? जी० सी० मिश्रा बहरे हैं । वह श्री कमलापति त्रिपाठी के साढ़ू हैं । बिना योग्यता के २००–४०० के पद पर रखे गये हैं । तो जांच हो कि मंत्रियों के रिश्तेदार कहां-कहां और कब रखे गये हैं । मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि हमारी इच्छा है कि ये सारी खबरें गलत साबित हों और वह दूध के धोये निकलें, निकलें तो सही । श्रीमन्, अगर हम मंत्री हैं और हमारा कोई भाई या भतीजा जिसको योग्यता हासिल नहीं है वह किसी पद पर रख दिया जाता है, क्या यह पक्षपात नहीं है ? क्या यह कुनबापरस्ती नहीं है ? मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा समय और दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष––आपने खुद कहा था कि २० मिनट दे दीजिये और उसमें १८ मिनट हो गये हैं । दो मिनट अभी बाकी हैं ।

श्री राजनारायण––हमारी गलती थी । मगर आप अगर सोचते हैं कि मैं कुछ सेवा कर रहा हूं तो बढ़ा दीजिये गा ।

श्री उपाध्यक्ष––आपने २० मिनट खुद मांगे थे ।

श्री राजनारायण––मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि श्री सर्वदानन्द वर्मा क्या पास हैं ? हाई स्कूल भी शायद पास नहीं हैं । अगर उनको कोई भी मिल मालिक पांच सौ या एक हजार रुपये देता है तो क्यों देता है, क्या योग्यता विशेष है ?

श्री उपाध्यक्ष––आप नाम लेते चले जायं लेकिन तफसील में जाने. . . .

श्री राजनारायण––अब तो चेक का नम्बर आ गया है । यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, हजरतगंज में श्री सर्वदानन्द का २४–३–५८ को ८०० रुपया जमा है । २–५–५८ को ८०० रुपया जमा है ।

श्री उपाध्यक्ष––श्री सर्वदानन्द वर्मा, यह कोई सरकारी अधिकारी हैं ? मैंने आपको मना कर दिया कि उनके बैंक बैलेंस का जिक्र न करें ।

श्री राजनारायण—अब तो चेक का नम्बर आ गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—मगर आपने बता तो दिया ।

श्री राजनारायण—श्री सर्वदानन्द वर्मा का यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, हजरतगंज में इन तारीखों में इतना रुपया जमा है । २४-३-५८ को ८०० रुपये । २-५-५८ को ८०० रुपये ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री सर्वदानन्द वर्मा, यह कोई सरकारी अधिकारी हैं ? मैंने आपको मना कर दिया । आपने बता दिया कि मुख्य मंत्री के सम्बन्धी हैं । कोई बात कहने की कोई सीमा तो होनी चाहिये । उनके एकाउंट का.....

श्री राजनारायण—जब हमसे सदन में कोई डिप्टी मिनिस्टर कहे कि उनको कहीं से रुपया नहीं मिलता है तो उसके प्रमाण स्वरूप लाया हूं कि सदन को किस तरह से गुमराह किया जाता है । आप जरा याद करें । मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने कहा था दूंगा । वह दिल्ली चले गये । मैंने निवेदन किया था कि कहीं ऐसे दिन जवाब न मिल जायं कि मैं न रहूं । मैं चकिया-चंदौली के निर्वाचन में चला गया । सदन में जवाब हुआ । मैं बोल नहीं पाया । मेरी हिम्मत देखिये, मेरा मुकद्दर देखिये । "जब सुलझ जाती है गुत्थी, फिर से उलझाता हूं मैं"।

श्री उपाध्यक्ष—शासन से जिनका सम्बन्ध न हो उनका नाम नहीं लेना चाहिये । बैंक एकाउंट क्या है, मैं इसकी इजाजत नहीं देता । अब आपका समय भी पूरा हो गया है ।

श्री राजनारायण—मैं चाहता हूं कि कर्मचारियों को भाषण स्वतंत्रता दी जाय । इससे हम बहुत दूर तक भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं । इसके लिये नियमों में संशोधन किया जाय । जो ५५ से ५८ की उम्र सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के लिये बढ़ायी गयी है यह नितांत अनुचित है, असामाजिक है और बेकारी को बढ़ाने वाली है । इसको खत्म किया जाय। मैं चाहता हूं कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट की व्यवस्था समाप्त की जाय क्योंकि उसमें एक राजनैतिक दल विशेष को महत्व दिया जा रहा है और बहुत गलत काम कराये जा रहे हैं । मैं चाहता हूं कि कोड आफ कंडक्ट में परिवर्तन हो और सरकारी कर्मचारियों को अपने विचार अभिव्यक्ति की पूरी-पूरी आजादी हो । मैं चाहता हूं कि कैरेक्टर रोल कैसा हो, उसके बारे में सदन की एक कमेटी बनायी जाय जो उसकी पूरी व्यवस्था दे । और डिस्पैरिटी जो है, असंगति, विषमता जो है सर्विसेज की तनख्वाहों में उसको समाप्त किया जाय । आज बड़ी भारी विषमता कायम है । एक निवेदन और करना चाहता हूं । काफी समय हो गया है । चकिया-चन्दौली उप-निर्वाचन अभी-अभी हुआ । कांग्रेस कैन्डीडेट का एलेक्शन रिटर्न अभी-अभी दाखिल हुआ है । ८ हजार रुपया रोडवेज का किराया उसमें बकाया दिखाया गया है । क्या यह सरकारी पार्टी का पक्षपात नहीं है ? अगर किसी उप-निर्वाचन में रोडवेज अपनी सारी जीपें ८,००० रुपये पर एक पार्टी को दे दे और मंत्री विशेष के रहने की वजह से दे दे क्योंकि एक मंत्री से उनकी रिश्तेदारी है जो कि आज बनारस में नियुक्त हैं, हमारे लिये जनरल मैनेजर साहब ने, श्रीमन्, पैसा रखवाकर तब एक दिन के लिये एक जीप दी है रोडवेज की । कांग्रेस के लिये कोई नियम नहीं है । इसी उप-निर्वाचन में कांग्रेस कैन्डीडेट के लिये बिना पैसा रखवाये हुये सारी जीपें दे दीं और वे चारों तरफ दौड़ीं । तो यह करप्शन का ज्वलंत उदाहरण है । जब तक यह सरकार रहेगी करप्शन का बोलबाला रहेगा । जनता इसे समाप्त करे, यही अच्छा है ।

श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस अनुदान के बारे में बोलने का जोश कुछ कम हो गया था और आशा भी नहीं रह गई थी लेकिन श्री राजनारायण जी की स्पीच सुनकर यह प्रेरणा हुई कि इस पर कुछ कहा जाय । मुझे यकीन है कि अगर उनकी स्पीच को जो उन्होंने आज दी है किसी ठंडे वक्त में उन्हीं के पास भेज दिया जाय पढ़ने को या, किसी

सोशलिस्ट को जो दुनिया भर के सोशलिज्म के नाम से सम्बोधित हो, तो उसे आश्चर्य होगा । मैं उनसे आशा करता था कि वह बतायेंगे कि ऐडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह ऐसा बनाया जाय, किस तरह इसका गठन किया जाय कि जिससे सही मानी में यह उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सके जिसकी इससे आशा की जाती है। उन्होंने जो कुछ कहा उस कहने से मुझ पर एक ही असर पड़ा कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के ढांचे, उसकी कार्य-प्रणाली के बारे में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ ज्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि उस मशीन के अन्दर फलां पुर्जा कौन हो, कैसा हो, किसका रिश्तेदार हो। जो कुछ उन्होंने आज कहा है अगर उसका जरा विश्लेषण किया जाय तो उसमें ९० फीसदी सिर्फ इस बात पर जोर दिया है कि इस मशीन के अन्दर जो पुर्जे हैं वह अमुक पुर्जा अमुक का रिश्तेदार है इसलिये रखा गया, अमुक पुर्जा नहीं रखना चाहिये था। मैं यह समझता हूं कि यह विचारधारा कोई ज्यादा अच्छी विचारधारा नहीं है। साथ ही उनकी सारी दलीलों का एक ही असर मेरे ऊपर पड़ा कि उनका खयाल है कि इस दुनिया में अपने को ईमानदार साबित करने के लिये, अपने आप ईमानदारी से रहना जरूरी नहीं है। सिर्फ अपने विरोधियों को अगर बेईमान साबित कर दिया जाय तो इससे काम चल सकता है। जो बातें उन्होंने कहीं ये बातें बड़ी सामान्य हैं। आज हमारे समाज के अन्दर जाति का प्रश्न है और जाति का प्रश्न न सिर्फ सेवाओं में है बल्कि हम पोलिटिकल लोग भी जब कैन्डीडेट खड़े करते हैं तो जाति-पांति का लिहाज करते हैं। जो वस्तुस्थिति है उससे आंखें नहीं मोड़ना चाहिये। महज सेवाओं के ऊपर एक इस किस्म का रिश्ता निकालना या इस तरीके से बहस को बदलना कोई अच्छी बात नहीं है। बहरहाल, अब इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा।

अब मैं अपना पक्ष कहना चाहता हूं। मैं स्वयं यह समझता हूं कि जैसे-जैसे समाज के उद्देश्यों में विकास हुआ है वैसे-वैसे ही ऐडमिनिस्ट्रेशन की कार्यप्रणाली में भी विकास हुआ है। जैसे जिस जमाने में मानर्की थी उस जमाने में सारे शासन का ढंग एक किस्म का था, उनकी पोशाक, उनका व्यवहार, उनकी बातचीत, सब एक ढंग की थी। उसके बाद कैपिटलिज्म आया। मौजूदा सिस्टम आया। इसमें भी एक तरीके से ऐडमिनिस्ट्रेशन का विकास हुआ। अब हम सबने और खासकर इंडियन पार्लियामेंट ने सोशलिस्टिक समाज बनाने का निश्चय किया है तो उसके लिये यह जरूरी है कि हम अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन में, उसकी कार्यप्रणाली में, उसके काम करने के ढंग में, उसकी कंडीशन्स में, उसके बर्तावों में ऐसी कुछ तब्दीलियां लायें जिन तब्दीलियों से आम आदमी को यह पता चल सके कि यह ऐडमिनिस्ट्रेशन मेरे लिए बना है, मैं ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं बना हूं। यह एक बड़ा मौलिक सवाल है। अभी माननीय झारखंडे राय जी ने भी कुछ विचार व्यक्त किए। सही बात यह है कि जितने विचार व्यक्त किये गये सबने-अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी बातें कहीं। कुछ अपने-अपने जिलों की परेशानियां भी कहीं। इसलिए ख्याल यह होना चाहिये और इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि जहां से भी कोई अच्छी बात मिले उसे लेना चाहिए। इसमें न इधर वालों को गुरेज है न उधर वालों को हो सकता है।

श्री झारखंडे राय ने कुछ चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र किया। चाइना का एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहां से बिलकुल जुदा है, वहां की शासन प्रणाली बिलकुल जुदा है। यह सही है कि चाइना में यह बातें सम्भव थीं, लेकिन हमारे यहां सम्भव नहीं हैं क्योंकि चाइना के अन्दर जो समाज का गठन हुआ है वह एक सिविल वार, एक रिवोल्यूशन, के बाद हुआ है। उनके लिए आसान था कि एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकते थे जिस ढंग से चाहते, लेकिन हमारे यहां की स्थिति बिलकुल भिन्न है। एक पुराने तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन की मशीन मिली और उसके मिलते ही हिन्दुस्तान के अन्दर एक खाना जंगी शुरू हुई। लाखों, करोड़ों आदमी इधर से उधर आए तो यह सम्भव नहीं था और आज उन चीजों के करने में भी दुश्वारियां हैं, लेकिन उसकी ओर ध्यान जा रहा ह और उसकी ओर

[श्री गोविन्द सहाय]

ध्यान खींचा जाता है तो यह अच्छी चीज है । मैं इस बात से इत्तिफाक करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन सोशलिस्ट समाज के अन्दर बढ़ता है तो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्च भी बढ़ता है । बहुत से दोस्तों ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा बढ़ रहा है यह एक दलील है । सोशलिस्ट समाज के अन्दर हर पुरजा फैलता है उसमें इतना फैलाव होता है कि हर पुरजे को जो तनख्वाह मिलती हैं वह सोसाइटी के जरिए मिलती हैं । तो एडमिनिस्ट्रेशन का फैलाव हो, खर्चा हो इसको तो कोई रोक नहीं सकता और न रोकना चाहिए, लेकिन यह बात सही है कि उसमें जो आदमी हों, जो सरकारी मुलाजिम हों वह जनता का अपने को दोस्त समझे आका या मालिक नहीं । मेरा खयाल है कि चाहें इधर के लोग हों या उधर के लोग हों सभी यह चाहते हैं । अगर आप चाहते हों कि एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रांसफार्मेशन हो तो पहली चीज यह है कि जो पोलिटिकल लीडर्स हैं चाहें वह इधर के हों या उधर के हों कोई ऐसा काम न करें जो कि ब्यूरोक्रेसी की तरफ हो । सब लोग ब्यूरोक्रेशी की बात करते हैं, लेकिन जब एक दूसरे की नियत पर शंका करते हैं तो वह भूल जाते हैं कि वह समूचे ब्यूरो क्रेशी के सामने यह साबित करते हैं कि हम सभी अयोग्य है । मेरा ऐसा विश्वास नहीं है ।

पिछले वर्ष १०, १२ वर्षों में एक के बाद एक जो विपत्तियां इस देश में टूटी हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ सुलझाने की कोशिश की गई है । अपोजीशन लीडरान को बोलने में इस बात खयाल रखना चाहिये कि उनकी बात का असर समूची व्यवस्था पर क्या पड़ता है । मुझे खुशी है कि कहीं दो दिन से इस सदन में प्रशासन पर बहस हो रही है, उसका एक अच्छा स्तर रहा है । इधर के और उधर के लोगों ने अच्छे सुझाव दिए हैं और मुझे यह कहने में जरा भी गुरेज नहीं है । राजनारायण जी एक उस अच्छी आबोहवा में कुछ इस किस्म की बातें जो वह कहना चाहते थे और वह कहना जरूरी समझते थे, वह गन्दी चादर को धोना चाहते थे, पता नहीं वह गन्दी चादर किसकी है उसका अच्छा जायका नहीं है । खराब बातों को ढूंढ़ने में बहुत नीचे तह तक जाना पड़ता है और डर रहता है कि कहीं स्वयं बैठ न जायं । जहां तक समाज का तालुक है मैं मानता हूं कि समाज के अन्दर अभी संघर्ष भी है, समाज के अन्दर लोकसत्ताधारी क्लास भी जरूर है, उसका प्रभाव भी है और करप्शन भी है । मगर करप्शन आदि को दूर करने का यह तरीका नहीं है । मुझे ऐसा मालूम देता है कि करप्शन का तरीका हमारी समझ में एक ही आ रहा है और वह यह है कि सिर्फ सरकारी मुलाजिम ही यहां करप्शन करते हैं और दूसरे समाज के अन्दर यह बात नहीं है । मेरा इस मामले इस में बहुत स्पष्ट मत है । हम जिस समाज के अन्दर रहते हैं उसका आधार एक सोशल स्वार्थ है, व्यक्तिगत स्वार्थ हैं और व्यक्तिगत मुनाफा है । जब तक ये चीजें हैं आप समाज के अन्दर से करप्शन को महज इस किस्म की बातें कहकर उड़ा नहीं सकते । इसके लिये समूचे समाज में परिवर्तन करना पड़ेगा । रिश्वत का लेना और देना एक सतह से ही आता है । इसके लिये समूचे समाज में परिवर्तन करने की जरूरत है और समाज के संगठन को बदलने की जरूरत है ।

एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा भी हमको वैसा ही बनाना पड़ेगा जिसमें करप्शन की गुंजायश कम हो । तो मैं यह आशा करता था कुछ स्पीचेज से कि बहुत अच्छी बातें सुझाव के रूप में आयेंगी और बमुकाबले राजनारायण जी की स्पीच के कुछ अच्छी बातें आई, लेकिन राजनारायण ने शायद मेरा नाम भी लिया कि मैं उनकी बात को समझ नहीं पाता हूं । ऐसी बात नहीं है । मैं उनकी बात को गौर से सुनता हूं और जब कि उनके बोलने का तरीका भी ऐसा है, उनका व्यक्तित्व, उनकी वाणी और उनका शरीर भी ऐसा है कि जिसको कोई नजरन्दाज नहीं कर सकता । मगर उनसे हम कुछ अच्छी बातों की आशा करते थे, उसमें हम देखते हैं कि हमको नाउम्मीदी हुई ।

मेरा खयाल था कि वह कुछ विकेन्द्रीयकरण का जिक्र करेंगे लेकिन आज तो उन्होंने ३० मिनट की स्पीच में १८ मिनट तो सिवाय कुछ नौकरियों में कुछ भ्रष्टाचार बताने, कुछ किस्सा बतलाने में जिसको मेरा खयाल है कि इस प्रदेश का रिक्शेवाला भी जानता है, और कुछ नहीं बताया । इस प्रकार के किस्से को इस सदन में सुनाना कोई मुनासिब नहीं है । आपको यदि कुछ बातें मालूम हैं तो आपको यह अधिकार है कि आप उनको पेश करें, लेकिन उनको दलीलों में स्केंडलाइज करना कोई मुफीद बात नहीं है । इधर वालों के लिये अगर मुफीद नहीं हो सकता तो आपके लिये भी वह मुफीद नहीं हो सकता है । कोई शासन चल नहीं सकता है अगर इस तरह से नियुक्ति के ऊपर बजट के समय इतना जोर दिया करेंगे । बजट के मौके पर यह अच्छा होता कि आप शासन को ट्रान्सफार्म करने के विषय में अपने सुझाव देते जिनको मैं भी समझता हूं कि करने की जरूरत है । जैसे कि हमारे जो विभाग है उन विभागों में कुछ रेशनालाइजेशन होने की जरूरत है । रेशनलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिये । हमको यह देखना चाहिये कि गांव से लेकर प्रदेश तक जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वह हमारी पालिसी को उस तरीके से, उस स्प्रिट से, जिस स्प्रिट से हम यहां पर पास करते हैं कानूनों को उस स्प्रिट से वहां तक पहुंचाता है या नहीं इन बातों की जानकारी होनी चाहिये । अगर आपकी जानकारी में ऐसी बात आये कि हमारी वह स्प्रिट वहां नहीं पहुंच रही है तो आपका फर्ज हो जाता है कि उसके लिये सुझाव दें । मेरा खयाल है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी हमारी सरकारी मशीनरी है उसमें कम से कम मानसिक तरीके की कुछ तब्दीली लानी पड़ेगी ।

ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम इस तरह का है कि जिसके जरिये से सोशलिस्टिक समाज को बनाने का काम एक मुश्किल काम है । उसको काफी तब्दीली कर के ही वह चीज हो सकती है । इसके लिये सोचना होगा, बदलना पड़ेगा और उसके संगठन को बदलना पड़ेगा । इस तरीके से सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं । इनको बदलकर ही एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रांसफार्म होता है । यह एडमिनिस्ट्रेशन का काम ऐसा है जिसको १, २ दिन में नहीं कर सकते हैं । जो ढांचा १००, २०० साल से बना हुआ है उसको १०, १२ साल में यहां बैठकर बदल सकते हैं । उसको बदलने के लिये राजनीतिक पार्टीज में, विरोधी पार्टी में, समूची जनता में और सब के अन्दर उत्साह पैदा करने की जरूरत है, तब कहीं वह व्यवस्था बदल सकती है । उस व्यवस्था को बदलने के लिये बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा । इसलिये ऐसे सुझाव आयें जिससे लाभ हो सकता हो और सही माने में प्रदेश के अन्दर शासन स्थापित हो सकता हो तो अच्छा है । जो उपयुक्त सुझाव हों वे इस विषय में सहायक हो सकते हैं । इसलिये कुछ समस्याओं में तो मैं यह समझता हूं कि राजनीतिक पार्टीज के लीडर्स में ट्रस रखना चाहिये । उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे शासन के अन्दर ब्यूरोक्रेसी सिस्टम की जड़ें और मजबूत हों । अगर आप ने सही मायने में इस दिशा में कदम न उठाया तो इस देश के अन्दर इस तरह की शक्तियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं कि जिसको देख कर मुझे भविष्य अन्धकारपूर्ण दिखाई देता है । इस वजह से बहुत सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है । आज हमारा देश इस तरह की शक्तियों से चारों तरफ घिरा हुआ है कि जहां पर पड़ोस में ही जनतंत्र असफल होता जा रहा है । राजनीतिक नेताओं को अयोग्य कह कर और जनता में एक तरह से उनको अयोग्य [illegible] कर तानाशाही ताकतें ताकत में आती चली जा रही हैं । इस देश के अन्दर एक महान् [illegible] यह भी है कि हम कोई ऐसा काम न करें कि जिससे जनतंत्र की प्रणाली जो है, जो एक नरम शाख है वह ताकतवर होने के पहले ही कमजोर पड़ जाय । इसलिये इस दृष्टि से मैं यह आशा करता था कि स्तर भी ठीक रहता और सुझाव भी आते और उसके साथ साथ सदन को कुछ फायदा भी होता । हम एक बड़े नाजुक दौर में गुजर रहे हैं । इसमें हमारी पुरानी व्यवस्थायें टूट रही हैं और नयी व्यवस्थायें बन नहीं पा रही हैं । एक वैकुअम का जमाना है और ऐसी स्थिति में विस्फोट भी हो जाया करता है, बेचैनी भी हो जाया करती है । इसलिये इस नाजुक दौर में हमारा फर्ज है

[श्री गोविन्द सहाय]

कि हम अपने दिलो दिमाग पर अपना काबू रखें और एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक और उपयोगी बनाने में मदद दें; इसी में देश और प्रदेश को फायदा है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी माननीय गोविन्द सहाय जी की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था और उन्होंने जो एक बात कही वह मैं समझता हूं कि मुनासिब भी है। जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है, उसमें चाहे इधर के लोग हों अथवा उधर के, उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये कि जिससे ब्यूरोक्रेसी मजबूत हो। यह सही है लेकिन हम लोगों को सब से ज्यादा दुख यही है कि जो प्रशासन का मूलभूत आधार है कि एडमिनिस्ट्रेशन को राजनीति से अलिप्त रखना चाहिये, उसका प्रयोग राजनीति में दल के हित में नहीं होना चाहिये, उस आरोप से यह सरकार वंचित नहीं है। इस सरकार ने बार बार अपने दलगत स्वार्थ में शासन की मशीनरी का प्रयोग किया और इसका प्रमाण, श्रीमन्, यह है एक राशन कार्ड। यह मुरादाबाद में, अमरोहा में, सस्ते गल्ले की दूकानों को ईश्यू किया गया सप्लाई विभाग की ओर से। इस कार्ड पर डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर की मुहर लगी हुई है २४-१-५९ की और नीचे शहर कांग्रेस कमेटी, मुरादाबाद की भी मुहर लगी हुई है। मैं जानना चाहूंगा कि यह क्या है। क्या यह सस्ते गल्ले का कार्ड कांग्रेस कमेटी की ओर से दिया गया? और अगर कांग्रेस कमेटी के दबाव से सप्लाई आफिसर की मुहर लगायी गयी तो क्या यह अफसरों का ब्लैक मेल सत्तारूढ़ दल के द्वारा नहीं हुआ है?

(व्यवधान)

यह डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिस की मुहर हर जगह बिकती है। मुझे आश्चर्य है बरेली की बुद्धि पर और अगर, श्रीमन्, इस प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं तो उनका अर्थ क्या है? इनके द्वारा यह प्रचार किया जा रहा है कि हमने तुमको सस्ता गल्ला दिलवाया। सरकार से नहीं मिला, दूकानों से नहीं मिला, अब हमारी मुहर से लो। अगर यही तरीका रहा तो कभी भी प्रशासन ठीक से नहीं चल सकेगा, और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक दो नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे कार्ड दिये गये हैं। इसके लिये खुली जांच होनी चाहिये और जिसकी गलती हो उसको दण्डित किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---आप कार्ड भेज दें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---तो शासन का जो मूलभूत आधार है वह यह है कि वह राजनीति से अलिप्त रखा जाय और जब तक उसको अलिप्त नहीं रखा जायगा तब तक ब्यूरोक्रेसी बढ़ती जायगी, उसकी सामर्थ्य और शक्ति बढ़ती जायगी और एक स्थिति यह आ जायगी कि ब्यूरोक्रेसी को संभालने की शासनकर्ताओं में शक्ति न रहेगी और आज यह स्थिति इस प्रान्त में है इससे हम भाग नहीं सकते। वास्तविकता को हमें सामने रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हम यह कह कर नहीं भाग सकते कि यह ऐसी बात है कि जिसके ऊपर हम ज्यादा न कहें, नहीं तो तानाशाही को प्रोत्साहन मिलेगा। यह गलत बात है, डेमोक्रेसी की बुनियाद इसी पर होती है कि जो उसकी कमजोरियां हैं उनकी वाइडेस्ट पब्लिसिटी की जाय। जो गड़बड़ियां हैं उनकी वाइडेस्ट पब्लिसिटी होनी चाहिये और जितनी ही उन गड़बड़ियों का प्रचार होगा उतनी ही शक्तिशाली डेमोक्रेसी होगी और जिन-जिन देशों में गणतंत्र की कमजोरियों को छिपाया गया है वहां-वहां तानाशाही का जन्म हुआ है।

दूसरी बात, श्रीमन्, यह है कि आज मैं देखता हूं कि हमारे प्रशासनकर्ताओं में, राज्य कर्मचारियों में और जनता में एक भेद खड़ा हो गया है। जो एक दूसरे के बीच में अपनत्व के भाव आने चाहियें, जो सहानभूति होनी चाहिये वह सहानुभूति नहीं है। आज प्रशासन कर्ता अपने को अलग समझता है, अपने को सुपीरियर समझता है और समझने का परिणाम यह होता है कि आज एक नया ब्यूरोक्रेटिक क्लास खड़ा होता जा रहा है। आज मैं देखता हूं कि आफीसर्स

में ब्रदरहुड की बड़ी भारी भावना दिखायी दे रही है। अगर किसी आफीसर पर कोई आरोप लगाये जाते हैं और दूसरा आफीसर जब उसकी जांच करने जाता है तो उसमें उस ब्रदरहुड की भावना होती है। लेकिन उसकी भी तो एक सीमा होती है। जब उसका सीमा से बाहर प्रयोग होने लगता है तो स्पष्ट रूप से शासन में बाधा पड़ने लगती है, और आज यह चीज इस प्रान्त में हो रही है। जब दूसरा अफसर किसी जांच के लिये जाता है तो उसके सब-कांशस मन में ब्रदर आफीसर की भावना होती है और उसके पीछे उसको प्रोटेक्ट करने की भावना रहती है। यह भावना नहीं रहती कि उससे जनता को कष्ट हुआ है और वह उस जनता के कष्ट के कारण जांच करने के लिये जा रहा है, वह कैसे दूर होगा, यह बात उसके सामने नहीं रहती। अब इस ब्रदरहुड के आधार पर जो कार्य होता है उसका नतीजा यह होता है कि जनता के अन्दर जो सर्विसेज के प्रति विश्वास है वह समाप्त होता जा रहा है। अतः कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो उसको ठीकरूपेण चलाने के लिये यह आवश्यक है कि समाज में उसकी ऐफीशियेन्सी और उसके न्याय पर विश्वास हो; नहीं तो उसका विश्वास उठता जायगा। वह प्रशासन ठीक से नहीं चल सकता और उसको जो सफलता मिलनी चाहिए वह नहीं मिल सकती। लेकिन आज है क्या? आज प्रशासन में जनमत का विश्वास नहीं है। हर एक आदमी के मन में यह विश्वास खड़ा हो रहा है कि किसी बात के कहने से लाभ क्या है। होने वाला कुछ है नहीं, आफीसर लोग जैसा जंचा देंगे वैसा ही होगा। आज हमारे आफीसर्स के मन में जो कल्पना उठती है, उसी कल्पना को लादने का प्रयास किया जाता है। आज प्रशासन के द्वारा कल्पित जो विचार जनता के सामने आता है उसका समन्वय वास्तविकता के साथ नहीं होता है। उसके परिणामस्वरूप प्रशासन में जो मनुष्यत्व होना चाहिए, जिस सहानुभूति की भावना से भरा हुआ वह होना चाहिये उस भावना के अभाव में आज का प्रशासक एक निर्जीव भावना से समाज की समस्याओं की ओर देख रहा है। उसका परिणाम यह होता है कि जो योजनायें मस्तिष्क के द्वारा कल्पित होती हैं और विवेक के साथ, जनता की सहानुभूति के साथ उसका समन्वय जब नहीं होता तो वे योजनायें असफल होती हैं। तो आज हम देखते हैं कि अविश्वास, समन्वय के अभाव, योजनाओं में केवल बुद्धि की कल्पना, लेकिन वास्तविकता से परे होना, इन तीनों चीजों से मिल कर प्रशासन गिरता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। प्रशासन में जो जनता के प्रति उदार भावना होनी चाहिये, आज जो दोनों एक दूसरे के अधिक नजदीक होने चाहियें, दोनों में समन्वय होना चाहिये, दोनों में यह भावना होनी चाहिये कि दूसरा अपने से बाहर नहीं है, आज उसका अभाव है। हमें इस अभाव को मिटाना होगा। आज इसलिये इस प्रशासन की रूपरेखा को बदलना होगा। मैं यह नहीं कहता कि आफीसर लोग सूट, पतलून पहनना छोड़ दें। लेकिन जब कोई आफीसर गांव में किसी योजना को लेकर जाता है तो गांव वाला समझता है कि यह साहब बहादुर है और साहब बहादुर समझते हैं कि यह गंवार है। योजना के ऊपर उनका भाषण होता है और दोनों अपना अपना रास्ता लेते हैं। दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता। इसलिये वेशभूषा को उन्हें बदलना होगा, समाज के दूसरे लोगों के अनुरूप उन्हें होना होगा। जो फाल्स सेंस आफ प्रेस्टीज है वह प्रशासन की एफिशिएंसी की सफलता में आज निश्चित रूप से बाधक है और इसके बदलने की जरूरत है।

तीसरी बात यह है, श्रीमन्, कि सेक्रेटेरियट के अन्दर किसी भी अधिकारी को ३ वर्ष से ज्यादा नहीं रहना चाहिये। आज इस सेक्रेटेरियट के अन्दर बहुत से अधिकारी सात-सात, आठ-आठ और नौ-नौ वर्षों से मौजूद हैं। यह कहा जा सकता है कि वे आवश्यक हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या दुनिया में कोई भी आदमी इनडिस्पेंसिबिल है। अगर कोई आदमी किसी एक स्थान पर अधिक दिन रहता है तो वहां वह वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है और फिर जहां इनडिस्पेंसिबिल और वेस्टेड इंटरेस्ट की भावना खड़ी हो जाय कि हमारे बिना तो यहां का काम चल ही नहीं सकता तो निश्चित है कि वह कहेगा कि हमारा रहना चूंकि यहां

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

आवश्यक है इसलिये मेरी यहां बढ़ोत्तरी होनी चाहिये और वहीं पर ब्यूरोक्रेसी का एक्सपेंशन शुरू हो जायगा। यहां पर नेपोटिज्म और कुनबापरस्ती के जो चार्जेज लगाये जाते हैं उसके पीछे यही भावना है कि एक आदमी ५, ७ वर्षों तक एक स्थान पर होता है तो सच्ची बात यह है कि फिर वह अपने चारों तरफ काम बढ़ाना शुरू कर देता है और जब काम बढ़ता है तो उसके अन्दर भी आदमी रखे ही जाते हैं, फिर जिस आदमी से उसका सम्पर्क होता है, उसके साथ उसकी सहानुभूति होती है और उस सहानुभूति के आधार पर यह सच है कि उसका जजमेंट भी कलर्ड होता है। ऐसा हो सकता है ; इसलिये आवश्यक है कि ३ वर्ष से अधिक एक स्थान पर रहने वाले अधिकारियों को जाना चाहिये। इसके अलावा एक बात और भी है, अगर मान लें कि कोई अधिकारी जिले में ५,८, या १० वर्ष से नहीं गया और सेक्रेटेरियट में ही पड़ा रहा तो वहां की वास्तविक स्थिति का उसे ठीक ज्ञान नहीं होता और वह अपने पद के आधार पर ही वहां की स्थिति की कल्पना करता है, इसी तरह से जो जिले में वर्षों तक रह जाते हैं और कभी सेक्रेटेरियट में नहीं आते उनको भी यहां का कुछ ज्ञान नहीं होता जिससे जो उनका पुराना ज्ञान है उसी के आधार पर काम करते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि ३ वर्ष से अधिक किसी अधिकारी को एक स्थान पर नहीं रहना चाहिये। अगर कोई आदमी एक ही स्थान पर रहता है तो बहुत से लोगों के मन में यह शंका खड़ी हो सकती है कि यह पक्षपात है और उसके पीछे पक्षपात की भावना की आशंका होना स्वाभाविक है। अगर किसी भी शासनकर्ता के पीछे यह आशंका खड़ी हो जाय, चाहे जनता की हो या सरकारी मशीनरी ही की क्यों न हो, तो हमारा विश्वास है कि वह शासनकर्ता सफल नहीं हो सकता। वही शासन अधिक सफल हुआ करता है जिसके अन्दर जनता का तथा मशीनरी का भी विश्वास हो।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जैसा कि माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा कि जो सर्विस का ढांचा हमको मिला, वह अंग्रेजों से मिला। यह सही है कि अंग्रेजों ने जिस दृष्टिकोण से अपनी मशीनरी बनायी थी उससे हमारा दृष्टिकोण और लक्ष्य भिन्न हैं। आज की भिन्न स्थिति में हमारे उस भिन्न लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये उस मशीनरी में परिवर्तन होना चाहिये। आई० सी० एस० केडर की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो पी० सी० एस० केडर है वह तो हमारे प्रदेश की सरकार के अन्डर ही है, वहीं से अगर हम शुरूआत करें तो समाज में बहुत कुछ चेंज लाया जा सकता है। इसमें एकोनामिक, ऐडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंट तीन केडर होने चाहिये और योजना बना कर हर हिस्से को बांट देना चाहिये। उनको यह हिदायत होनी चाहिये कि इस काम को पूरा करो, जब तक वे पूरा न कर सकें तब तक उनका प्रोमोशन रुका रहे या उनको जो कुछ भी दण्ड दे सकें दें। आज होता यह है कि काम तो लोग करते नहीं हैं और रूटीन के तौर पर उनका प्रोमोशन होता जाता है। काम पूरा न होने का कोई न कोई एक्सक्यूज निकाल लिया जाता है। इसलिये प्रोमोशन की शर्त यही होनी चाहिये कि काम पूरा करो और अगर न पूरा करे तो उसका प्रोमोशन रोक दें। अगर किसी लेम एक्सक्यूज की बिना पर काम पूरा न हो और रूटीन के तौर पर प्रोमोशन होता गया तो इससे सफलता नहीं मिल सकेगी।

एक अंतिम बात यह कहनी है कि यह जरूर सबको शिकायत है कि आज हमारा प्रशासन बड़ा खर्चीला होता जा रहा है। यह कह कर हम नहीं भाग सकते कि ज्यों-ज्यों राज्य का अंग सर्वव्यापी जीवन में होता जायगा त्यों-त्यों प्रशासन बढ़ता चला जायगा और स्वाभाविक है कि जब प्रशासन बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा, यह गलत है। वास्तव में प्रशासन का जो मूलभूत सिद्धान्त है इकोनोमी आफ़ मनी और मैक्सिमम एफ़र्ट, इस दृष्टि से किसी भी प्रशासन की सफलता और असफलता को देखना चाहिये। अगर इकोनोमी आफ मनी और मेक्सिमम ऐफर्ट नहीं हुआ तो प्रशासन बेकार है और आज यह हो रहा है, मैक्सिमम ऐफर्ट की बात तो छोड़ दीजिये, इकोनोमी आफ मनी की बात ले लीजिये तो प्रशासन का इतना खर्चा बढ़ता जा रहा है कि बजट का बहुत बड़ा अंश तनख्वाहों और भत्तों में जाता है। इससे हम प्रांत को आगे नहीं बढ़ा

सकेंगे। इसलिये आवश्यक यह है कि इस दृष्टि से हम विचार करें, इकोनोमी आफ मनी और मैक्सिमम ऐफर्ट हमारे ऐडमिनिस्ट्रेटर्स का हो और मैक्सिमम आउट पुट हो। इन शब्दों के साथ मैं माननीय पालीवाल जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा जो सदन में प्रस्तुत अनुदान है उसका समर्थन करता हूं। श्रीमन्, एक साल में एक बार या दो बार, जब आपकी कृपा हो जाती है तो कुछ बोलने के लिये खड़ा हो जाता हूं। भाषण बड़े सुनता हूं और इस परिणाम पर पहुंचता हूं कि यह ऐसा सम्मानित सदन है कि यहां तो न किसी तैयारी की जरूरत है और न किसी खास विषय पर बोलने की आवश्यकता है। कुछ भी बोला जा सकता है और किसी को भी कुछ कहा जा सकता है, जो और कहीं बाहर नहीं कहा जा सकता है, चाहे मीटिंग हो साधारण से साधारण या गांव में कोई मीटिंग हो। तो इस सदन की बहुत बड़ी मर्यादा है। मैं भी अब हिम्मत किये हूं, आज्ञा दी है तो उसी पर बोल रहा हूं।

श्रीमन्, भारतवर्ष सम्प्रति प्रयोगकाल से गुजर रहा है और इसमें यह है ही कि जितनी भी योजनायें हैं, कार्य-क्रम हैं वे प्रयोगिक ही हैं। यह भी संभव है कि कहीं पर उससे हानि भी हो सकती है और लाभ के लिये तो किया ही जाता है।

जहां तक विरोधी पक्ष के भाइयों का संबंध है यह बड़ी शोभा है उनके लिये और जनतंत्र की प्रणाली को मजबूत करने के लिये यह बहुत बड़ा काम भी है कि वे अपने स्वस्थ और आलोचनात्मक सुझाव दें और उनके सुझावों को लेकर सरकार अपने कार्य-क्रम को आगे बढ़ाये। लेकिन कभी-कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि एक तरफी बात की जाती है। वह इस तरह से एक तरफी बात की जाती है कि क्या अब तक जो भी काम सरकार की ओर से किये जाते हैं सोलहो आने गलत हैं? तमाम बुराई ही बुराई है? मैंने कभी नहीं सुना कि कोई काम तो यह लोग अच्छा कर देते हों, चाहे ये, चाहे इनका प्रशासन। तो ऐसा सुनने में बहुत कम आता है। तो एक कारण हो सकता है "न वेत्ति स यो न गुणप्रकर्षम्....." इसके हिसाब से या तो वे लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझते न हों तब उसकी आलोचना करते हों या अगर समझते हैं तो यह उनकी आलोचना व्यर्थ रूप में है। तो मैं समझता हूं कि यहां का सम्मानित सदस्य जो भी है वह सब समझता है। अगर उन्होंने जान करके यह बातें की हैं, वे आलोचनायें की हैं तो भी मैं कहूंगा इससे इनका कार्य नहीं हो सकता और देश में जिस किसी भी त्रुटि को वह हटाना चाहते हैं नहीं हट सकती। केवल आलोचना कर दें या केवल उनकी बुराई कर दें यह आवश्यक नहीं है। मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक बड़ा चित्रकार था। उसने एक बहुत सुन्दर चित्र बनाया और हाल में रख दिया कि इसमें जो बुराइयां हों वह बता दी जायं और उन पर लाल स्याही के निशान लगा दिये जायं। बड़े परिश्रम के बाद उसने उस चित्र को बनाया था और हाल में टांगा था। परिणाम यह हुआ कि जो देखने वाले गये--चूंकि उसने बुराई मांगी थी--पूरी फोटो में लाल स्याही के निशान बना दिये और कोई हिस्सा नहीं बचा जिसमें बुराई न हो। वह चित्रकार बहुत परेशान हुआ। तब उसके एक मित्र ने समझाया कि आपने बुराई मांगी थी इसलिये ऐसा हुआ। अब दूसरा चित्र टांग कर अच्छाई मांगो और कहो कि अच्छाइयों पर लाल निशान लगा दें तो कुल निशान लाल हो गये। तो इस तरह से केवल बुराई ही नहीं बल्कि जो अच्छे काम होते हैं उनके बारे में भी कुछ कहना आवश्यक है। नहीं तो यह होगा कि कभी ऐसा हो सकता है कि काम करने वाले हताश हो जायं और आपके सहयोग से जो लाभ होना चाहिए वह न हो सके। ऐसी दशा में यह आवश्यक है और बहुत जरूरी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी]

अब मैं थोड़े से सुझाव इसके संबंध में देना चाहता हूं। प्रशासन का संबंध करीब-करीब सभी मुहकमों से है। रुपया जो इसमें रक्खा हुआ है मैं समझता हूं बहुत कम है। इस नाते कम है कि साढ़े छः करोड़ की आबादी के सूबे के लिये इतनी थोड़ी-सी धनराशि बहुत कम होती है। तब भी मेरे कुछ सुझाव हैं, वह यह कि जो वित्त विभाग के पंडित लोग हैं वह लोग अगर इसमें कुछ बचत कर सकें तो ज्यादा अच्छा होगा।

चपरासियों की तनख्वाह बढ़ाई गई। ढाई रुपया सौ रुपये तक वालों के लिये बढ़ाया गया और पांच रुपया सौ से दो सौ वालों के लिये बढ़ाया गया। मैं यह चाहूंगा कि चपरासी जो नाम है वह निकाल दिया जाय और इनका नाम सहायक होना चाहिये। चपरासी इनका नाम न रक्खा जाय क्योंकि यह हमारे बहुत सहयोगी हैं। यह शब्द गुलामी का सूचक है। इसलिये चपरासी की जगह पर इनका नाम सहायक हो जाय। अब इनकी ढाई रुपया तनख्वाह बढ़ाई गई। लखनऊ जैसे शहर में रहते हैं। उनके लिये रुपये की कमी है। तो ऐसा कर दिया जाय आगे चल कर अगर संभव हो सके कि जो लखनऊ या इलाहाबाद में सहायक, जिन्हें आप चपरासी कहते हैं, हैं इनको सिटी एलाउन्स मंहगाई के जमाने तक दिया जाय। इससे इनको राहत हो जायेगी।

दूसरे यह कि प्रशासन के कार्य में जो भी प्लान आपके बने हुये हैं सभी भौतिक आधार पर आधारित हैं। कुछ इनमें आध्यात्मिक समावेश हो सके, अगर एक्सपर्ट लोग राय दें, तो ज्यादा कल्याण हो सकता है। जैसे अभी जो योजनायें चल रही हैं, वहां पर जो ब्लाक्स बने हुये हैं या महिला मंगल योजना के केंद्र बने हुये हैं, वहां पर अगर ऐसा कर दिया जाय इसी खर्चे में और उन्हीं आदमियों के द्वारा कि सायंकाल के वक्त हर गांव में जाकर सत्य कथायें और कीर्तन आदि का आयोजन किया जाय तो उससे गांवों को बड़ा लाभ हो सकता है और उससे एक बहुत बड़ा काम हो जायेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के बाद, जैसा कि हम सोचते हैं, हम देश को बहुत समुन्नत बना लेंगे। तो समुन्नत होने के बाद भी अगर मानव मानव नहीं बनेगा, अगर नैतिक पतन नहीं रुक सकेगा और प्राचीन संस्कृति भारत की भरी नहीं जायेगी, तो मैं समझता हूं कि उससे कोई अधिक लाभ नहीं हो सकेगा। इसलिये यहां के जो विद्वान और वित्त के विचारक हैं वह इस तरफ भी ध्यान दें। यह मेरा ऐसा सुझाव है, ऐसा नुस्खा है कि न इसमें कोई पैसा लगेगा और न अलग से इसके लिये आदमी रखने की आवश्यकता होगी और न कोई दिक्कत ही होगी। यही जो पंचायत सेक्रेटरी और बी० डी० ओ० हैं वह यही काम करें तो ज्यादा अच्छा है। एक प्रार्थना और है कि तमाम मर्दों और बी० डी० ओज० के बीच में जो एक ग्रामसेविका को, एक औरत को लगा दिया गया है, कोई भी मीटिंग हो तो २०-२५ मर्दों के बीच में एक औरत बैठी है यह अभी हमारे देश के लिये उपयुक्त नहीं है। अभी हमारा स्तर इतना आगे नहीं बढ़ा है कि वह बेचारी समानता कर सके और तरह-तरह के लोगों के भाव होते हैं और न भी हों तो भी लोग तरह-तरह की बातें करते हैं, उन को अलग ही रखना चाहिये, औरतें औरतों के साथ काम करें, लेकिन यह कि २०-२५ मर्दों में एक औरत काम करे यह कुछ अधिक उचित नहीं है आज की अवस्था में।

*श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पालीवाल जी के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल अपने अनुदान को प्रस्तुत करते समय जो फर्ज अदायगी का एक भाषण दिया था उस संबंध में जो वह यह कह गये कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह विकास का मुहकमा नहीं है कि जिस के बारे में किन्हीं अन्य योजना आदि का वर्णन सदन में किया जाय, मेरा तो खयाल है कि शायद माननीय मुख्य मंत्री जी अपने दिल से इस तरह की बात नहीं कह रहे थे बल्कि वैसे ही चलते हुये उन के मुंह से यह बात निकल गई। वर्ना मुख्य मंत्री जी के मुख

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से ऐसी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और अफसोस भी हुआ। सारे सूबे के इंतजाम में और शासन व्यवस्था में और तमाम विकास की योजनाओं की सफलताओं में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जितना महत्वपूर्ण स्थान है और जो उसका कार्य है वह सब को मालूम है। हमारे प्लानिंग कमीशन ने अपनी 'अवर प्लान' नामक पुस्तक में सिफारिश की है कि:

"One of the pre-requisites of successful administration is co-operation between the political leadership and the public services. The prinipal task of the former is to assess the needs of the people, determine policy and to ensure that it is carried out vigorously. In the shaping of policies, the services are expected to tender advice to the political leadership without fear or favour. Once a policy has been laid down, the services must implemcnt it faithfully."

इन सब चीजों के होते हुये कि सर्विसेज या जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका विकास विभाग से कोई संबंध नहीं है, या वह विकास का मुहकमा नहीं है, यह बात गलत है और सत्य से परे है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से मुहकमे हैं।

मेरे लिये यह तो मुमकिन नहीं है कि १० मिनट में हर मुहकमे की तफसील में जा सकूं, लेकिन किसी प्रजातंत्र की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि उस देश की जो सर्विसेज हैं वह ईमानदार हों और उनमें कार्यक्षमता हो, कार्य की तत्परता हो और कार्य कुशलता भी उनमें हो। उन में यह गुण कैसे आयें यह सब इस पर मुनहसर है कि सर्विसेज की नियुक्ति किस प्रकार होती है, उनकी योग्यतायें कैसे निर्धारित होती हैं, इसी पर उनका सारा दारोमदार है। मान्यवर, सर्विसेज की नियुक्तियां ज्यादातर पब्लिक सर्विस कमीशन की मारफत कराने की हमारी योजना है। जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में यह भी आता है। लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सिफारिशें आती हैं, सेवाओं के संबंध में उनके जो सुझाव आते हैं यह सरकार उन पर विशेष ध्यान नहीं देती है। जो वहां से सिफारिशें आती हैं उनको ताक पर रखकर यह सरकार कार्य करती है। अगर सरकार की मरजी के विरुद्ध कोई भी सिफारिश आयी तो बड़ी आसानी के साथ उसकी सिफारिशों को बालाये ताक रख दिया जाता है और उन पर कोई कार्य नहीं किया जाता है और यह बहुत ही अफसोस की बात है। सरकार जिसको चाहती है ६ महीने के लिये किसी पद पर नियुक्त कर देती है और उसका टेम्पोरेरी ऐप्वाइंटमेंट हो जाता है। यह बहुत गलत बात है। जिन सेवाओं की आवश्यकता हो समय के अन्दर उनके बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन को सूचना मिल जाय और पब्लिक सर्विस कमीशन उस आधार पर चुनाव कर सरकार के पास नाम भेज दे और सरकार उसकी नियुक्ति करे। टेम्पोरेरी ऐप्वाइंटमेंट एकदम समाप्त हों। जो करप्शन, नेपाटिज्म और कनबापरस्ती के आक्षेप सरकार के ऊपर किसी भी कोने से लगते हैं उनमें ज्यादा कारण ये टेम्पोरेरी ऐप्वाइंटमेंट ही हैं। ६ महीने के लिये टेम्पोरेरी ऐप्वाइंटमेंट कर दिया और बाद में पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर कर दिया और उसने उसको बाद में इंडोर्स कर दिया। यह बात गलत है।

योग्यता जो किसी सर्विस के लिये निर्धारित होती है वह सरकार ही करती है। होना यह चाहिये कि हमें किस प्रकार के कार्य के लिये आदमी चाहिये, क्या रूपरेखा उस कार्य की है यह तमाम बातें सरकार की ओर से पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी जावें और योग्यता निर्धारित करने का काम पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से होना चाहिये। किसी विशेष कार्य के लिये एक विशेष योग्यता निर्धारित हो और उसके चुनाव का एक स्तर होना चाहिये

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

उसी के अनुसार काम होना चाहिये। हम तो चाहते हैं कि सरकार पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशों पर उस तरह से गौर करें और कार्य करे जिस तरह से एलेक्शन कमीशन की शिफारिशों पर होता है। यह बहुत जरूरी है।

कमीशन और कमेटियों में बहुत फर्क होता है। यह माननीय मुख्य मंत्री भी जानते हैं और इस सदन के अन्य माननीय सदस्य भी जानते हैं, लेकिन अफसोस है इस बात का कि हमारी सरकार ने कमीशन और कमेटी में कोई फर्क नहीं रखा है।

मान्यवर, थोड़ा समय मुझे और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—समय चूंकि कम है इसलिये अब उदारता नहीं बरती जा सकती। कृपया २ मिनट में खत्म करें।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—सरकारी कर्मचारियों की जो अपीलें होती हैं बरखास्तगी के विरुद्ध वह पब्लिक सर्विस कमीशन को होती हैं। सरकार बहुत विलम्ब करती है उन अपीलों को पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजने में। मान्यवर, आज १०-१० और १२-१२ सालों से बहुत से लोग टेम्पोररी पड़े हुये हैं। यह भी बहुत ही घातक है। जितने एक साल से ज्यादा की सर्विस वाले हैं सबकी नौकरियां परमानेंट हो जानी चाहिये ताकि इन्एफिशियेंसी और करप्शन न आवे।

मान्यवर जितने भी टेम्पोररी डिपार्टमेंट्स हैं वह तमाम परमानेंट बना देने चाहिये। जितने भी उनके कर्मचारी हैं उनकी सर्विसेज को परमानेंट बनाना नितान्त आवश्यक है। आधे से ज्यादा हमारे सेक्रेटेरियट के कर्मचारी टेम्पोररी हैं। कोई भरोसा उनको अपने भविष्य का नहीं है।

मान्यवर, एक बात मैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में कहना चाहता हूं। समाजवाद का नाम लिया जाता है और शासन के विकेंद्रीकरण का नाम लिया जाता है। मुझे दुख है कि विकेंद्रीकरण जबान पर है लेकिन सत्ता का केंद्रीकरण जिले के स्तर पर और सूबे के स्तर पर बराबर बढ़ता चला जा रहा है। कलेक्टर को एक तानाशाह बनाकर जिले में छोड़ दिया गया है। कहा जाता है कि दलगत राजनीति से शासन को बिलकुल परे रखा जाय, लेकिन व्यावहारिकता में कुछ और है। छोटे से छोटे कर्मचारी को लीजिये। छोटे से छोटा कर्मचारी जिसका जनता से बराहरास्त ताल्लुक है वह लेखपाल है और जिले में सबसे बड़ा अहलकार कलेक्टर है। इन लोगों के कारनामें जनसाधारण के साथ देखे जायं तो आज के प्रजातंत्र के जमाने में बरदाश्त के बाहर हैं। राजनीतिक सत्ता वाली पार्टी के लोगों को विशेष अवसर दिया जाता है सरकारी कर्मचारियों के जरिये चाहे वह सस्ते गल्ले की दूकानों के एलाटमेंट का सवाल हो, चाहे टेस्ट वर्क चालू करने का सवाल हो।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया। श्री हरकेशबहादुर, मुझे खेद है कि आपके लिये केवल ७–८ मिनट ही रह गये।

***श्री हरकेशबहादुर** (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। मेरे भाई माननीय राजनारायण जी ने अभी यह फरमाया था कि अगर कोई एक मंत्री किसी अपने जाति वाले को मुकर्रर कर दे तो वह कुनबापरस्ती है। मैं उनसे निहायत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि यह कुनबापरस्ती भी है और साथ ही साथ अगर ऐसा न किया जाय तो यह गुनाह भी है। अगर कोई व्यक्ति किसी जाति का है और उस जगह के लिये उपयुक्त है, लेकिन उसको न रख कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महज इसलिये कि वह उस जाति का है, दूसरे को रख लिया जाय तो यह गलत काम होगा और इसकी वजह से बड़ा जबरदस्त नुकसान भी हो सकता है। इसलिये ऐसी चीज़ को महज कुनबा-परस्ती कहना गलत हो सकता है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस सूबे में यद्यपि इस बात का बहुत प्रयत्न रहा है कि करप्शन कम हो लेकिन फिर भी जिला के स्तर पर मैंने देखा है कि काफी करप्शन है। हमारे मिनिस्टर्स ने डी–वाई० एस० पी० (कम्प्लेंट्स) मुकर्रर किये, एंटी-करप्शन कमेटीज मुकर्रर की, लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं हुआ। डी–वाई० एस० पी० (कम्प्लेंट्स) मुकर्रर किये गये लेकिन बाद में बाज-बाज जिलों से वे हटा लिये गये। उनका काफी असर था, काफी लोगों को उन्होंने पकड़ कर सजायें भी दिलवाईं और उनका एक अच्छा असर पड़ रहा था। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे डी–वाई० एस० पीज० की हर जिले में नियुक्ति होनी चाहिये जिनका यह काम हो कि घूम-घूम कर लोगों में इस बात का विश्वास पैदा करें कि प्रशासन में अगर किसी किस्म का भ्रष्टाचार होता है तो वे उसकी सजा दिलायेंगे।

साथ ही मैं एंटी-करप्शन कमेटीज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इन कमेटियों की हालत बहुत खराब है। कल मेरे एक साथी ने यह कहा था कि वे पोस्ट आफिस के समान हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वे पोस्ट आफिस से भी गयी गुजरी हैं इस वजह से कि पोस्ट आफिस का काम है चीजों को अपनी जगह पर पहुंचाना, लेकिन यह एंटी-करप्शन कमेटीज का काम नहीं है कि वे दरख्वास्तों को उन मुहकमों में पहुंचायें। उनका काम तो यह है कि वे ठीक से उनकी जांच करें और लोगों में यह विश्वास पैदा करायें कि एंटी करप्शन कमेटीज कुछ काम करती हैं। दरख्वास्तें आती हैं, दफ्तरों में भेजी जाती हैं। ३-३, ४-४ महीने हो जाते हैं और उनका जवाब नहीं आता है। इसके साथ-साथ अगर कोई सदस्य किसी को पकड़ता है और कहता है कि उसने गलती की और वह मान भी लेता है कि हां, मैंने गलती की और पेंशन ले कर रिटायर हो जाता है मगर दो, तीन साल बाद फिर कोशिश करता है कि उसको जगह दी जाय तो लीपा पोती करके उसको जगह दी जाती है। ऐसा मेरे जिले में हुआ।

इसके अलावा, ५०० रुपये उस कमेटी को दिये जाते हैं मगर अख्तियार कुछ नहीं दिये जाते। उस कमेटी के कोई माने नहीं है, लोग उस कमेटी में जाना भी पसन्द नहीं करते, उनमें अटेंन्डेंन्स बहुत कम होती जाती है। इसी वजह से वे बेअसर होती हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उसके अधिकारों को बढ़ाया जाय और उसे अधिक रुपया दिया जाय। अगर भ्रष्टाचार रुक सकता है तो उस पर लाखों रुपये भी खर्च किये जायें तो भी कम है। मैं आप से गुजारिश करना चाहता हूं कि एंटी-करप्शन कमेटी को यह अधिकार दिया जाय कि वह जिले में एक फेहरिस्त बनाये कि गांव-गांव में, थाने-थाने में, तहसील-तहसील में वालंटीयर्स हों जो कमेटी के काम में सहायता दें। यह मानी हुई बात है कि अधिकारियों के काम में वह दखल दे सकते हैं। यह गलत चीज है, मैं इसको मानता हूं लेकिन अगर हर जगह ऐसी एक जमात रहेगी और उसकी एक लिस्ट शहर में रहेगी तो लोगों पर उसका असर पड़ेगा। जो शिकायत करने वाले हैं और जो बात वह कहेंगे उसकी समाअत भी होगी। अगर यह सब सुझाव अमल में लाये जायं तो मैं समझता हूं कि करप्शन में कुछ न कुछ कमी जरूर हो जायगी।

इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूं कि रानीगंज में एक दरोगा है जिसने एक बेगुनाह आदमी का चालान किया और चार्जशीट कप्तान के पास भेजी जो रद्द कर दी गई। लेकिन फिर भी वह वहीं कायम रखा जाता है। वह हरकतें करता रहता है लेकिन उसका ट्रांस्फर नहीं होता है, वह सस्पेंड नहीं किया जाता है और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं होती है।

[श्री हरकेशबहादुर]

हरिजनों के स्कालरशिप में ६,७,१० महीने की देरी होती है। उसकी शिकायत होती है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है।

हमारे जिले में आजकल चोरियों की भरमार है। दो-तीन महीनों में ५० चोरियां हुई हैं, अखबारों में भी निकला है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिये इस बात की जरूरत है कि लोगों को खाना मुहैया हो। आज लोगों के पास खाना नहीं है। एक सेर की दाल मिलती है और सवा सेर का गेहूं है। इसलिये मैं गुजारिश करूंगा कि काश्तकारी की तरफ ध्यान दिया जाय और इसको दुगना कर दिया जाय, भले ही इसमें ४–६ करोड़ रुपया ज्यादा खर्च हो जाय। पुलिस के थाने या डाक बंगले बनाने की इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि काश्तकारी में खर्च करने की जरूरत है। आज लोगों को अनुदान दिये जायं, सिंचाई का प्रबन्ध किया जाय और सिंचाई के कुओं के लिये पीने के कुओं की तरह तकावी दी जाय और खाद वगैरह का प्रबन्ध किया जाय तभी हमारी खाद्य समस्या का हल हो सकेगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में जो करप्शन है वह भी कम होगा। इन शब्दों के साथ जो बजट मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे १५ मिनट से कुछ अधिक समय दे दिया। मैं आपके द्वारा सम्मानित सदन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं कि दो दिन से इस प्रस्ताव पर जो बहस चल रही है उसमें, जहां तक मुझे मालूम है, सर्वसम्मति से यह बात मानी गयी है कि वर्तमान शासन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। आज हमारी आवश्यकताओं के लिये यह शासन प्रणाली ऐसी है कि "Square peg in round hole, old wine in new bottle." इसको मान लेने के बाद बाकी थोड़ा बहुत मतभेद है और वह विशेष महत्व नहीं रखता है। माननीय राजनारायण जी ने एक शिकायत मुझसे की कि मैं उतने खरेपन से अपनी बात नहीं कहता जितने से कि वह कहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके दो कारण हो सकते हैं---एक की सम्भावना बहुत कुछ है क्योंकि वह प्राकृतिक है और वह यह है कि अवस्था का भेद है। मैं बुड्ढा हो गया हूं और वह नौजवान हैं और उनमें अधिक जोश है और दूसरा मेरा निवेदन यह है कि मैं यह विश्वास करता हूं कि "गुड़ दीने ही जो मरे क्यों विष दीजे ताहि" जब संयत भाषा में सत्य उद्घाटन से काम चल सकता है तो व्यक्तिगत कटुता को मैं इतना आवश्यक नहीं समझता। यह मेरा उनका स्वस्थ मतभेद हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातों की ओर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली बात सचिवालय, कमिश्नरों और कलेक्टरों के स्तर पर कहूंगा। समयाभाव के कारण अधिक नहीं कह सकता। अधीनस्थ कर्मचारी यह बड़ी असुविधा अनुभव करते हैं कि अगर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही कर दी जाती है और वह उसकी अपील करते हैं तो वह अपील फारवर्ड नहीं की जाती और उन्हें कोई मौका नहीं मिलता कि पहले वह ऐडवांस कापी भेज सकें। इसका भी उन्हें अधिकार नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करें कि अधीनस्थ कर्मचारियों को ऐडवांस कापी भेजने का अधिकार मिल सके।

दूसरे, एक घटना एटा की है। वहां एक रजिस्ट्रार कानूनगो को सदन के सम्मानित सदस्य श्री गंगाप्रसाद वर्मा जी ने रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा और जो रुपये लिये उस पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के दस्तखत भी थे, लेकिन उनका कहना है कि न जाने उसके बाद क्या हुआ कि उसी रजिस्ट्रार कानूनगो को उन्हीं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उसी जगह पर रखा कोई सजा नहीं दी। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी जांच करा लें तो उन की बड़ी कृपा होगी।

तीसरी एक बात सचिवालय के स्तर पर कहूंगा । संविधान की धारा १८७ के अनुसार विधान सभा का सचिवालय स्वाधीन होना चाहिये और यह प्रश्न माननीय मुख्य मन्त्री को याद होगा, कुछ समय पहले विधान सभा में एक विधेयक के रूप में भी आया था और उस समय माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा था कि हम कुछ परम्परायें कायम करके कुछ समय में ठीक कर देंगे लेकिन आज तक वह खटाई में पड़ा हुआ है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेंगे ।

चौथी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि मंत्रिमंडल के सम्बन्ध में जो इस तरह के आरोप आते हैं कि उस स्तर पर भी भ्रष्टाचार है तो मैं यह समझता हूं कि जैसा मैं अभी कह चुका हूं कि वह आरोप चाहे सत्य हों या न हों, उस पर मैं नहीं जाता, किस मिनिस्टर के खिलाफ है, इस पर मैं नहीं जाता, लेकिन किसी मंत्रिमंडल के लिये ऐसे विषाक्त वातावरण का होना और इस प्रकार के आरोप आना, इसको दूर किया ही जाना चाहिये । इसके दूर करने के लिये मैं आवश्यक समझता हूं कि जो आचरण के नियम हमारी प्रदेश की सरकार ने ही अधिकारियों के लिये बना दिये हैं वह मंत्री महोदयों के लिये भी बना दिये जायं और वह यह कि मंत्री महोदयों की आय और सम्पत्ति का हिसाब उनसे लिया जाय । १५ अगस्त, १९४७ से लेकर आज तक जितने मिनिस्टर हुए हैं, मैं यह खासतौर से इसलिये कहता हूं कि मुझे भी दुर्भाग्य से यह अवसर प्राप्त हो चुका है, मैं भी ९ महीने तक इस अवधि में मिनिस्टर रहा, उन सब मिनिस्टरों की सम्पत्ति और आय का हिसाब लगाकर जांच होनी चाहिये और अगर किसी मिनिस्टर के बारे में संतोषजनक उत्तर इस बात का नहीं हो सकता कि उस की सम्पत्ति या धन इतना अधिक कैसे हो गया, तो कम से कम जनता के सामने उसका भंडाफोड़ हो ही जाना चाहिये । अगर इतना भी करने की सरकार कृपा करें तो यह जो विषाक्त वातावरण है यह कुछ हद तक दूर हो ही जायगा ।

पांचवीं बात यह है कि मंत्री महोदयों के लिये यह कहां तक ठीक है कि अपने मंत्रिकाल में कोई मिनिस्टर किसी संस्था के नाम पर, जिसका वह सर्वेसर्वा है, दस, बीस, चालीस लाख रुपया इकट्ठा कर ले और उस रुपये को अपनी संस्था में रखे । इस बात की भी सरकार को जांच करानी चाहिये और अगर किसी मंत्री ने ऐसा किया है तो उस मंत्री के विरुद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिये । यह बात मैं आवश्यक समझता था कि मंत्रिमंडल की कीर्त्ति की रक्षा के लिये खासतौर से की जानी चाहिये ।

(इस समय ३ बजकर ५० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

छठवीं बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि शासन के सुधार के लिये जो शिकायतें माननीय सदस्यों की ओर से और जनता की ओर से आती हैं उन्हें दूर करने के लिये सबसे अधिक आवश्यक बात यह है कि मंत्री महोदय स्वयं अपनी मनोवृत्ति को इस सम्बन्ध में बदलें । मैं मानता हूं और सब से पहले मानता हूं कि इस तरह से कार्पिंग क्रिटिसिज्म, नीचे स्तर की आलोचना इस सदन के लिये अच्छी नहीं है । इस माननीय सदन में इस प्रकार का वातावरण नहीं होना चाहिये । जहां तक मेरा सम्बन्ध है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार इसी सदन में कह चुका हूं, आज फिर दुहरा देता हूं । मेरे पास अगर किसी मन्त्री के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायत आती है तो सदन के बाहर मैं उसका जिक्र करता हूं । मैं अपने साइन्ड आर्टिकिल में लिखता हूं ताकि अगर उस सम्बन्ध में मैंने गल्ती की हो तो मेरे विरुद्ध वह मानहानि का मुकदमा चला सकें । इस तरह मेरे कर्तव्य का पालन हो जाता है । इस सदन में थोड़ा सा खयाल यह रखना चाहिये कि यहां व्यक्तिगत आलोचना करते वक्त हमसे अगर कुछ गलती हो जाय या किसी अधिकारी के साथ कुछ अन्याय हो जाय तो वह कुछ अच्छा नहीं होगा । इसलिये मैं यहां अधिक संयत रूप में भाषण करता हूं । तो मैं यह कह रहा था कि जहां हमारा यह काम है कि हम कार्पिंग क्रिटिसिज्म न करें वहां वह स्वयं भी यह न समझें कि जब जो

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

मिनिस्टर हो गया, जितनी देर तक मिनिस्टर रहा, संस्कृत की एक कहावत है कि "सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति" उसी तरह से "सर्वे गुणां मिनिस्टरमाश्रयन्ति", यानी जब जितनी देर तक मिनिस्टर हैं तब तक जो समझते हैं करते हैं, कहते हैं, वह सब ठीक है, और उसके विरुद्ध जो कुछ कहा जाता है, वह सब गलत है। यह मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिये। आलोचनाओं और आक्षेपों से घबड़ाना नहीं चाहिये। एक हिन्दी कवि ने कहा है:—

निन्दक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय।
बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय॥

तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय को और माननीय गोविन्द सहाय जी को माननीय राजनारायण जी का स्वागत करना चाहिये। उनको इन्हें अपने नजदीक रखना चाहिये। आलोचना कोई बुरा मानने की बात नहीं है।

श्री राजनारायण—स्वागत करने लगेंगे तो शायद मैं यह न कह पाऊं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय राजनारायण जी अपने बारे में यह भावना रखते हों कि वह इतने कमजोर हैं तो दूसरी बात है। लेकिन मुझे यह विश्वास नहीं है कि वह इतने कमजोर हैं, उनके शरीर और उनके कार्यों को देखते हुए।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस समय तो हमारे मन्त्री महोदयों की मनोवृत्ति से यह मालूम पड़ता है कि वह यथास्थिति के समर्थक हैं। हर परिवर्तन के विरोधी हैं। सुधारों के सुझाव तक उन्हें बुरे लगते हैं। एक उदाहरण मैं अपना बताऊं। मेरी आदत नहीं है कि बिना प्रमाण के मैं कोई बात कहूं। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान मैं दिलाना चाहता हूं। बजट के भाषण में मैंने बजट के सुधारों के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये थे। माननीय वित्त मंत्री जी ने उसका जवाब देते हुए यह कहा था कि वह बजट तो ए० जी० ही बनाता है और इसलिये हम कुछ नहीं कर सकते। आज माननीय वित्त मन्त्री जी सामने हैं नहीं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मैंने जो कहा था वह सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कम्प्ट्रोलर जनरल और आडिटर जनरल की राय थी। श्री अशोक चन्द्र, आडीटर जनरल ने अपनी जो रिपोर्ट सन् १९५५ में दी है, आडिट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें पृष्ठ ३८ और ३९ पर उन्होंने यह बात कही है। तो जब वह स्वयं कहते हैं कि यह सुधार सरकार को करना चाहिये तो माननीय वित्त मन्त्री जी का यह कहना मेरी समझ में नहीं आता। या तो गलती वित्त मंत्री महोदय की है या गलती एकाउन्टेन्ट जनरल की है। मैंने रिपोर्ट का नाम बता दिया, पेज बता दिया, उसको माननीय वित्त मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ध्यान से देख लें। तो मेरा निवेदन यही था कि मंत्री महोदय की यह मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिये। माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने जो कहा मैं उसको फिर से दुहरा दूं क्योंकि वह बहुत खतरनाक बात है कि एक तरफ विभागीय जांच हो और एक तरफ कोई भी देश का व्यक्ति हो, जैसा मैंने पहले समय कहा था अंग्रेजी राज्य के जमाने का मेरा अनुभव यह है कि मैंने लिख कर भेज दिया कि इस पुलिस कांस्टेबिल ने या इस थानेदार ने बुरा काम किया है, गलती की है, ज्यादती की है। पुलिस ने गवाही दी। मैंने कह दिया कि उस समय कोई गवाह नहीं था मेरी बात मानकर कार्यवाही करना चाहें तो करें। उन्होंने मेरे कहने को मान कर उस कांस्टेबिल और थानेदार को सजा दी। बल्कि सच बात तो यह है कि कानून की दृष्टि से मैं अपराधी था।

सन् १९३० में एक थानेदार सैनिक पर जमानत का नोटिस देने आया। मैंने उससे कहा कि इसकी कापी दे दो। कापी देने से उसने इन्कार कर दिया। मैंने मैनेजर से कहा कि इसकी कापी कर लो लेकिन उसने कापी भी नहीं करने दिया तब मैंने कहा कि वापस कर दो जब यह न कापी देते हैं और न कापी करने देते हैं। इस पर वह गुस्ताखी से बोले, मैंने

उस थानेदार को चांटा मार दिया। यह सन् १९३० की बात थी, उस वक्त मैं बुड्ढा नहीं था और यह मेरी कमजोरी है, आप भी जानते हैं। पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने मुझे बुलाया गवाही के वास्ते और यह कहा कि आपने इनको चांटा इसलिये मारा कि यह वर्दी पहने हुए नहीं थे इसलिये हम इनको सजा दे रहे हैं कि वर्दी पहन कर क्यों नहीं गये। मैंने उनको जवाब दिया कि अगर आप भी आये होते और वर्दी पहन कर आये होते और गुस्ताखी करते तो आपको भी चांटा मारता। यह मेरे कहने पर भी उन्होंने उस थानेदार को सजा दी। आज का यह अनुभव है कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी मिनिस्टर न रहें तो जो मंत्री हों वह यह कहेंगे कि कांस्टेबिल की गवाही ठीक है और सम्पूर्णानन्द गलत कहते हैं। तो यह मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिये। माननीय वित्त मंत्री ने और भी खतरनाक बात कह दी। यानी अब की नीति यह मालूम पड़ती है कि जो मिनिस्टर न रहे उसकी बात दो कौड़ी की हुई और माननीय वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि मिनिस्टर होने की हालत में भी मूड और सरकम्स्टेंसेज को देखना चाहिये कि किस मूड में कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के लिये यह कठिनाई है कि अगर कोई आश्वासन या घोषणा माननीय वित्त मंत्री महोदय करते हैं तो हम विश्वास करें या न करें क्योंकि हम विश्वास कर लेते हैं तो वह कह सकते हैं कि मेरा मूड ठीक नहीं था और सरकम्स्टेंसेज बदल गये। यह मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिये। आशा है कि माननीय वित्त मन्त्री महोदय मेरे भाषण पर ध्यान देंगे।

मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण का लाभ नहीं मिला इसलिये मुझे उनकी कठिनाइयां जानने को नहीं मिलीं। इसलिये पिछली मर्तबा जो उन्होंने कठिनाइयां बतलाई थीं उनके सम्बन्ध में एक शब्द कह देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि समझौते के आधार पर हमें स्वराज्य मिला है। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में केन्द्र भी अभी कुछ नहीं कर पाया। उस समझौते के भीतर जो सुधार हो सकते हैं उनको तो करना ही चाहिये। दूसरे यह कि सुधार करने में देरी करने का परिणाम यह होगा कि जनता में यह धारणा पैदा हो जायगी कि हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाने के लिये दो कीमतें चुकानी पड़ीं। एक तो हमने देश का विभाजन स्वीकार किया और दूसरी यह कि इस समझौते के आधार पर अंग्रेजों की गुलामी से छुट्टी पाने के लिये नौकरशाही की गुलामी लेनी पड़ी। इसलिये जितनी जल्दी सुधार हो सकें उस समझौते के आधार पर वह जल्द करने चाहिये। इस सम्बन्ध में यह कहना कि केन्द्र ने अभी तक नहीं किया है, मैं माननीय मुख्य मंत्री से एक शब्द कहना चाहता हूं कि आज से बहुत पहले जब वह मिनिस्टर नहीं थे और हम एक साथ मिलकर काम करते थे तो उनको यह कहने का गौरव था कि उत्तर प्रदेश राजनैतिक मामलों में सारे देश का नेतृत्व करता है। माननीय मुख्य मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि उत्तर प्रदेश इस गर्व को फिर ग्रहण करे कि अगर केन्द्र नहीं कर रहा है तो माननीय मुख्य मंत्री उसको नेतृत्व दें और उनको केन्द्र का नेतृत्व करना चाहिये और उनका पथ प्रदर्शन करना चाहिये।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**––अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा कहना गुस्ताखी न समझा जाय तो मैं सब से पहले माननीय पालीवाल जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करते समय [illegible] आलोचना को जिस स्तर पर उपस्थित किया था, उसके लिये हम इस सदन में [illegible] मैं यह आशा कर

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

बातों की चर्चा की, लेकिन वह सैद्धान्तिक बातें ऐसी हैं जिनका व्यावहारिक रूप से शासन से गहरा सम्बन्ध है ।

उन्होंने मेरी एक कमजोरी कही, उसका पहले ही जिक्र किया कि वह जानते हैं कि नौकरशाही लफ्ज से मुझको कुछ चिढ़ है । यह बात ठीक है । इसकी वजह है और वह वजह वह खुद भी समझ सकते हैं । मुझको ब्यूरोक्रेसी शब्द से उतनी चिढ़ नहीं है जितनी कि नौकरशाही शब्द से । जो कुछ उन्होंने कहा चाहे वह ब्यूरोक्रेसी शब्द के लिये हो या नौकरशाही शब्द के लिये, वह स्वयं जानते हैं कि शब्दों के कई अर्थ होते हैं । एक तो अभिधा से अर्थ होता है जो व्याकरण और कोष की दृष्टि से होता है । दूसरा अर्थ ध्वनिता से होता है जो उस शब्द के एसोसियेशन में होने से, उस शब्द के साथ में रहने से दूसरे अर्थ हो जाते हैं । सब जानते हैं कि नेटिव का अर्थ भारतवासी था, लेकिन अंग्रेजी जमाने में नेटिव शब्द के कुछ गलत मायने लगाये जाते थे जो कि उसके मूल अर्थ में कहीं भी नहीं हैं । वैसे ही अंग्रेजी जमाने में यह जो नौकरशाही शब्द है इसका अर्थ वैसा ही कुछ एसोसियेशन से हो गया था जो कि आज तक छिपता नहीं है । स्वयं पालीवाल जी ध्यान देकर देखें कि जिस वाणी में नौकरशाही शब्द कहा जाता था या ब्यूरोक्रेसी जिस मायने में उस जमाने में कहा जाता था आज वह उस मायने में नहीं है। बाकी जो खतरों का जिक्र किया वह बिल्कुल सही बात है । वह खतरे हैं और खतरे बढ़ते जाते हैं । इंगलैंन्ड में पार्लियामेंट होते हुए भी ब्यूरोक्रेसी का जोर है । इसकी कई वजह है कि उसका बहुत जोर है । खासकर के जो फारेन आफिस है उसमें तो बहुत जोर है । मिनिस्टर आते हैं और जाते हैं, लेकिन फौरेन आफिस की नीति के सामने हमेशा सब को झुकना पड़ता है । यह भी सही है कि उनके यहां ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था है और जो सर्विसेज के अधिकार हैं वह ब्यूरोक्रेसी के उच्च आदर्श हैं किन्तु वह व्यवस्था ठोस नहीं हो सकती है । मैं एक मिसाल उनके सामने रखूं कि ब्यूरोक्रेसी कैसी होती है इसको देखना हो तो फ्रान्स की तरफ देखें । दुर्भाग्य से फ्रान्स में साल में कम से कम दो, तीन सरकारें, मिनिस्ट्रियां बदलती रहती हैं । अभी जो डिगाल साहब की सरकार हुई है, उन्होंने जो नये परिवर्तन किये हैं उनका परिणाम जो कुछ भी हो, लेकिन उसके पहले तक जितनी सरकारें वहां बदली हैं उनका मुकाबिला पाकिस्तान की सरकार भी नहीं कर सकती । लेकिन वह सब होते हुए भी फ्रान्स की शासन व्यवस्था में भीतरी दृष्टि से कोई खराबी नहीं आने पायी । वह अपना इंतजाम कायम रख सकें और हर शख्स जानता है इस बात को कि बावजूद मिनिस्ट्रियों के बदलने के और हर बार नयी पार्टी की तथा मिल कर बनी हुई पार्टियों की मिनिस्ट्रियों के शासन के भी यदि वहां कोई स्थिरता रही तो उसका कारण यही था कि फ्रान्स की ब्यूरोक्रेसी अच्छे किस्म की थी । हमारी ब्यूरोक्रेसी अभी उस दर्जे तक नहीं पहुंच पायी है । उसमें जो गुण होने चाहिये वह अपने अन्दर हमारे यहां की ब्यूरोक्रेसी नहीं ला सकी है । सन् १९१७ में रूस में जिस समय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कायम हुई तो लेनिन ने बहुत ही उचित तरीके पर कहा था कि हम एक किस्म की गवर्नमेंट कायम कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा है कि एक जबरदस्त ब्यूरोक्रेसी कायम हो जानी चाहिये । बिलकुल सही था लेनिन का कहना । यह बात हमारे सामने है । जिसको पुलिस स्टेट कहते हैं उस तरह की अगर गवर्नमेंट हो, क[illegible] पुलिस हो और फौज हो और सरकार को किसी से मतलब नहीं, तो उस [illegible] रोक्रेसी न हो, लेकिन जब हम एक वेलफेयर स्टेट

भी संदेह नहीं । सच बात पालीवाल जी ने कही, अक्षरशः सत्य है और उसको हमें रोकना होगा ।

इतना ही नहीं, आज उनको मालूम है कि सभ्य जगत के सामने एक इस से भी भयानक चीज आ गयी है। पश्चिम में लोग उस चीज का अनुभव बराबर करने लगे हैं। उन्होंने देखा होगा इस सम्बन्ध में, कई विचारशील पुस्तकें लिखी गयी हैं । ब्योरोक्रेसी से भयानक चीज हो सकती है टेक्नोक्रेसी। आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि यह एटम एज है, परमाणु युग का जमाना है । इसके माने यह हैं कि कुछ थोड़े से एक्सपर्ट्स, कुछ थोड़े से स्पेशलिस्ट्स ऐसी चीजें जानते हैं, शक्ति का संचालन कुछ थोड़े से हाथों में है कि जो सब के हाथों में नहीं हो सकता । जब ज्ञान थोड़े से लोगों के हाथों में होता है तो बगैर उनके काम चल नहीं सकता। जैसे बगैर ब्योरोक्रेसी के काम नहीं चल सकता वैसे बगैर इन एक्सपर्ट्स के भी काम नहीं चल सकता और जो हमारे ब्योरेक्रेट होते हैं वह एक्सपर्ट्स नहीं होते किसी चीज के, बी० ए०, एम० ए० होते हैं । अगर एक हटा दिया जाय तो दूसरा काम जरूर चला लेगा, भले ही उसको कुछ अनुभव की कमी हो। लेकिन जो स्पेशलिस्ट्स होते हैं वह रिप्लेसेबिल नहीं होते, वह हटाये नहीं जा सकते और वह धीरे-धीरे अपनी शक्ति को अनुभव करते जा रहे हैं और धीरे-धीरे उनके एसोशियेशन्स में यह बात फैल रही है कि असल में शासन और कोई नहीं कर सकता सिवाय हम लोगों के । और यह भी अब समझदार लोग सोचने लगे हैं कि अगर टेक्नोक्रेसी कायम हो गयी, जो वैज्ञानिक शक्तियां हो रही हैं और जिनको समझने और जानने वाले थोड़े से आदमी हैं उनकी सरकार अगर कायम हो गयी तो ब्योरोक्रेसी या जितनी भी क्रेसीज हैं, जो अब तक हुई हैं, यह उन सब से ज्यादा भयानक हो सकती हैं । अभी हम उस से दूर हैं, हम पीछे हैं वैज्ञानिक ज्ञान में इसलिये हमें उतना सोचने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल वह चीजें सामने आ सकती हैं । इसलिये इन सब बातों पर हमें सोचना होगा और इन सब बातों को देखने समझने के बाद मैं समझता हूं कि अगर किसी चीज से रक्षा हो सकती है तो वह डेमोक्रेसी से ही हो सकती है और किसी से नहीं । जहां तक उसकी बात है, कायदे कानून बनाये जा सकते हैं और बनाने चाहिये, लेकिन मैं समझता हूं कि हम सब लोग इस बात में सहमत हैं कि सबसे अच्छा और सबसे पुष्ट उपाय यही है कि 'वी हैव टु एजूकेट अवर मासेज', जिस जनता के नाम पर हम और आप यहां बैठे हैं उसकी एजूकेशन ठीक होनी चाहिये। उसकी किताबी एजूकेशन नहीं, वह भी अपनी जगह पर है, बल्कि यह कि डेमोक्रेसी क्या चीज है, उसके सिद्धांत और इम्पलीकेशन्स क्या हैं, ये बातें जनता की समझ में आनी चाहिये। उसे जानना चाहिये कि कैसे मंहगे दामों से डेमोक्रेसी प्राप्त की जाती है और उसके खो देने से कितना बड़ा नुकसान होगा। ब्यूरोक्रेसी और टैक्नोक्रेसी से हम नहीं बच सकते हैं। इस बात में हम सबको सहमत होना चाहिये कि जनता का डेमोक्रेसी के प्रति ज्ञान बढ़ाया जाय। तभी हम सही मानों में पूरे तौर से डेमोक्रेसी की रक्षा कर सकते हैं अन्यथा हम किसी न किसी ग़लत क्रेसी के हाथ में पड़ जावेंगे ।

बहुत से सुझाव दिये गये मगर इस थोड़े से समय में यह सम्भव नहीं है कि मैं सबका उत्तर दे सकूं। वे नोट कर लिये गये हैं काग़ज पर और मेरे माथे में भी। उन सुझावों से हम यथासम्भव फायदा उठाने की कोशिश करेंगे । यह ठीक है कि हमारे संविधान ने कई मानों में हमको बांध रखा है, लेकिन मैं पालीवाल जी की इस बात से सहमत हूं कि हमें, उत्तर प्रदेश को, रास्ता दिखाना चाहिये। सम्भव है कि हम पूरे तौर से न कर सकते हों लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि इस बात में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । आज हम यहां हैं, कल न रहें । अगर कांग्रेस पार्टी रह भी जाय तो हमेशा के लिये मैं ही चीफ मिनिस्टर या दूसरे मिनिस्टर रहेंगे, ऐसी बात भी नहीं है । लेकिन इस प्रदेश को रहना है । इसलिये ऐसा तरीका होना चाहिये कि जो भी पार्टी हमारे बाद में आवे उसे हम पुष्ट, एफीशियेंट और इन्टीग्रीटी वाली मशीनरी दें, यह हमारी बहुत बड़ी सेवा होगी । मैंने पहले भी कहा है कि स्वराज्य हासिल हुये थोड़े दिन हुये हैं, हमें

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

एक अच्छी लीक डालना है जिस पर हमारे पीछे आने वाले लोग चलें । एक बार आल-इंडिया रेडियो पर मेरा ब्राडकास्ट हुआ और पटना यूनिवर्सिटी में भी मैंने कहा। 'इन्टीग्रीटी इन एडमिनिस्ट्रेशन' के नाम से वह चीज़ छप भी गई है । मैं पालीवाल जी के पास एक प्रति भेज दूंगा । उसमें दिया हुआ है कि जनता द्वारा चुने हुये लोगों का और स्थायी सर्विसेज़ का कैसा सम्बन्ध होना चाहिये, जिसके बिना डेमोक्रेसी की सेवा कोई भी नहीं कर सकता है ।

जो बातें यहां कही गईं उनमें से एक बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है । अगर कोई किसी की नीयत पर शुबहा करता है तो उसका कोई जवाब नहीं हो सकता । जैसा माननीय पालीवाल जी ने कहा, कुछ बातें ऐसी हैं जिनका सदन के बाहर तो कुछ जवाब हो भी सकता है लेकिन यहां जवाब देना सम्भव नहीं है । उनका जवाब देने की कोशिश करना अपने को बहुत ही नीचे स्तर पर गिराना है । वह मैं नहीं करना चाहता । फिर भी दो, तीन चीज़ों का जिक्र पालीवाल जी ने और कुछ दूसरे मित्रों ने किया । एक डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेन्द्रीयकरण की बात है । इतना तो समय नहीं है कि मैं ब्योरे में जा सकूं, लेकिन मैं उनको बतलाता हूं और चाहे वह शार्ट या लांग नोटिस क्वैश्चन से पूंछे तो मैं उनको बतलाऊंगा कि पिछले साल या डेढ़ साल के भीतर हमने इस तरफ बढ़ने की कोशिश की है । मिनिस्टर्स के अधिकार हमने सेक्रेटरीज़ को उतारे हैं, सेक्रेटरीज़ के हेड्स आफ डिपार्टमेन्ट्स को दिये हैं और हेड्स आफ डिपार्टमेन्ट्स के नीचे डिस्ट्रिक्ट लेविल पर उतारना चाहते हैं और उतारे भी हैं । लेकिन एक बात है कि एक मशीनरी है जो पहले से चली आरही है, जैसी भी वह है, है । इसलिये सारा का सारा विकेन्द्रीकरण हम एक साथ कर दें, इसकी हमारी हिम्मत भी नहीं पड़ती है । लेकिन धीरे-धीरे हमने किया है और हम समझते हैं कि उसमें हमको सफलता मिली है । जो हमने अब तक किया है उसमें हमको सफलता हुई है और हमारी कोशिश है कि उनको और अधिकार दिये जायं । इतनी बड़ी स्टेट हो और हम यहां थोड़े से आदमी हों और यहां बैठकर सब काम करना चाहें तो हर एक काम में डिले होगी और काम खराब होगा । जिला स्तर पर जो लोग हैं उनका हमें विश्वास करना होगा और थोड़े दिनों में उनको भी अनुभव हो जायगा । इसलिये जो विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त है हम उसको मानते हैं, वह होना चाहिये ।

एक प्रयोग हम करने जा रहे हैं । एक माननीय सदस्य ने ज़िला परिषद् के चुनावों का ज़िक्र किया । मेरे विचार से उन्होंने बजट को पढ़ा नहीं, नहीं तो वे ऐसी बात न कहते । कहा गया कि ज़िला परिषद् के चुनावों की शायद नीयत नहीं है, क्योंकि बजट में रुपये का बहुत कम प्राविजन है, अगर है तो नहीं के बराबर । उन्होंने यह कदाचित् पढ़ा नहीं कि हमने उसमें लिखा है कि चुनाव का जो खर्चा होता है वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स पर पड़ता है । तो उसके अतिरिक्त जो सेक्रेटेरियट से होने वाला खर्चा है उसका जो अनुमान है, वह इसमें रखा गया है । बाकी चुनाव होगा और ज़रूर होगा, ऐसी हम आशा करते हैं ।

मैं यह कह रहा था कि हम बहुत बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं । ज़िलों में जो प्लानिंग कमेटीज़ थीं उनकी कानूनन कोई हस्ती नहीं थी । गवर्नमेन्ट आज चाहे तो उनको तोड़ सकती है, लेकिन जो ज़िला परिषदें बनने जा रही हैं उनको हम कानूनी तरीके से प्लानिंग के अधिकार देने जा रहे हैं, कुछ गवर्नमेन्ट के भी अधिकार उनको होंगे, कुछ वे अधिकार भी होंगे जो ज़िला मैजिस्ट्रेट्स के पास हैं । आज जो यूं ही कमेटीज़ बनी हुई हैं उनको करोड़ों रुपये के खर्च करने के अधिकार हम देने जा रहे हैं । उसके बाद किसी को भी इस बात को कहने का मौका नहीं होगा कि हम विकेन्द्रीयकरण के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं । यदि यह चीज़ हो गयी तो मैं आशा करता हूं कि अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो यह उत्तर प्रदेश में विकेन्द्रीयकरण के मार्ग में एक बहुत बड़ा प्रयोग होगा ।

माननीय पालीवाल जी ने एक बात और कही कि फाइनेंस डिपार्टमेन्ट के अधिकार कुछ कम होने चाहिये । हम लोग स्वयं इस बात को अनुभव करते हैं । किसी भी स्टेट के फाइनेंस डिपार्टमेन्ट का काम जनता की तरक्की के कामों को सोचना है और उनके लिये रुपया संग्रह करना

है, लेकिन सच बात यह है कि हमारे फाइनेंस डिपार्टमेन्ट में यह नहीं होता है। माननीय पालीवाल जी भी फाइनेन्स मिनिस्टर रह चुके हैं और मैं भी रह चुका हूं। वह एक अच्छे फाइनेन्स मिनिस्टर रह चुके हैं और मैं भी अपने को सर्टिफिकेट दे सकता हूं कि मैं भी बुरा नहीं रहा। अच्छे बुरे जैसे भी रहे हों, लेकिन यह बात सत्य है कि यह काम न उन्होंने किया और न मैंने। केन्द्र यदि एक पाई का भाव भी बढ़ा देता है तो करोड़ों रुपये का फर्क पड़ जाता है, लेकिन हमारे पास ऐसे कुछ साधन नहीं हैं। इसके बजाय हम केवल एक ही काम करते हैं। हमारे पास कोई खर्चे की मांग आयी तो फाइनेंस डिपार्टमेन्ट यही करता है कि उस पैसे में कितनी काट की जा सकती है। अगर किसी ने तीन चपरासी मांगें हैं तो क्या दो चपरासियों से काम नहीं चल सकता? किसी जगह अगर मंजूरी करनी ही आयी तो जुलाई के बजाय अगस्त से क्यों न उसको मंजूरी दी जाय जिससे एक महीने की ही तनख्वाह बच जाय। यही फाइनेन्स मिनिस्टरी रह गयी है। वस्तुतः स्टेट्स में हमारी हालत ऐसी ही है।

हमारी स्टेट्स में फाइनेन्स विभाग को घटाने की, बढ़ाने की गुंजायश नहीं है। इसलिये जो असली फाइनेंस मिनिस्टरी का काम है वह नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसके जो भी आजकल अधिकार हैं उनमें कमी हो, हम इस बात को महसूस करते हैं। जो और विभाग हैं वे भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि फाइनेन्स विभाग है। तो हमें इसका कोई तरीका निकालना है। इसका एक तरीका हमने निकाला भी है। मसलन एक बजट पास हो गया। पहले यह रहता था कि बजट पास हो जाने के बाद भी अगर फाइनेन्स विभाग की मंजूरी नहीं जाती थी तो खर्चा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब एक महीने के बाद अगर मंजूरी न भी जाय तो विभाग खर्चा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम सोच रहे हैं कि हर एक विभाग में एक-एक फाइनेंशियल एडवाइजर रख दिये जायं जो विभाग को सलाह देता रहे और हर चीज़ फाइनेंस डिपार्टमेन्ट से पूछना न पड़े। इससे हम समझते हैं फाइनेंस विभाग की वजह से जो बाधा पड़ती है, वह कम हो जायगी। एक चीज की तरफ माननीय पालीवाल जी ने ध्यान दिलाया कि आडिट और एकाउन्ट को अलग कर देना चाहिये। मेरी राय से भी यह बहुत महत्व की चीज है, उसकी वजह से काम में बड़ी बाधा पड़ती है। यह राय बहुत ही सही राय है कि आजकल आडिट और एकाउन्ट दोनों को एक साथ रखना बिलकुल गलत है। ए०जी० का दफ्तर इलाहाबाद में है, वे ही हमारा हिसाब भी रखते हैं और उसका आडिट भी वे ही करते हैं, इससे काम में बड़ी दिक्कत पड़ती है। किसी डिपार्टमेंट के लिये जो बजट बना और उसमें से इस साल कितना खर्च हुआ है इस वक्त तक, यह देखने के लिये जब तक ए० जी० के दफ्तर में इलाहबाद न जाया जाय तबतक पता नहीं लग सकता है, इससे हमको भी दिक्कत होती है और ए० जी० को भी दिक्कत होती है। उन्होंने भी लिखा, हमको और सब स्टेट्स ने लिखा कि आडिट और एकाउन्ट अलग कर लिया जाय। वेस्ट बंगाल ने इस सम्बन्ध में कुछ कोशिश की भी है, लेकिन दिक्कत हमारे सामने यह है कि अगर छोटे से छोटे डिपार्टमेंट को भी वहां से अलग करने की कोशिश की जाय तो उसमें करीब २५ लाख रुपया खर्च पड़ता है। इसलिये आडिट और एकाउन्ट को अलग करने के सिद्धांत को मानते हुये भी हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आज रुपये की बड़ी कमी है। अगर आडिट और एकाउन्ट को अलग कर दिया जाय तो शासन में बड़ी आसानी हो सकती है। जैसे मान लीजिये, एक आदमी को पेंशन देना है, वह गरीब मर गया, उसके लड़के–बच्चे बड़ी दिक्कत में हैं, यदि पेंशन का कागज यहां से वहां घूमता रहा तो ए०जी० आफिस में जहां ४,५ सौ आदमी काम करते हैं, इतने आदमियों के होते हुये भी उसका पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है। मुहकमे का हिसाब भी उन्हीं के पास रहता है, उन्होंने खुद लिखा है कि आप अपना हिसाब रखिये, लेकिन रुपये की कमी की वजह से हिम्मत नहीं पड़ रही है। अगर ऐसा हो जाय तो शासन के काम में बहुत ज्यादा सुधार हो सकता है।

एक सुझाव और है और बहुत ठीक है कि पब्लिक सर्विस के जो रिक्रूट्स हैं, उनके स्वरूप को बदलना चाहिये, बिलकुल सही बात है। इस सम्बन्ध में दो, तीन बातें हैं।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

आल इंडिया सर्विसेज की बाबत तो मैं नहीं कहता, क्योंकि उनका सम्बन्ध सेंटर से है, लेकिन मेरे मित्रों ने जो यहां की सर्विस की बाबत कहा उसको मैं ठीक से समझ नहीं पाया। कोशिश की जाती है कि अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे आदमी हों, ऊंचे से ऊंचे पढ़े लिखे आदमी हों, उनको पब्लिक सर्विस में आना चाहिये। सभी इस बात को मानते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक बहुत ही उम्दा संस्था है उसके जरिये उनका चुनाव होता है। इसके सिवा दूसरा क्या तरीका है? इसके अलावा एक बात हम और करते हैं कि चुनने के बाद एक स्कूल उनके वास्ते खुला हुआ है, उस स्कूल में शासन सम्बन्धी बातें समझाने की कोशिश करते हैं। वहां बड़े-बड़े विद्वानों को बुलाते हैं और उनसे लेक्चर दिलवाते हैं। इसके सिवा और कोई बात मेरी समझ में नहीं आ सकी। यद्यपि मैं समझता हूं कि जो इसका स्वरूप है उसको बदल दिया जाय तो बहुत आसानी होगी, लेकिन ठीक-ठीक स्वरूप में समझ नहीं सका कि क्या हो। यह भी मैंने सोचा कि नये आदमियों को चुनने के बाद थोड़े दिनों तक सेक्रेटेरिएट में रखा जाय तथा यहां सब से उनका सम्पर्क हो जाय तो काफी सुधार हो सकता है, लेकिन सेक्रेटेरियट में लाकर उनको कहां रखें, कैसे रखें,यह मेरी समझ में नहीं आता। फिर कोई मित्र इस सम्बन्ध में सुझाव दें कि हम कौन सा तरीका अपनावें कि वे समाजवादी सूरत को अच्छी तरह से समझ जायं तथा लोगों के साथ सौजन्य का व्यवहार कर सकें। अगर कोई माननीय मित्र इस सम्बन्ध में सलाह दें तो बड़ी अच्छी बात है। यह सोलह आने सिद्धांत की बात है।

एक बात मैं कहना चाहता हूं पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य होते हैं उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है,लेकिन पहले भी मैं कुछ कह चुका हूं और सदन के माननीय सदस्य भी कहते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन का बहुत महत्व है। माननीय पालीवाल जी को भी मालूम है कि भारत सरकार की ओर से जो कमेटी बनी थी उसमें एपल बी ने यहां की पब्लिक सर्विस के सम्बन्ध में क्या राय दी है। उन्होंने कहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को जितना महत्व यहां दिया जाता है उतना दुनिया के किसी देश में भी नहीं दिया जाता। आगे उन्होंने कहा है कि यहां की एक जो बहुत ही विलक्षण बात है वह मेरी समझ नहीं आयी कि किस स्थान पर किसको लाया जाय, या किसको प्रोमोशन देना चाहिये, इसमें भी पब्लिक सर्विस कमीशन की राय लेना भी ज़रूरी हो। उनकी राय समझ में आने वाली भी है कि आखिर कब तक हम एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते रहेंगे और एक दूसरे पर शुबहा करते रहेंगे। आप सोचें इस बात को, कोई आदमी यहां पर आता है और आपके या और किसी के मातहत काम करता है। हम उसके काम को देखते हैं। अब आप देखें कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पास मामला गया तो सिवाय काग़ज़ के तो उनके पास और कोई रिकार्ड रहता नहीं है। काग़ज़ की बात तो आप जानते ही हैं "व्हाटऐवर इज़ नाट बैड इज़ गुड", अगर कोई खास बड़ी भारी बुराई उसने की हो तब तो उसके काग़ज़ में लिखा जाता है अन्यथा नहीं। अब पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे जांच करे? एक आदमी आपके सामने आता है, काम से जान चुराता है, यह नहीं करता कि आपके हुक्म को न माने, लेकिन लेटर और स्प्रिट में मानने में आकाश पाताल का अन्तर होता है, तो यह कागज में कैसे आवे? जो आदमी काम देखते हैं कि यह आदमी अच्छा है, काम अच्छा करता है वह उसको आगे तरक्की नहीं दे सकता। जिस आदमी के काम में खराबी है उसको दंड नहीं दिया जा सकता, यह दुनिया में किसी देश में नहीं है। आखिर हम लोग क्यों एक दूसरे पर संदेह करते हैं? हो सकता है कोई आदमी भले ही कुछ पक्षपात कर जाय, पक्षपात करते वक्त उसको एक बात का डर रहेगा ज़रूर कि किसी आदमी को तरक्की देता है तो ऐसा आदमी तो होना ही चाहिये जो अच्छा काम कर सके, क्योंकि जिन लोगों को उसने सुपरसीड किया होगा वह उसके पीछे रहेंगे, ज़रूर इस बात की कोशिश वह आदमी करेगा कि अच्छा काम करे नहीं तो हमारी बदनामी होगी। उस कमबख्त की बदनामी तो होगी ही, उसके साथ तरक्की देने वाले की भी होगी। जब हमने इतना बड़ा जुआ खेला, विदेशियों को हटाकर अपने हाथ में शासन लिया तो मैं समझता हूं हमको एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिये चाहे कोई भी गवर्नमेन्ट हो। इसलिये

जो काम लेता है उस पर ज्यादा विश्वास करना चाहिये बनिस्बत उन लोगों के, माना कि वह ईमानदार हैं, जो दूर बैठे हुये हैं, शासन को कोई जिम्मेदारी जिन पर नहीं है कि शासन अच्छा चले तो उनसे कोई मतलब नहीं, बुरा चले तो उनसे कोई मतलब नहीं है, जिनके सामने केवल कागज ही है। पब्लिक सर्विस कमीशन को हमने एक बड़ा भारी दर्जा दे रखा है, जब कि दुनिया के किसी देश में यह चीज नहीं है।

एक सुझाव यह आया कि सर्विसेज दो, तीन तरह की बनानी चाहिये। एक तो सामान्य प्रशासन है, दूसरा डेवलपमेंट सर्विस और तीसरी इकोनोमिक सर्विस। यह हमारे दिमाग में बात आयी, डेवलपमेन्ट सर्विस के लिये तो नहीं इकोनोमिक सर्विस के लिये कि इकोनोमिक सर्विस में क्या रखें। अगर कोई इंडस्ट्रियल अन्डरटेकिंग्स हो जायं तब तो ठीक है अन्यथा १०–५ आदमियों से ज्यादा होंगे नहीं। डेवलपमेन्ट सर्विस में एक दिक्कत है। माननीय सदस्यों को जो डेवलपमेन्ट का काम हो रहा है उसकी रूपरेखा मालूम है, गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने यह तय किया है कि प्लानिंग का काम कुछ दिनों तक चलेगा और फिर धीरे-धीरे कुछ दिनों बाद जिस जगह से प्लानिंग का काम होगा वह नार्मल तरीके पर चला जायगा। जैसे प्लानिंग में बहुत से काम हो रहे हैं, खासतौर से सभी मुहकमों के, तो कुछ दिनों बाद जैसी पहले सूरत थी वही सूरत हो जायगी, कोई अलग विभाग डेवलपमेंट का नहीं रहेगा। तो फिर डेवलपमेन्ट सर्विस बनाने का फायदा क्या हुआ? खेती-बारी का काम ऐग्रीकल्चर विभाग देखेगा, शिक्षा का काम शिक्षा विभाग करेगा, व्यवसाय का काम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट करेगा। तो डेवलपमेन्ट सर्विस टैम्पोरेरी है। किसी जगह पर एक इंटेंसिव रूप से बहुत से काम करने वाले ब्लाक आदि की बात है तो थोड़े दिनों बाद नार्मल हो जायगा तब अलग डेवलपमेन्ट सर्विस की जगह नहीं रहेगी। इसलिये कोई ऐसी सर्विस बनाना डेवलपमेन्ट के नाम से जिसमें ऐग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ऐजूकेशन का काम हो रहा है तो एक खिचड़ी होगी। इसीलिये कोई अलग डेवलपमेन्ट सर्विस नहीं बनायी जाती। बल्कि डेवलपमेन्ट के काम के लिये पहले आपने देखा होगा जब कि इसका ठीक-ठीक रूप विकास का प्रथम प्लान में स्पष्ट नहीं था उस वक्त कुछ लोग खासतौर से प्लानिंग के लिये रखे गये, लेकिन आपने पिछले ३,४ साल में देखा होगा, अब हम ऐसा नहीं करते। प्लानिंग के काम के लिये जो आदमी रखने होते हैं वह ऐग्रीकल्चर या एजूकेशन सर्विस या और सर्विस के रखे जाते हैं जो रेगुलर सर्विसेज के होते हैं ताकि जब प्लानिंग का काम खत्म हो तो यह अपनी-अपनी जगहों पर खप जायं। इस बात के लिये हम डेवलपमेंट सर्विस के नाम की अलग सर्विस नहीं खोल सकते। माननीय पालीवाल जी ने ध्यान दिलाया कि यहां लेजिस्लेचर के सेक्रेटेरिएट के स्वतंत्र होने की बात है। मैंने कहा कि वह बात बिलकुल ठीक है। हमने इस बात को मान भी लिया है और प्रायः वह बात है भी। कुछ जरूर ब्योरे की बातें हैं, वह भी थोड़े वक्त में तय हो जायेंगी। कुछ माननीय अध्यक्ष और माननीय प्रेसीडेंट से मिल कर बातें करनी हैं। मैं भी कुछ झंझटों में था, फुरसत नहीं मिली। मैं आशा करता हूं कि वह ब्योरे की बात बहुत जल्द तय हो जायेगी।

इकोनोमी का जिक्र था। जब काम बढ़ेगा तो आदमी भी ज्यादा रक्खे जायेंगे। तनख्वाह भी दी जायेगी और खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि खयाल नहीं है। इकानामी कमेटी है या और कई कमेटियां हैं, उनके सुझाव हैं। एपार्ट फ्राम दैट, हम खयाल रखते हैं कि जहां तक हो सके इकानामी करने की कोशिश की जाय। अभी थोड़े दिन पहले हमारे सेक्रेटेरीज मिले और उन्होंने तय किया कि देखना चाहिये कि कहां तक किफायत हो सकती है। उन्होंने स्वयं अपनी कोशिश से केन, कोआपरेटिव, फारेस्ट, एग्रीकल्चर, एनीमल हस्बैन्डरी, और पब्लिक वर्क्स को छोड़कर बाकी डिपार्टमेंट्स में यह किया है कि १३ लाख ४५ हजार प्लान के अन्दर और ५० लाख ७५ हजार ८०० रुपया साल की

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

किफायत की बात स्टाफ के मामले में हो जाय। इनको जोड़कर करीब ६५ लाख होता है। जिन डिपार्टमेंट्स का मैंने जिक्र किया इनको जोड़कर ७५ लाख तक शायद हो सकता है वगैर किसी आदमी को निकाले गये। महज काम के रिडिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा यह चीज हो सकती है और होगी।

एक चीज का जिक्र माननीय नारायणदत्त जी ने किया था इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट के सिलसिले में कि वह क्यों जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है। उसमें जरूर कुछ फाइनेंस इत्यादि के संबंध में सुविधा की बात है। लेकिन मैं बिल्कुल उचित समझता हूं कि इसको अलग रहना चाहिये और मैं इस बात की कोशश करूंगा कि अगले साल अलग हो जाय। और बातों के साथ मेरे साथ भी अन्याय है या और जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के चार्ज में हो उसके सिर क्यों यह दर्द रहे? जिसके जिम्मे वह विभाग है उसको भुगतना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह जरूर होना चाहिये।

माननीय पालीवाल जी चले गये। उन्होंने एक चीज का जिक्र किया था कि चाहे मंत्री लोगों में दोष न हो लेकिन सेक्रेटेरिएट के कुछ लोगों का दोष हो सकता है जिसकी वजह से किसी खास जाति-बिरादरी को विशेष प्रश्रय दिया जाता हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि सिवाय ऐब के कभी कोई अच्छाई नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन पालीवाल जी उन लोगों में से नहीं हैं। जब पालीवाल जी ने इस चीज का जिक्र किया तो निश्चित ही मुझको खयाल हुआ कि इस ओर ध्यान देना चाहिये। जाति-बिरादरी की बात ऐसी है कि हम लोगों के खून में हजारों नहीं तो सैकड़ों वर्षों से भरी हुई है। कांशसली, जानकारिता में न सही अनकांशसली, अजानकारिता में हम ऐसी गलती कर सकते हैं। इस तरफ खास तौर से सोचने की जरूरत है। मैंने एक कागज तैयार कराया है। अगर और ज्यादा टाइम होता तो और ज्यादा डिटेल देता। इसमें चार वर्षों के फिगर्स हैं सन् १९५६,५७,५८ और १० मार्च १९५९ तक। इसमें छः कालम्स हैं। मेजर हेड्स आफ दि डिपार्टमेंट, माइनर हेड्स आफ दि डिपार्टमेंट, कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, सेक्रेटरीज टु गवर्नमेंट, अदर सेक्रेटरिएट आफिसर्स। मैं आपके सामने फिगर्स पढ़े देता हूं। यह माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि आज किसी ओहदे पर, चाहे वह सेक्रेटरी हो, कलेक्टर हो या कमिश्नर हो, किसी भी ऐसे ओहदे पर वही लोग हो सकते हैं जो आज से दस बारह साल पहले सर्विस में रहे होंगे और इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि वह कौन से लोग थे जो उस समय सर्विसेज में जाते थे। तो १० मार्च सन् १९५९ को मेजर हेड्स आफ दि डिपार्टमेंट्स का ब्योरा यह है कि ब्राह्मण ६, कायस्थ ५, खत्री ५, राजपूत ४, वैश्य २, ईसाई १ और मुसलमान १। अब माइनर हेड्स में ब्राह्मण ८, कायस्थ ४, खत्री १, वैश्य २, ईसाई १ और मुसलमान १। जिलाधीश, ब्राह्मण १५, कायस्थ ९, खत्री ९, राजपूत ५, वैश्य ५, ईसाई २, जाट २ और मुसलमान ४। उसके बाद सेक्रेटरी टु गवर्नमेंट, ब्राह्मण ३, कायस्थ ३, खत्री ५, राजपूत १, वैश्य २, जाट १ और मुसलमान १। उसके बाद अन्य सेक्रेटेरिएट आफिसर्स, ब्राह्मण ४०, कायस्थ १७, खत्री १०, राजपूत २, वैश्य ११, ईसाई ३, जाट २, शिड्यूल्ड कास्ट २, मुसलमान १५ और सिख १।

श्री राजनारायण---ये आंकड़े कब तक के दे रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१० मार्च सन् १९५९ तक के। मैं समझता हूं कि इस बात को जानने का सब से ज्यादा हक माननीय पालीवाल जी को ही था। १५ साल पहले कोई बैकवर्ड क्लास नहीं थी और न कोई सर्विसेज में उनमें से आता था और कलेक्टर, कमिश्नर वही हो सकता है जो १५ साल पहले सर्विस में था, उस वक्त न बैकवर्ड क्लास के लोग आते थे न शिड्यूल्ड क्लास के। जैसा मैंने पहले कहा, यदि किसी ऐसे शख्स ने कहा होता और ह भी जिनको सिवा ऐब के और कोई चीज नहीं दिखाई देती तो मैं शायद जवाब नहीं देता।

एक साहब ने मुझे पत्र भी लिखा था और उसमें अपने को सैटिसफाई करने के बाद भी मैंने उनका जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पालीवाल जी जैसे जिम्मेदार आदमी ने यह सवाल उठाया है।

श्री राजनारायण---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मुख्य मंत्री जी ने अभी इस सदन में कहा कि माननीय पालीवाल जी जिम्मेदार हैं। तो क्या दूसरे सदस्य गैर-जिम्मेदार हैं?

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठिये।

श्री राजनारायण---अगर इस तरह से वह कहते हैं तो मैं यह कहता हूं कि फर्स्ट क्लास गैरजिम्मेदार चीफ मिनिस्टर है जो इस तरह की बातें करता है।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय नारायणदत्त जी और कई माननीय सदस्यों ने एक प्रश्न उठाया है अन्तर का जो हमारी स्केल्स आफ पे में और सेंट्रल सर्विसेज की स्केल्स आफ पे में है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि जब से गोविन्द नारायण जी चीफ सेक्रेटरी आये हैं.....

श्री अध्यक्ष---जब वक्ता बैठ नहीं रहे हैं तो आप कोई प्रश्न उनसे नहीं पूछ सकते।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हम भी बराबर इस बात को चाहते रहे हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की जो स्केल्स हैं और जो हमारी स्केल्स हैं चाहे तनख्वाह की हों और चाहे महंगाई की हों उसमें बहुत अन्तर है और वह खाली हमारी बात ही नहीं है, बल्कि जितने भी स्टेट्स हैं यहां तक कि जो केरल की स्टेट है उन सबकी और हम सबकी एक राय है कि यह अन्तर ठीक नहीं है और वह खत्म होना चाहिये। और एक मुद्दत से हम यह कहते रहे हैं। यह तो हम नहीं कहते कि गवर्नमेंट आफ इंडिया अपने आदमियों की तनख्वाह कम कर दे, लेकिन यहां के जो लोग हैं उनकी तनख्वाहों में, महंगाई में, एक ही शहर में और कभी-कभी तो एक ही मकान में बाज वक्त होता है जहां उनके भी क्लार्क्स, उनके चपरासी और उनके आफिसर काम करते हैं और शायद हमारे आदमी उनसे ज्यादा काम करते हैं, लेकिन उनको उतनी तनख्वाह और उतनी महंगाई न मिल सके इसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। हमने यह भी राय रखी कि गवर्नमेंट आफ इंडिया स्टेट के आदमियों को, स्टेट सर्विसेज के लोगों को, कुछ दिन यहां काम करने के बाद अपने यहां ले लें तो वह भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन अगर हम एक दो वर्ष उनका ५ रुपया बढ़ा दें तो उससे कुछ होता नहीं है। इसका कोई न कोई परमानेंट साल्यूशन निकालना चाहिये लेकिन आजतक कोई साल्यूशन नहीं निकल सका। इस ओर हम कोशिश करते रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे कि दोनों सर्विसेज के बीच में जो डिसपैरिटी है, वह दूर हो जाय।

अब एक बारहमासी सवाल है करप्शन का।

श्री राजनारायण---सुनाई नहीं पड़ रहा है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष---आप उनकी बात जरा कृपा करके एकाग्रचित हो कर सुनें। माइक जरा ठीक कर दिया जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं यह कह रहा हूं कि यह मेरा दुर्भाग्य है कि जैसे नौकरशाही वाले लफ्ज से मैं घबड़ाता हूं वैसे ही इस लफ्ज करप्शन से मैं घबड़ाता हूं। मैं कुछ उचित नहीं समझता इस चीज का बार-बार इस्तेमाल होना। इससे सिवाय हम अपने ऊपर एक राष्ट्रीय लांछन लगा लेते हैं और कुछ नहीं होता। फिर भी जो कुछ उपाय इसके दूर करने के हों उनसे वह दूर होना चाहिये। ऐंटी-करप्शन कमेटियों की जो गलतियां होंगी और और जो गलतियां होंगी जिनका जिक्र किया गया है उनका सुधार हम कर सकते हैं हमको करना चाहिये। उनके अलावा, मैं ठीक तो नहीं कह सकता कि गजट में निकला या नहीं निकला और अगर नहीं निकला है तो एक दो दिन में निकल आयेगा। हमारी जो लाइयर्स कांफ्रेंस है उसने कहा कि हम जानते हैं कि कैसे करप्शन होता है और किस तरह से लोग रिश्वत देते हैं और किस तरह से लोग रिश्वत लेते हैं। अगर हमारी मदद ली जाय तो हम इसको दूर करने के लिये तैयार हैं और हम इसमें सहयोग देने को तैयार हैं। हमने इस चीज को मंजूर किया और एक कमेटी बिठा दी गयी है जिसके चेयरमैन हैं जस्टिस मुकर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के और उसमें लाइयर्स के प्रेसीडेंट और सेक्रेटरी हैं वे उसमें हों। जैसा कल भी कहा गया कि इसका टर्म आफ रेफरेंस बहुत वाइड होना चाहिये, हमने बहुत वाइड टर्म्स आफ रेफरेंस उसको दिया है कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर और स्टेट लेविल पर कैसे कमेटियां बनाई जायं जिससे करप्शन दूर हो सकता है जो भी तरीका वह बता सकते हैं, कानून में कोई तरमीम बतला सकते हैं, अदालत के प्रोसीजर में कोई चेंज हो सकता है तो वह बतायें। हम आशा करते हैं कि हमने जो कमेटी बनायी है उसकी जो रिपोर्ट होगी उससे इस मामले को खत्म करने में काफी मदद मिलेगी। बहुत सी बातें, मैं समझता हूं, कही गई हैं जिनका जिक्र करना संभव नहीं है, लेकिन एक चीज का और जिक्र कर दूं कि कुछ माननीय सदस्यों को चिन्ता हुई और अध्यक्ष महोदय ने भी आज्ञा दी थी कि बजट के डिस्कशन में उसका जिक्र आ जायगा। मुझे मालूम नहीं कि जिक्र आया या नहीं। वह जो बनारस में एक नाव डूब गयी कुछ लोगों ने जानना चाहा था। बहुत छोटी सी बात है। कई माननीय सदस्यों ने उसकी बाबत सवाल पूछे थे। एक नाव थी। ३५ आदमियों के बैठने की जगह थी। ५७ आदमी उस पर बैठे और ३ मल्लाह थे। उस नाव को घाट के किनारे-किनारे रस्से से खींच कर ले चले। राजघाट के पास पहुंचते-पहुंचते वह नाव डूब गयी। डूबी कैसे? लकड़ी की मोटी-मोटी बल्लियों से टकरा कर। वे बल्लियां कैसे आयीं? आज से ८--१० साल पहले जब मालवीय ब्रिज बन रहा था, जिसको पहले डफरिन ब्रिज कहा जाता था, तो रेलवे अथारिटीज ने पानी निकालने के लिये लकड़ी की मोटी-मोटी बल्लियां गाड़ीं और उनके ऊपर लोहे के पाइप्स लगाये और उन पाइप्स के जरिये पानी खींचा। जब पुल बन गया तो पाइप तो निकाल लिये लेकिन उन बल्लियों को छोड़ दिया। तो उन बल्लियों से टकरा कर नाव डूब गयी, कुछ आदमी भी डूब गये। बहरहाल, तीनों मल्लाह गिरफ्तार कर लिये गये हैं।

एक बात कह कर मैं खत्म करता हूं। महज एक बात मालूम होती है फारमैलिटी की। लेकिन कम से कम मेरी तरफ से फारमैलिटी नहीं है और मैं उसी स्पिरिट में उस बात को कहता हूं जिस स्पिरिट में माननीय पालीवालजी ने अपनी स्पीच को शुरू किया था कि हमें बहुत सी गलत फोर्सेज से मुकाबला करना है। अभी सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि वाराणसी में एक आन्दोलन चला कुछ लोगों का कि विश्वनाथ जी के मंदिर के बगल में जो मस्जिद है वह हिन्दुओं को वापस दी जाय। गलत आन्दोलन था, बेहूदा आन्दोलन था, इसमें कोई शुबहा नहीं। बहरहाल, जो लोग उसमें शरीक थे वे गिरफ्तार हुये। मगर ऐसे लोग हैं जो कि हमारे प्रदेश में इस तरह की बात कहते हैं। मुझको, उनके प्रेसीडेंट या सेक्रेटरी हैं हिन्दू महासभा के, उन्होंने लिखा कि हमारा कोई कम्युनल इरादा नहीं है लेकिन उनकी यह बात सही नहीं है। बहरहाल, ऐसी भी हमारे देश में शक्तियां हैं जिनका यह खयाल है कि हमको बराबर किसी न किसी तरीके से अशांति बनाये रखना है। एक बार थोड़े दिनों के लिये हम मिल करके देखें कि हम इन शक्तियों का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं। एक बार हम मिल कर देखें कि अपनी मिली जुली कोशिश से हम शासन को दुरुस्त कर सकते हैं या नहीं।

अगर महज कार्पिंग क्रिटिसिज्म में, जैसा कि पालीवाल जी ने कहा, हमारी सारी शक्ति चली जाय तो जो सबका कामन उद्देश्य होना चाहिये वह सिद्ध नहीं होगा।

अन्त में केवल एक बात कह कर मैं खत्म करूंगा। माननीय पालीवाल जी ब्राह्मण स्वभाव के आदमी हैं और ऐसे लोगों की बाबत कहा जाता है कि उनका हृदय कुसुम के समान कोमल होता है। अगर वह यह कहते कि जितना रुपया हमने मांगा है उसमें से एक, आध रुपया काट लिया जाय तो भी गरीबों का कुछ काम चलता, लेकिन उन्होंने तो कहा है कि सब काट कर कुल जमा एक रुपया रह जाय। वह मेरा तीर धनुष वाला रूप देखना चाहते हैं, लेकिन एक रुपया तो तीर धनुष की कीमत भी नहीं होगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेंगे ताकि उनके जो सुझाव हैं, जिनको मैं सिद्धांत के रूप में मानता हूं, उन पर हम अमल कर सकें।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, उन्होंने एक लिस्ट पढ़ी और दूसरे उन्होंने अपील की मिलने के लिये लेकिन यह नहीं बताया कि वह किस से मिलना चाहते हैं। अगर उनका मतलब, अपने दल के अन्दर सी० बी० गुप्ता साहब से है, तो दूसरी बात है लेकिन अगर विरोधी दलों से उनका मतलब है तो साफ बतायें। दूसरे यह कि पंतजी यहां पर मुख्य मंत्री थे तो उस समय ब्राह्मण और कायस्थों का क्या अनुपात था सर्विसेज में जिसकी लिस्ट उन्होंने पढ़ी और जब से सम्पूर्णानन्द जी मुख्य मंत्री हैं तब से क्या अनुपात है?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। मैं भाषण के लिये इजाजत देता हूं लेकिन जातियों के अनुपात के बारे में बताने की मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राजनारायण---लेकिन उन्होंने तो पढ़ा था।

श्री अध्यक्ष---चूंकि कुछ लोगों ने वह प्रश्न उठाया था उन्होंने सूचना दी होगी।

श्री राजनारायण---हमने तो चिट्ठी लिखी थी।

श्री अध्यक्ष---अब मैं कटौती के प्रस्ताव ले लेता हूं। पहले मैं पालीवाल जी का कटौती का प्रस्ताव लेता हूं। माननीय पालीवाल जी, क्या आप उसे वापस लेते हैं?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वापस नहीं लेना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बात शिष्टाचारवश कही है। वे जानते हैं कि उनको कोई खतरा नहीं है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है :—

शासन प्रणाली में खराबियों और उसमें सुधारों के सुझाव।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं विभाजन चाहता हूं।

(विभाजन की घंटी बजाई गई)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, सामान्य प्रशासन का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिये हम प्रार्थना करेंगे कि लाबी के अन्दर दस्तखत करायें जायं। आपने देखा होगा कि अपने अनुदान पेश करने से पूर्व मुख्य मंत्री जी ने विश्वास प्राप्त करने की कोशिश की और १२० सदस्य उनके साथ नहीं गये। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इसका रिकार्ड रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, लाबी में जाने की इजाजत दी जाय। श्रीमन्, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को देखा जाय जब माननीय सदस्य आपत्ति करते हैं तो ....

श्री अध्यक्ष---जी नहीं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से सदस्य यहां हाथ उठा सकते हैं, लेकिन लाबी में दस्तखत नहीं करेंगे, इसलिये आप हमें लाबी में जाने दीजिये।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---७५,
विपक्ष में---१६६।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है:---

समाजवादी लक्ष के प्राप्त करने में वर्तमान नौकरशाही शासन का ढांचा सबसे बड़ा बाधक बना है अतः उसमें आमूल परिवर्तन के सुझाव।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि मद घ- सचिवालय और मुख्यालय की स्थापनाएं के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है:---

विकेन्द्रित स्थान तथा पूंजी व्यय सामान्य प्रशासन पर न करना। केवल राजस्व व्यय से खर्चा चलाना।

(श्री राजनारायण द्वारा विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई)

श्री राजनारायण---एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि अगर हम आपसे मांग करते हैं कि इस पर वोट का रेकार्ड होना चाहिये तो इसमें आपको आपत्ति क्या है?

श्री अध्यक्ष---नियम में यह दिया हुआ है कि "परन्तु अध्यक्ष, यदि समझें कि विभाजन की मांग अनावश्यक रूप से की गयी है तो वह हाथ उठवा कर मत ले सकेंगे और विभाजन का परिहार कर सकेंगे।"

श्री राजनारायण---मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस, ब्रिटिश पार्लियामेंट और यहां की परम्परा की दुहाई दे कर यह निवेदन कर रहा हूं और जब मांग कर रहा हूं तब आपको क्या आपत्ति है? आप अनावश्यक कैसे समझ रहे हैं जब इतना प्रमाण आपकी सेवा में रख दिया? हमको पूरी-पूरी जानकारी है कि बहुत से लोग हो सकते हैं जो हमारे साथ रेकार्ड करें।

श्री अध्यक्ष---वह जानना चाहते हैं कि मैं अनावश्यक कैसे समझता हूं, तो मैं स्पष्ट कर दूं। उन्होंने यह कहा कि उनमें ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि हाथ उठाने में डरते हों। यह बात जो उन्होंने कही मैं समझता हूं कि यह माननीय सदस्यों पर लांछन लगा कर कही, तो यह बात अनुचित है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं देखता कि १०० या ८० हाथ नहीं

उठा रहे हैं और विरोधी पक्ष के साथ उनमें से १०, १२ भी हाथ उठा रहे हैं तो ऐसी मांग करना अनुचित न होता। अगर ऐसा होता तो मैं यह अन्दाजा लगा लेता कि वोट देने वाले दबाव से वोट दे रहे हैं। जब इधर और उधर दोनों ही ओर सबने हाथ उठाये हैं तब तो बजट के ऊपर जो राय है वह इससे साफ दिखायी दे गयी। इस ओर का एक भी व्यक्ति नहीं दिखायी दिया जो आपके साथ वोट कर देता। जो बात किसी पार्टी की अंतरंग बैठक में सदन के बाहर हो उससे सदन में आप फायदा नहीं उठा सकते।

श्री राजनारायण––हम चाहते हैं कि प्रदेश फायदा उठाये। तो, श्रीमन्, क्या मैं समझूं कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी के अनुदान के विपक्ष में बहुमत है और जिस ढंग से व्यवस्था हो रही है उसमें अनावश्यक ढंग पर बहुमत हो रहा है?

श्री अध्यक्ष––जी नहीं।

श्री राजनारायण––आप हमारी मांग नहीं मान रहे हैं जिससे कि सदन के सदस्यों की सही राय होती है। इसके विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं।

(सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन का त्याग करके चले गये।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि मद घ– सचिवालय और मुख्यालय की स्थापनायें के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है :––

विकेन्द्रित स्थान तथा पूंजी व्यय सामान्य प्रशासन पर न करना। केवल राजस्व व्यय से खर्चा चलाना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––श्री नारायणदत्त जी का कटौती का प्रस्ताव। प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है :––

सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के हेतु कमेटी न बैठाया जाना तथा उन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप मंहगाई न दिया जाना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––अब हम सदन में तब तक बैठेंगे जब तक कि इन कटौती के प्रस्तावों और अनुदान के ऊपर राय न ले ली जायगी और वह १५ मिनट से ज्यादा न होगा।

श्री ब्रजनारायण जी का कटौती का प्रस्ताव––

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है :––

प्रशासन पर अधिक व्यय तथा भ्रष्टाचार।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––अब प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३––सामान्य प्रशासन के कारण व्यय––लेखा शीर्षक २५––सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३,०६,९१,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---अब यह अनुदान संख्या १४ के कटौती के प्रस्ताव हैं ।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है :---

अधिकारियों में जिम्मेदारी का अभाव, वर्गीय दृष्टिकोण, ऊंच नीच की भावना, जनता के साथ व्यवहार तथा अन्य खराबियां ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है :---

सामान्य प्रशासन में विकेन्द्रीकरण का सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---श्री हरिदत्त कांडपाल जी का कटौती का प्रस्ताव....

श्री हरिदत्त कांडपाल (जिला अल्मोड़ा)---मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४---आयुक्तों (कमिश्नरों) और जिला प्रशासन का व्यय---लेखा शीर्षक २५---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३,१६,४४,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
११ मार्च, १९५९ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६० पर)

प्रश्न संख्या ४७ व ४८ से सम्बन्धित सूची

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	नुकसान (आनों में)
	तहसील मौदहा	
१	खरेला	१४ आने
२	पशियां	१० ,,
३	ओरा	१० ,,
४	लादार	१२ ,,
५	खन्ना	१२ ,,
६	भवानी	१२ ,,
७	गहबरा	१२ ,,
८	रीवन	१० ,,
९	छिरका	१० ,,
१०	करहिया	८ आने से १० आने
११	तगारी	६ आने से ८ आने
	तहसील महोबा	
१	बुधौरा	८ आने से १० आने
२	घुरट	८ ,,
३	मवइया	८ ,,
	तहसील चरखारी	
१	लुहारी	६ आने से ८ आने
२	बागाल	,, ,,
३	भटिवरा	,, ,,
४	कुवा	,, ,,
५	वरोय	,, ,,
६	दिदवारा	,, ,,
७	पनवाड़ी	,, ,,
८	लोधीपुरा	,, ,,
९	गैरनगुढा	,, ,,
१०	देवगनपुरा	,, ,,
११	रैमला पुरा	,, ,,
१२	अलीपुरा	,, ,,
१३	खडहापुरा	,, ,,
१४	बहादुरपुरा कलां	,, ,,
१५	वेदा	,, ,,
१६	रूपनौल	,, ,,

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	नुकसान (आनों में)		
१७	वडेहरी	६ आने	से	८ आने
१८	उलदन	,,	,,	,,
१९	पहेडिया	,,	,,	,,
२०	जारवी	,,	,,	,,
२१	बहादुरपुर नौजाबाद	,,	,,	,,
२२	सिमरया	,,	,,	,,
२३	मसूदपुर	,,	,,	,,
२४	अलीपुरा	,,	,,	,,
२५	नगराघाट	,,	,,	,,
२६	पठा	,,	,,	,,
२७	वरानो	,,	,,	,,
२८	नेकपुरा	,,	,,	,,
२९	वुडौरा	,,	,,	,,
३०	सगरपुरा	,,	,,	,,
३१	सिकन्दर पुरा	,,	,,	,,
३२	पहाड़पुरा	,,	,,	,,
३३	घुरवास मऊ	,,	,,	,,
३४	गहलाद	,,	,,	,,
३५	जमाला	,,	,,	,,
३६	लेधौरा खुर्द	,,	,,	,,
३७	लौलाराड	,,	,,	,,
३८	निस्वारा	,,	,,	,,
३९	छाछरी	,,	,,	,,
४०	फदना	,,	,,	,,
४१	कसारी	,,	,,	,,
४२	नौगांव	,,	,,	,,
४३	कमाल	,,	,,	,,
४४	जरौली	,,	,,	,,
४५	गोरखा	,,	,,	,,
४६	छेदीमऊ	,,	,,	,,
४७	रमपुरा कदीम	,,	,,	,,
४८	भटिवहा कलां	,,	,,	,,
४९	अन्डवारा	,,	,,	,,
५०	घनावन	,,	,,	,,
५१	विजैपुर	,,	,,	,,
५२	लोधारा सोयम	,,	,,	,,
५३	गौरहरी	,,	,,	,,
५४	सिधायन	,,	,,	,,
५५	किलहवा	,,	,,	,,
५६	टगहिया	,,	,,	,,

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६२ पर)

१—रोहनी नदी पर मडावरा गांव के निकट बांध के लिये ।

२—बंडई नदी पर सागर गांव के निकट बांध के लिये ।

३—मंगरू नाले पर पिपरिया गांव के निकट बांध के लिये ।

४—बिजोरिया नाले पर ललितपुर से ४ मील उत्तर की ओर ताल के लिये ।

५—महरोनी-मडावरा सड़क के ५वें मील पर स्थित करोदा गांव के निकट ताल के लिये ।

६—ललितपुर नहर के १७ मील २ फलांग पर टोडीगांव के निकट प्रस्तावित ढुलावन रजबहा के लिये ।

७—ललितपुर-महरौनी सड़क के २० मील पर पठागांव के निकट बंधी के लिये ।

८—बांसी बार सड़क के ५वें मील पर सतगांव के निकट बंधी के लिये ।

९—बुचेरा ग्राम के निकट नाले पर बुचेरा ताल के लिये ।

१०—ताल वेहाट से २ मील दूर पक्की सड़क पर बमोरी गांव के निकट स्थानीय नाले पर बमोरी ताल के लिये ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६८ पर)

जिला फर्रुखाबाद में प्रत्येक तहसील में पूरे वर्ष कार्य करने वाले अमीन और उनमें से तहसीलवार परिगणित अमीनों की संख्या निम्नलिखित है

नाम तहसील	फर्रुखाबाद	कायमगंज	छिबरामऊ	कन्नौज	योग
पूरे वर्ष कार्य करने वाले अमीनों की संख्या	२३	१९	२४	२२	८८
परिगणित जाति के अमीनों की संख्या	..	३	३	२	८

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८० पर)

३·५ लाख रुपये की योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित होने वाली जल निकास योजनाओं की जिलेवार सूची

जिले का नाम					लागत (रुपयों में)
१—मुजफ्फरनगर	..	..	..	..	३५,०००
२—मेरठ	..	..	..	..	३०,०००
३—बुलन्दशहर	..	..	..	..	३०,०००
४—अलीगढ़	..	..	..	..	१,००,०००
५—मथुरा	..	..	..	..	७५,०००
६—आगरा	..	..	..	..	७५,०००
			योग	..	३,४५,०००

३० लाख रुपये की योजना के अन्तर्गत १९५८–५९ में कार्यान्वित होने वाली जल विकास योजनाओं की जिलेवार सूची

जिले का नाम					लागत (रुपयों में)
१—सहारनपुर	..	..	..	..	४७,०००
२—मुजफ्फरनगर	..	..	..	..	३,०४,३००
३—मेरठ	..	..	..	..	३,६६,५०४
४—बुलन्दशहर	..	..	..	..	३,९३,९००
५—अलीगढ़	..	..	..	..	५,२३,७६६
६—मथुरा	..	..	..	..	२,७१,५००
७—एटा	..	..	..	..	९१,७०४
८—मैनपुरी	..	..	..	..	२,२६,०७९
९—फर्रुखाबाद	..	..	..	..	१९,९४४
१०—इटावा	..	..	..	..	३६,०००
११—कानपुर	..	..	..	..	५७,४७५
१२—फतेहपुर	..	..	..	..	५८,४९९
१३—इलाहाबाद	..	..	..	..	४,५७८
१४—गुड़गांव	..	..	..	..	३१,०००
			योग	..	२४,३२,२४९

२६·४५ लाख रुपये की योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित होने वाली जल निकास योजनाओं की जिलेवार सूची

जिले का नाम	लागत (रुपयों में)
१—सहारनपुर	४७,३४०
२—मुजफ्फरनगर	८५,६७०
३—मेरठ	८,५६,७८०
४—बुलन्दशहर	६८,११७
५—अलीगढ़	१३,०३,६६३
६—एटा	७,५०८
७—मथुरा	२,२५,७६७
८—आगरा	१४,०००
९—इटावा	३,६१३
योग ..	२६,४५,७८८

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७१ पर)

ग्राम देवरिया (गोविन्द नगर) सहकारी समिति में सरकारी भूमि पर अनधिकार काबिजों (Tresspassers) की तालिका

(१३६६ फसली के अनुसार)

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	अनधिकार काबिज का नाम पिता सहित	समय	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (बीघा में)		टिप्पणी
१	२	३	४	५	६		७
१	चुकली ..	श्री चतुर सिंह पुत्र (वर्ष में)					
		अजबसिंह ..	६	४५	१७–१६	आबादी	
२	,, ..	श्री जगन्नाथ पुत्र ..	६	१६८ ब	०–१७	प्लाट	६२
		विजयराम					
३	,,	श्री देवीदयाल ..	६	५४	४६–४	प्लाट	४३
		श्री भवानीदास ..	६	५५	५३–१६	,,	२३
		श्री जगन्नाथ ..	६	६७ ब	३३–१	,,	२२
			६	६८ ब	७–१८	,,	२२
			६	६६ ब	२६–१०	,,	२३
			६	७०	५–६	,,	४३
					१७८–१५		
४	,,	श्री निहाल सिंह पुत्र					
		केशर सिंह ..					
		श्री हरनाम सिंह ..	५	६६/२१६	२०–०	चरागाह	
		श्री करतार सिंह					
		श्री पालासिंह					
		श्री योगासिंह पुत्र					
		निहालसिंह					
५	,,	श्री प्रतापसिंह पुत्र					
		पर्वासिंह ..	६	५३	३१–६	प्लाट	४३
६	,,	श्री हयात सिंह पुत्र					
		गुमान सिंह ..	६	१६७ ब	०–३	प्लाट	६३
७	,,	श्री लछम सिंह पुत्र					
		रामसिंह ..	२	४३	४३–१५	चरागाह	
८	सोनेरा ..	श्री जगन्नाथ पुत्र					
		विजयराम ..	६	२ ब	३६–५	चरागाह	
			६	३	१०–१०	चरागाह	
			६	५ ब	३०–०	प्लाट	६२
		योग ..			७६–१५		

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	अनधिकार काबिज का नाम पिता सहित	समय	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (बीघा में)		टिप्पणी
१	२	३	४	५	६		७
९	सोनेरा ..	श्री हीरालाल पुत्र विजयराम ..	६	२०ए	६०–०	प्लाट	७९
१०	देवरिया ..	श्री ईश्वरीदत्त पुत्र कमलापती ..	४	८४ए	१२–०	प्लाट	१
११	,,	श्री दुर्गादत्त पुत्र विजयराम ..	४	८४ब	३–०	प्लाट	१
१२	,,	श्री विश्नुदत्त पुत्र महानन्द ..	५	८३ब	२–०	प्लाट	१
१३	,,	श्री बिशनसिंह पुत्र प्रेमसिंह	५	१०८/१५९	४५–१२	प्लाट	२०
१४	,,	श्री रघुनाथ सिंह पुत्र सोनाराम	५	११४	५–११	प्लाट	२५
		कुल योग ..			५००–१०		

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--९ एल० ए०--१९५९--८४५ ।